अनुक्रमणिका

1	प्रस्तावना	

मनरेगा की प्रमुख उपयोजनाएँ – क्रियान्वयन निर्देश

क्र.	विषय सूची	विभागीय निर्देश	पेज संख्या
1	महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत हितग्राही मूलक कार्य लिये जाने हेतु पात्र हितग्राही	–	01
2	महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत अनुमत कार्य	–	03
3	महात्मा गांधी नरेगा के कार्यों का विभिन्न विभागों से अभिसरण (कन्वर्जेंस)	–	07
4	कपिलधारा उपयोजना	6077 / 22 / वि–9 / आरजीएम / 07, दि. 07.04.2007	09
5	कपिलधारा उपयोजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु क्षेत्र चयन, दो कूपों के बीच की दूरी एवं कूएँ के व्यास, गहराई के निर्धारण के संबंध में निर्देश	13484 / MGNREGS-MP/Tech -3/17/09 दि. 28.10.2009	33
6	कपिलधारा उपयोजना अंतर्गत हितग्राहियों को सिंचाई हेतु पानी के उद्वहन के लिए विद्युत एवं डीजल पंप का प्रदाय	9332 / NR-3/Tech/2010 दि. 09.09.2010	35
7	कपिलधारा उपयोजना को कमाण्ड क्षेंत्र की असिंचित भूमि क्षेत्र में क्रियान्वयन संबंधी दिशा–निर्देश	10407 / MGNREGS-MP/Tech-3/17/10 दि.11.10.10	37
8	महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत संचालित उपयोजनाओं में लघु सीमांत कृषकों को लाभ दिये जाने बावत	NR-3/Tech/F.No. 104/10/10878 दि. 27.10.10	45
9	हितग्राही मूलक उपयोजना के तहत लघु एवं सीमांत कृषक की परिभाषा के संबंध में	264 / MGNREGS-MP/NR-3/SE-II/2012 दि. 07.01.12	47
10	कोटवार को प्रदाय शासकीय सेवा भूमि के विकास हेतु उपयोजनाओं का लाभ	491 / MGNREGS-MP/NR-3/SE-I/2012 दि. 13.01.12	49
11	कपिलधारा उपयोजना अंतर्गत लघु एवं सीमांत कृषक की परिभाषा के संबंध में (मार्गदर्शन)	5027 / MGNREGS-MP/NR-3/SE-I/2012 दि. 24.05.12	55
12	कपिलधारा – एक एकड़ भूमिधारी कृषक पात्र वर्ग में	6238 / MGNREGS-MP/NR-3/SE-I/2013 दि. 10.07.13	57
13	मनरेगा पंच परमेश्वर में आंतरिक सीमेन्ट कांक्रीट सड़क	9777 / MGNREGS-MP/NR-3/SE-I/2011 दि.10.10.11	59
14	**सुदूर ग्राम सम्पर्क व खेत सड़क उपयोजना :** 1. प्रशासकीय निर्देश	1. 9581 / MGNREGS-MP/NR-3/SE-I/2013 दि.17.12.2013	69
	2. तकनीकी निर्देश	2. 12700 / 22 / वि–10 / ग्रायांसे / 2013 दि. 31.12.13	79

15	आंगनवाड़ी भवन निर्माण हेतु दिशा–निर्देश	9541 / MGNREGS-MP/NR-3/SE-I/13, दि.12.12.13	115
16	आंगनवाड़ी भवन निर्माण(संशोधित) संयुक्त हस्ताक्षर से	662 / MGNREGS-MP/NR-3/SE-I/14, दि. 21.01.14	121
17	गोदाम निर्माण (पी.डी. एस. वाली ग्राम पंचायतों में)	9701 / MGNREGS-MP/NR-3/2013, दि. 24.12.13	127
18	अनाज भंडारण हेतु गोदाम निर्माण	264 / 394 / 2014 / 15–1 दि. 19.02.2014	135
19	ग्रामीण क्रीड़ांगन (संशोधित)	9543 / MGNREGS-MP/NR-3/2013, दि. 12.12.13	149
20	मर्यादा अभियान के तहत (मनरेगा + निर्मल भारत अभियान के अभिसरण) से घरेलु शौचालयों का निर्माण	8549 / NBA/MGNREGS-MP/22/वि–7/12, दि. 26.06.2012	161
21	निर्मल भारत अभियान एवं नरेगा के अभिसरण से तैयार की गई ''मर्यादा'' उपयोजना का कियान्वयन	7711 / MGNREGS-MP/NR-3/SE-I/2012 दि. 03.08.12	171
22	शौचालय निर्माण हेतु जारी परिपत्र में संशोधन	11235 / MGNREGS-MP/NR-3/SE-I/2012 दि. 01.12.2012	175
23	महात्मा गांधी नरेगा एवं निर्मल भारत अभियान के अभिसरण से संपादित ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के कार्य	7596 / MGNREGS-MP/NR-3/SE-I/2013 दि. 07.09.2013	177
24	शौचालय निर्माण में मनरेगा अंशदान में मेट की प्रोत्साहन राशि संबंधी।	8894 / MGNREGS-MP/NR-3/SE-I/2013 दि.12.11.2013	183
25	व्यक्तिगत एवं पारिवारिक शौचालयों का क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन	768 / 22 / वि–7 / NBA/2014 दि. 28.01.2014	185
26	मेरा खेत मेरी माटी उपयोजना	9888 / MGNREGS-MP/NR-3/SE-I/2013 दि. 30.12.13	187
27	टसर, खाद्य पौधें रेशम व वन्या उपयोजना के क्षेत्र विस्तारण को गति प्रदान करने संबंधी पत्र (संयुक्त हस्ताक्षर से)	933 / MGNREGS-MP/NR-3/SE-I/2014 दि. 29.01.2014	197
28	मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विभाग के अभिसरण से मत्स्य बीज उत्पादन।	564 / MGNREGS-MP/NR-3/SE-I/2013 दि. 15.01.2014	207
29	**अनुसूचित जनजाति वर्ग** के लिए ग्रामीण परिवारों के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान की आयोजना।	1982 / MGNREGS-MP/NR-3/SE-I/2014 दि. 04.03.2014	217
30	**अनुसूचित जाति वर्ग** के लिए ग्रामीण परिवारों के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान की आयोजना।	1984 / MGNREGS-MP/NR-3/SE-I/2014 दि. 04.03.2014	229
31	पशुधन विकास उपयोजना (मनरेगा एवं पशु पालन विभाग)	2613 / MGNREGS-MP/NR-3/SE-I/2014 दि. 26.03.14	239

कार्यों के क्रियान्वयन के परिपत्र/निर्देश

क्र.	विषय सूची	विभागीय निर्देश	पेज संख्या
1	पारदर्शिता व स्वघोषणा	**परिपत्र क्र. 1** –1504/ज.शि.नि.प्र./अ.का.अ./एनआर –14 /2013 दि. 14.02.2013	251
2	मनरेगा अंतर्गत कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण	**परिपत्र क्र. 1 (क)**–175/MPS-4 /2014 दि. 06.01.2014	259
3	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत कार्यो के निष्पादन हेतु मार्गदर्शिका	**परिपत्र क्र. 2** –1779/NR-2/MGNREGS-MP/2013 दि. 20.02.2013	265
4	मनरेगा अधिनियम के तहत लाईन विभागों एवं शासन द्वारा घोषित अन्य क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा किए जाने वाले कार्यो के निष्पादन हेतु मार्गदर्शिका	**परिपत्र क्र. 3**– 2751/NR-2/MGNREGA-MP/2013 दि. 15.03.2013	279
5	महात्मा गांधी नरेगा के कार्यो में क्रियान्वयन हेतु मेट (श्रमिक प्रमुख) व्यवस्था नवीन दिशा–निर्देश	1. **परिपत्र क्र. 4** –5511/MGNREGA-MP/NR-3/SE-1/2013 दि. 26.06.2013	289
		2. 7107/MGNREGS-MP/NR-3/SE-1/13 दि. 13.08.2013	301

महात्मा गांधी नरेगा अन्तर्गत हितग्राही मूलक कार्य लिये जाने हेतु पात्र हितग्राही

(i) अनुसूचित जाति परिवार।
(ii) अनुसूचित जनजाति परिवार।
(iii) घुमन्तु जनजाति परिवार।
(iv) अधिसूचना में से निकाली गई जनजातियां।
(v) गरीबी रेखा से नीचे रहनेवाले अन्य परिवार।
(vi) ऐसे परिवार जिन की मुखिया महिला है।
(vii) ऐसे परिवार जिनके मुखिया विकलांग हैं।
(viii) भूमि सुधार के लाभार्थी परिवार।
(ix) इंदिरा आवास योजना के हितग्राही।
(x) वन अधिकार अधिनियम 2006, (2007 का 2) अन्तर्गत लाभान्वित हक प्रमाण–पत्र धारक।
(xi) ग्राम पंचायत अंतर्गत उपरोक्त श्रेणी के पात्र हितग्राही लाभान्वित किये जाने के उपरांत–लघु व सीमान्त कृषक (कृषि ऋण माफी एवं राहत योजना 2008 में यथा परिभाषित) ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा योजना का कियान्वयन एकीकृत प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन (INRM) एप्रोच के तहत किये जाने हेतु निर्देश दिये है। अतः एव बिन्दु i से x तक के कृषकों के समीप लघु व सीमान्त कृषक की भूमि आने पर उन्हें एक साथ लाभान्वित किया जा सकेगा।

उपर्युक्त उल्लेखित श्रेणी के परिवारों के खेत–खलिहान/निवास की भूमि में व्यक्तिगत कार्य निम्न शर्तों के अधीन ही प्रारंभ किये जा सकते है :–

(i) उक्त श्रेणी के परिवार का जॉबकार्डधारी होना अनिवार्य होगा।
(ii) जॉबकार्डधारी हितग्राही अपनी खेत–खलिहान की भूमि/निवास की भूमि पर शुरू की गई परियोजना पर अनिवार्य रूप से कार्य करेंगे।
(iii) हितग्राही की कृषिभूमि/निवास की भूमि पर लिये जाने वाले कार्य संबंधित ग्राम पंचायत के Shelf of Project (SOP) का अनिवार्य रूप से हिस्सा होंगे।

महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत अनुमत कार्य

प्रवर्ग एवं श्रेणी	कार्य	कार्य प्रकार विवरण
प्रवर्ग अ : श्रेणी (i)	पेयजल सहित परिष्कृत भूजल पर विशेष ध्यान के साथ	भूमिगत बांध, मिट्टी के बांध, ठहराव बांध (चेक डेम) रोक बांधों (स्टाप डेम) जैसे भूजल की वृद्धि और सुधार के लिए जल संरक्षण और शास्य।
प्रवर्ग अ : श्रेणी (ii)	जल संचय के व्यापक उपचार के परिणामस्वरूप	तालाब निर्माण, खाई रूपरेखा (कंटूर ट्रेंच), कगार, खाई पुस्ता(कंटूर बन्ड), गोलाश्म अवरोध पीपा ढांचे और झरना शेड विकास, गेबियन स्ट्रक्चर, रिचार्ज पिट, सोख्ता गड्ढे, कंटूर बन्ड जैसे जलसंभर प्रबंधन कार्य।
प्रवर्ग अ : श्रेणी (iii)	सूक्ष्म और लघु सिंचाई कार्य और सिंचाई नहरों तथा नालियों का सृज–1, पुनरूज्जीवन और अनुरक्षण)	नहरों का निर्माण, रजबहा तथा लघु नहरें, नहरो की लाईनिंग, जल मार्गों (वाटर कोर्सेस) फील्ड चेनल का निर्माण, सहस्त्रधारा।
प्रवर्ग अ : श्रेणी (iv)	सिंचाई कुंडों और अन्य जलाशयों की डिसिल्टिंग सहित पारंपरिक जलाशयों का पुनरूज्जीवन।	जलाशयों, तालाबों तथा तलैयों और अन्य पारंपरिक जल निकायों से गाद निकालना, एस्केप वीयर्स, और नियंत्रण ढांचा की मरम्मत, नवीकरण तथा जीर्णोद्धार।
प्रवर्ग अ : श्रेणी (V)	पैरा 5 में आने वाली गृहस्थी (योजनांतर्गत पात्र हितग्राही) के भोगाधिकार सम्यक रूप से प्रदान करके सामान्य और वन भूमि में वृक्षारोपण।	वन भूमियों, सड़क किनारे/नहर किनारे, कुंड तटाग्र और तटीय पट्टी में वन भूमि में वृक्षारोपण (बिगड़े वनों का सुधार एवं बंजर भूमि में वृक्षारोपण)।
प्रवर्ग अ : श्रेणी (vi)	सामान्य भूमि में भूमि विकास कार्य	बागवानी (नर्सरी निर्माण), चरागाह विकास तथा वन चरागाह, मेढ़ बंधान करते हुए भूमि का समतलीकरण और सेपिंग, लवणीय/क्षारीय भूमि सुधार, निकास (ड्रेनेज) मार्गों का निर्माण, निकटतम तालाब से गाद की ढुलाई करके बंजर भूमि पर मृदा को कवर करना, बंजर भूमि/फेलो भूमि का विकास।
प्रवर्ग आ : श्रेणी (i)	भूमि विकास के माध्यम से और खुदे हुए कुओं, कृषि तालाबों तथा अन्य जल संचयन संरचनाओं सहित सिंचाई के लिए उपर्युक्त अव संरचना उपलब्ध कराकर पैरा 5 में विनिदिष्ट गृहस्थियों (योजनांतर्गत पात्र हितग्राही) की भूमि की उत्पादकता में सुधार करना।	संबंधित उपयोजनाएँ– कामधेनू, शैलपर्ण, कपिलधारा (किसानों की निजी भूमि पर कूप निर्माण, खेत तालाब, लघु तालाब, स्टापडेम।
प्रवर्ग आ : श्रेणी (ii)	उद्यान कृषि, रेशम कृषि पौधा रोपण, कृषि वानकी के माध्यम से आजीविका में सुधार करना।	संबंधित उपयोजनाएँ– नर्मदा समग्र, नंदन फलोद्यान, रेशम (शहतूत पौधरोपण), वन्या।

प्रवर्ग आ : श्रेणी (iii)	इसे जुताई के अधीन लाने के लिए पैरा (5) में परिभाषित की गृहस्थियो (योजनांतर्गत पात्र हितग्राही) की परती भूमि बंजर भूमि का विकास।	संबंधित उपयोजनाएँ– भूमिशिल्प, वनवासी संवर्धन, मेरा खेत मेरी माटी
प्रवर्ग आ : श्रेणी (iv)	इंदिरा आवास योजना या ऐसे अन्य राज्य या केन्दीय सरकार की स्कीम के अधीन स्वीकृत गृहों के संनिर्माण में अकुशल मजदूरी सघट।	
प्रवर्ग आ : श्रेणी (v)	कुटकुट आश्रय, बकरी आश्रय, सुकर आश्रय, पशु आश्रय, चारा द्रोणिका जैसे पशु धन के संवर्धन के लिए अवसंरचना का सृजन करना	मुर्गी आश्रय, बकरी आश्रय, सुकर आश्रय, पशु आश्रय, चारा द्रोणिका, मवेशी आहार पूरक के रूप में अजोला आदि संरचनाएँ।
प्रवर्ग आ : श्रेणी (vi)	मछली शुष्कण यार्डो, भंडारण सुविधाओं जैसे मत्स्य पालन और सार्वजनिक भूमि पर मौसमी जलाशयों में मत्स्यपालन के संवर्धन के लिए अवसंरचना सृजित करना।	संबंधित उपयोजना – मीनाक्षी, (तालाब बनाना, मछली सुखाने के यार्डस)।
प्रवर्ग इ : श्रेणी (i)	जैव उर्वरकों और पश्च कटाई सुविधाएँ जिनके अंतर्गत कृषि उत्पाद के लिए पक्का भंडारण सुविधाएं भी है के लिए अपेक्षित टिकाऊ अवसंरचना सृजित करके कृषि उत्पादकता संवर्धन करने के लिए संकर्म।	नाडेप कम्पोस्टींग पिट, वर्मी कम्पोस्टींग, तरल जैव खाद संजीवक और अमृत पानी, कृषि उत्पाद के लिए पक्का भंडारण सुविधाएं।
प्रवर्ग इ : श्रेणी (ii)	स्वयं सहायता समूहों की आजीविका क्रियाकलापों के लिए सामान्य कार्यशाला।	स्वयं सहायता समूहों की आजीविका क्रियाकलापों के लिए कार्यशाला का आयोजन।
प्रवर्ग–ई : श्रेणी (i)	विहित सनियमों के अनुसार स्वतंत्र रूप से या खुले में मल त्याग न करने प्रास्थिति तथा ठोस और द्रव्य अपशिष्ट प्रबंधन को प्राप्त करने के लिए अन्य सरकारी विभागों की स्कीमों के अनुसार व्यष्टिक घरेलू शौचालय विद्यालय एकक, आने वाली आंगनवाड़ी शौचालयों जैसे कार्यो से संबंधित ग्रामीण स्वच्छता।	व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय, विद्यालय एवं आगनवाड़ी में शौचालय ईकाईयॉ एवं ग्रामों की संपूर्ण स्वच्छता के लिये शासन की अन्य स्कीम (जैसे निर्मल भारत अभियान) के अभिसरण से ठोस एवं तरल अपशिष्टों का प्रबंधन जैसे कार्य।
प्रवर्ग–ई : श्रेणी (ii)	असंबद्ध ग्रामों को और विद्यमान पक्का सड़क नेटवर्क के लिए अभिज्ञात ग्रामीण उत्पादन केन्द्रों को जोड़ने के लिए सभी मौसमो में जोड़ने के लिए ग्रामीण सड़क संयोजकता उपलब्ध कराना और ग्राम में पक्की आंतरिक सड़कें व गलियों जिनके अन्तर्गत पाश्विक नालियां और पुलिया भी है, का संनिर्माण।	संबंधित उपयोजनाएँ – मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना, सुदूर ग्राम सडक व खेत सड़क, आंतरिक पथ निर्माण (पंच परमेश्वर की राशि के अभिसरण से कांक्रीट सड़क निर्माण), नर्मदा परिक्रमा पथ निर्माण।

प्रवर्ग–ई : श्रेणी (iii)	खेल के मैदानो का संनिर्माण	संबंधित उपयोजना– ग्रामीण क्रीडांगन।
प्रवर्ग–ई : श्रेणी (iv)	आपदा तैयारी में सुधार करना या सड़कों का जीर्णोद्वार या अन्य आवश्यक सार्वजनिक अवसंरचना जिसके अंतर्गत बाढ़ नियंत्रण और संरक्षण संकर्म भी है का जीर्णोद्वार जलमग्न क्षेत्रों में अपवहन उपलब्ध कराने बाढ़ जलमार्गो की मरम्मत करने चॉयर जीर्णोद्वार, तटीय संरक्षण के लिए तूफानी जल नालियों का संनिर्माण संबंधी संकर्म।	विपथन मार्ग (डायवर्सन चेनल), विपथन वीयर (डायवर्सन वीयर),पेरीफेरल / क्रास बांध, जल भराव क्षेत्र में निकास मार्ग बाढ़ चैनल (मार्गों) की मरम्मत तथा गहरा करना, मध्यम एवं सम्पर्क नालों का निर्माण।
प्रवर्ग–ई : श्रेणी (v)	ग्राम पंचायतो के लिए, महिला स्वसहायता समूहो परिसंघो चक्रवात आश्रय आंगनवाड़ी केन्द्रों ग्रामीण हाटों और ग्राम या ब्लाक स्तर पर शवदाह गृह के लिए भवनों का संनिर्माण	संबंधित उपयोजनाएँ– भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र, आंगनवाडी भवन, शांतिधाम।
प्रवर्ग–ई : श्रेणी (vi)	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, (2013 का 20) के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए खाद्यान भंडारण संरचनाओं का संनिर्माण।	संबंधित उपयोजना–अनाज गोदाम निर्माण।
प्रवर्ग–ई : श्रेणी (vii)	अधिनिमय के अधीन संनिर्माण संकर्मो के लिए ऐसे संकर्मो के प्राक्कलन के भाग के रूप में अपेक्षित निर्माण सामग्री का उत्पादन।	योजनांतर्गत निर्मित होने वाली संरचना में लगने वाली सामग्री जैसे ईट, ट्रीगार्ड (बांस या झाड़ी से निर्मित) आदि सामग्री का उत्पादन।

MAJOR CONVERGENCE PLAYERS WITH ACTIVITIES
(On gap analysis report)
{ NRM based }

S.No.	MGNREGA Activity	Convergence Activities	Convergence Players
1	Irrigation facility - Dug well {Kapildhara - Category(4c)}	Pump Set	Tribal, Agriculture & SGSY
2	Irrigation facility - Watercourses/Field channel {Sahastradhara-Category (4a)}	Implementation through WUA Departmental Technical Support	WRD & NVDA
3	Cluster Area Development {Integrated Micro project-Category(1a)}	CSO's as PIA, Convergence of Agriculture & Livelihood Schemes	Agriculture, Horticulture, Animal Husbandry Department
4	Narmada Valley Catchment Area Treatment { Category(1a) }	Technical Support & Monitoring Implementation by CSO's PIA.	NVDA
5	NREGA Activity	Convergence Activities	Convergence Players
6	Horticulture {Nandan Phalodhyan - Category(4e)}	Convergence with NHM, Technical Support	Horticulture Department
7	Fishries {Minakshi - Category(4d)}	Departmental Schemes, Technical Support	Fisheries Department
8	Nadep Composting	Training & Technical Support	Agriculture Department
9	Vermi Composting		
10	Liquid bio-manures		
11	Sanjeevak or Amrit pani {Agri. related works – Category (10a/10b/10c)}		

12	Poultry shelter	Livestock, Training, Departmental Schemes	Animal Husbandry Department
13	Goat shelter		
14	Cattle Shed		
15	Azolla as cattle-feed supplement {Livestock related works - Category(11a/11b/11c/11d)}		
16	Sericulture {Resham & Vanya - Category(4h)}	Subsidy, Technical & Marketing	Sericulture Department
17	Village Internal C.C. Road {Panch Parmeshwar - Category(8d)}	Financial Part to Maintain 60:40 Ratio	Panchayat & Planning Department
18	Gravel Road {CMGSY - Category(8b)}	Construction of Bridges & Financial Support to Maintain 60:40 Ratio	BRGF & State Plan
19	BNRGSK (MGNREGA Part Rs.10.00 lacks) {Panchayat Bhawan - Category(9a)}	Financial Part to Maintain 60:40 Ratio	BRGF, IAP, Performance Grant
20	Playground {Grameen Kridangan - Category(15c)}	Sports Material {upto 1.00 lac Village & upto 5.00 lac block level}	PYKKA (Panchayat Yuva Krida & khel Abhiyan)
21	Rural Sanitation (IHHL) {NBA - Category (15a)}	Financial Part to Maintain 60:40 Ratio	TSC
22	Rural Drinking Water well {Nirmal Neer - Category (14c)}	Technical Support	Public Health & Engineering Department

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन

क्र.6077/22/वि–9/आरजीएम/07 भोपाल दिनांक 7.4.2007

प्रति,

कलेक्टर,
जिला – **मध्यप्रदेश ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में शामिल जिले**

विषयः मध्यप्रदेश ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत शामिल जिलों में ''कपिल धारा'' उपयोजना के क्रियान्वयन के स[redacted] यथासंशोधित

संदर्भः 1. मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का आदेश क्र.13621/22/वि–7/06 दिनांक 26.8.2006

2. मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का आदेश क्र.15873/22/वि–9/कपिलधारा/2006 दिनांक 6.10.2006

3. मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का आदेश क्र.18807/22/वि–7/06 दिनांक 25.11.2006

4. मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का आदेश क्र.58/22/वि–9/कपिलधारा/2007 दिनांक 2.1.2007

1. **पृष्ठभूमि :–**

मध्यप्रदेश रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत विगत वर्ष शामिल किये गये जिलों में निजी कृषि भूमि पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ''कपिल धारा उपयोजना'' के क्रियान्वयन के दिशा निर्देश संदर्भ में क्र.1 पर उल्लेखित आदेश द्वारा जारी किये गये थे। जिलों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर कालांतर में कपिल धारा उपयोजना के निर्देशों में कतिपय संशोधन कर तदाशय के निर्देश संदर्भ में क्र.2, 3 व 4 पर उल्लेखित आदेशों द्वारा जारी किये गये थे। विगत दिनों ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 6 मार्च 2007 में उल्लेखित अनुसार राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट की अनुसूची – 1 की कंडिका – 1 (iv) में

यह संशोधन किया गया है कि पूर्व में शामिल वर्गों के हितग्राहियों के अतिरिक्त गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले वर्ग के परिवारों द्वारा धारित भूमि हेतु भी सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है।

अतः उक्त के अनुक्रम में संदर्भ में उल्लेखित समस्त आदेशों को निरस्त करते हुए कपिल धारा उपयोजना की आयोजना व क्रियान्वयन के संबंध में यह यथासंशोधित आदेश जारी किये जा रहे हैं। इस आदेश में उल्लेखित दिशा निर्देश विगत वर्ष तथा वर्तमान वर्ष में मध्यप्रदेश रोजगार गारंटी योजना में शामिल किये गये सभी जिलों हेतु लागू होंगे।

2 आवश्यकता व उद्देश्य : –

वर्षा आधारित एवं सिंचाई सुविधा विहिन कृषि क्षेत्रों में वर्षा की अनियमितता अथवा कमी के कारण कृषि उत्पादन प्रभावित होता है। इन क्षेत्रों के अपेक्षाकृत पिछड़े परन्तु जागरूक कृषक जो समुचित कृषि भूमि धारित करते हैं और जो कृषि हेतु अधोसंरचनात्मक व्यवस्थायें जुटाने में सक्षम हैं, यदि उनकी कृषि भूमि की सिंचाई हेतु पानी का कारगर स्त्रोत उपलब्ध करा दिया जाये तो कृषि उत्पादन में सुनिश्चितता तथा ऐसे कृषकों की आजीविका में गुणात्मक सुधार संभव है। इस परिप्रेक्ष्य में कृषि भूमि हेतु सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य हेतु ''कपिल धारा'' उपयोजना की आयोजना व क्रियान्वयन किया जायेगा।

3 कार्य क्षेत्र :–

कपिलधारा उपयोजना का कार्य क्षेत्र मध्यप्रदेश ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में शामिल जिलों के सभी ग्राम होंगे।

4. लिये जा सकने वाले कार्य :–

4.1 कपिल धारा उपयोजना के निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पानी का सुनिश्चित एवं कारगर स्त्रोत विकसित किया जायेगा, जिसके लिए निम्नानुसार कार्य लिये जा सकेंगे :–

1. नवीन कुआं–भूजल पुर्नभरण की व्यवस्था के साथ (Dug well with ground water recharge structure)
2. खेत तालाब (Farm Pond/Dugout Pond)
3. मैसेनरी चैक डेम/स्टाप डेम/आर.एम.एस.
4. लघु तालाब (Micro Tank)

5. आयोजना :–

कपिल धारा उपयोजना की आयोजना के महत्वपूर्ण चरण निम्नानुसार होंगे :–

5.1 हितग्राही परिवार का चयन :

5.1.1 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट की अनुसूची – 1 की संशोधित कंडिका 1 (IV) (ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 6 मार्च 2007) में निम्न वर्ग के हितग्राहियों की स्वामित्व वाली कृषि भूमि हेतु सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है :–

- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के परिवार
- गरीबी रेखा के नीचे के परिवार
- भूमि सुधार (Land Reforms) के हितग्राही
- इंदिरा आवास योजना के हितग्राही

51.2 अतः कपिल धारा उपयोजना के क्रियान्वयन के लिए कार्य क्षेत्र में शामिल ग्रामों में पैरा 5.1.1 में उल्लेखित वर्गों में से ऐसे हितग्राही परिवारों का चयन प्राथमिकता के आधार पर किया जाना है, जो निम्न सभी मानदण्डों की पूर्ति करते हैं :–

1. जिनके स्वामित्व वाली कृषि भूमि वर्षा आधारित (Rainfed) है व इसकी सिंचाई हेतु खेत में पानी का स्त्रोत उपलब्ध नहीं हैं।

2. जिनके स्वामित्व वाली कृषि भूमि की जोत (Operational land holding) ग्राम में एक ही जगह पर अथवा अलग अलग जगहों पर मिलाकर 2 हेक्टेयर व इससे ज्यादा है। यदि किसी ग्राम पंचायत के कार्य क्षेत्र में 2 हेक्टेयर अथवा इससे अधिक जोत की कृषि भूमि के स्वामित्व वाले हितग्राही उपलब्ध नहीं हैं तो 2 हेक्टेयर से कम एवं न्यूनतम 1.00 हेक्टेयर की सीमा तक की जोत की कृषि भूमि के स्वामित्व वाले हितग्राहियों को कपिल धारा उपयोजना के हितग्राही के रूप में चयनित किया जा सकेगा

3. जिनके परिवार का कम से कम 1 सदस्य न्यूनतम 5वीं कक्षा पास हो/पढ़ा हुआ हो। Primitive Tribe जैसे सहरिया, बैगा, भारिया के लिए यह मानदण्ड लागू नहीं होगा।

4. जो कृषि की आधुनिक/Improved पद्धतियों तथा तकनीकों को अपनाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं व इस संदर्भ में सकारात्मक सोच रखते हैं।

5.1.3 उपरोक्त मानदण्डों के आधार पर प्रत्येक ग्राम पंचायत, प्रत्येक वर्ष अपने कार्य क्षेत्र के हितग्राहियों का विश्लेषण कर ग्राम सभा की अनुशंसा से ***प्रतिवर्ष न्यूनतम 25 सर्वाधिक उपयुक्त हितग्राहियों का चयन*** पैरा – 9.1 में उल्लेखित लक्ष्यों के अनुक्रम में निर्धारित संख्या के अनुसार करेगी।

5.2 कार्य का चयन, निर्माण स्थल की अनुशंसा व अनुमोदन :–

5.2.1 सर्वप्रथम चयनित किये गये हितग्राहियों को उनके स्वामित्व वाली कृषि भूमि हेतु सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए पैरा – 4.1 में उल्लेखित अनुसार लिये जा सकने वाले कार्यों के विकल्पों से ग्राम पंचायत द्वारा अवगत कराया जायेगा।

5.2.2 तत्पश्चात हितग्राही अपने स्वयं के खेत व आस पास के खेतों, कुओं तथा समीप बहने वाले नदी–नालों का सर्वेक्षण कर अपने अनुभव के आधार पर व स्थानीय परिस्थितियों की उपयुक्तता (feasibility) को ध्यान में रखकर लिये जा सकने वाले कार्यों के विकल्पों में से उचित व औचित्यपूर्ण कार्य का चयन करेंगे। ऐसे क्षेत्र भूजल की उपलब्धता ठीक नहीं है, वहां पर कुयें का चयन के बजाय पैरा 4.1 में उल्लेखित अन्य कार्यों के चयन को प्राथमिकता दी जाये। कार्य के चयन के साथ ही हितग्राहियों द्वारा चयनित कार्य के निर्माण स्थल की भी अनुशंसा की जायेगी। प्रत्येक चयनित हितग्राही पैरा – 4.1 में उल्लेखित कार्यों के विकल्पों से अधिकतम 1 कार्य का चयन कर सकेगा।

5.2.3 चयनित हितग्राही द्वारा अपने लिए पृथक पृथक कार्य का चयन करने पर इसे व्यक्तिगत गतिविधि माना जायेगा। 1 से अधिक हितग्राही द्वारा सामूहिक रूप से 1 या अधिक कार्यों का चयन करने पर इसे सामूहिक गतिविधि माना जायेगा। कुआं सामान्यतः व्यक्तिगत गतिविधि (Individual activity) के रूप में लिया जायेगा। उपयुक्त स्थल के अभाव में अपवाद स्वरूप ही हितग्राहियों की सहमति होने पर ही कुआं सामुहिक गतिविधि (Group activity) के रूप में लिया जाये। अन्य कार्य, क्षेत्र की स्थानीय परिस्थितियों की उपयुक्तता (feasibility of local specific conditions) के आधार पर तथा हितग्रहियों की सहमति अनुसार व्यक्तिगत व सामूहिक गतिविधि दोनों स्वरूप में लिये जा सकते हैं।

5.2.4 **चयनित कार्य का स्वरूप सामूहिक गतिविधि का होने पर ग्राम पंचायत द्वारा इससे लाभ लेने वाले हितग्राहियों का उपयोगकर्ता दल गठित किया जायेगा।**

5.2.5 कार्यों के चयन व निर्माण स्थल की अनुशंसा सहित हितग्राही द्वारा निर्धारित प्रपत्र में ग्राम पंचायत को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जायेगा। आवेदन पत्र में हितग्राही द्वारा चयनित कार्य के प्रस्तावित आकार (उदाहरणस्वरूप कुयें के संबंध में इसका व्यास व गहराई तथा चैक डेम के संबंध में लंबाई व चौड़ाई आदि आदि) का अनुमानित विवरण भी उल्लेखित किया जायेगा। कार्य का स्वरूप व्यक्तिगत गतिविधि का होने पर हितग्राही द्वारा **अनुलग्नक** – 1 तथा सामुहिक गतिविधि होने

पर हितग्राही के उपयोगकर्ता दल द्वारा **अनुलग्नक–2** में उल्लेखित प्रारूप का उपयोग आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के लिए किया जायेगा।

5.2.6 हितग्राहियों से प्राप्त आवेदन के आधार पर ग्राम पंचायत के सरपंच, क्षेत्र के पटवारी तथा उपयंत्री/कृषि विभाग के सर्वेयर के दल द्वारा चयनित कार्य व इसके निर्माण स्थल की उपयुक्तता तथा औचित्य का परीक्षण स्थानीय परिस्थितियों (Local Specific Condition) तथा तकनीकी पहलुओं के आधार पर किया जायेगा। यदि चयनित कार्य व निर्माण स्थल उचित नहीं है तो हितग्राहियों से सलाह मशविरा कर तथा उन्हें मार्गदर्शन प्रदान कर कार्य के चयन व इसके निर्माण स्थल में परिवर्तन किया जा सकेगा, जिस पर हितग्राही की सहमति भी ली जायेगी। उदाहरणस्वरूप यदि हितग्राही द्वारा कुयें का चयन किया गया है, जबकि क्षेत्र के भूगर्भीय संस्तर (Geological Formation) ऐसे हैं, जिनमें भूजल की उपलब्धता नगण्य है तो हितग्राही को लिये जा सकने वाले कार्यों के शेष विकल्पों में से उपयुक्त कार्य के चयन के लिए मार्गदर्शन दिया जायेगा। इसी तरह यदि हितग्राहियों द्वारा किसी ऐसे स्थल पर चैक डेम प्रस्तावित किया है, जहां का कैचमेंट अत्यंत छोटा होने के कारण पानी के आवक की संभावना कम है तो इस चैक डेम के यथोचित स्थान पर निर्माण के लिए हितग्राहियों को मार्गदर्शन दिया जायेगा।

5.2.7 उपरोक्तानुसार दल द्वारा परीक्षण के उपरांत चयनित कार्य व इसके निर्माण स्थल के संबंध में अंतिम निर्णय हितग्राहियों द्वारा लिया जायेगा। इसके उपरांत दल में शामिल उपयंत्री/कृषि विभाग के सर्वेयर द्वारा चयनित कार्य के डिजाईन व आकार (Dimension) (जैसे कुएं का व्यास व गहराई, चैक डेम की लंबाई, चौड़ाई व साइड स्लोप आदि) का निर्धारण किया जायेगा। कपिल धारा उपयोजना के अंतर्गत लिये जा सकने वाले कार्यों के मानक मॉडल **अनुलग्नक–3** पर दर्शाये गये हैं। यह मॉडल पूर्णतः सांकेतिक हैं, अतः स्थानीय स्तर पर निर्माण स्थल की विशिष्टताओं व तकनीकी पहलुओं को ध्यान में रखकर ही चयनित कार्य के डिजाईन व आकार का निर्धारण किया जाये, जो अनुलग्नक–3 पर दर्शाये गये मानक मॉडलों के आकार से कम व ज्यादा हो सकता है। चयनित कार्य के डिजाईन व आकार का निर्धारण होने

पर उपयंत्री/कृषि विभाग के सर्वेयर **अनुलग्नक – 4** पर दर्शाये गये प्रपत्र में कार्य के अनुमोदन हेतु ग्राम पंचायत को अपनी अनुशंसा प्रेषित करेगा।

5.2.8 उपरोक्तानुसार अनुशंसा प्राप्त होने के बाद ग्राम पंचायत अपनी बैठक आयोजित कर इन कार्यों को अनुमोदित करेगी। तत्पश्चात कपिल धारा उपयोजना के इन कार्यों का अनुमोदन जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत से कराया जावेगा। जिला, जनपद एवं ग्राम पंचायत का अनुमोदन अनिवार्य होगा। त्रिस्तरीय पंचायत से अनुमोदन के उपरांत कपिल धारा उपयोजना के कार्यों को शेल्फ आफ प्रोजेक्ट में शामिल किया जायेगा।

6. कार्य का प्राक्कलन व स्वीकृतियां :–

6.1 शेल्फ आफ प्रोजेक्ट में शामिल कपिल धारा उपयोजना के कार्यों के निर्माण हेतु उपयंत्री/कृषि विभाग के सर्वेयर द्वारा अनुशंसित डिजाईन व आकार (Dimension) के आधार पर प्राक्कलन तैयार किया जायेगा। कपिल धारा उपयोजना के अंतर्गत लिये जा सकने वाले कार्यों की इकाई लागत **अनुलग्नक–3** पर ही दर्शाई गई हैं। यह इकाई लागत पूर्णतः सांकेतिक हैं, अतः स्थानीय स्तर पर निर्माण स्थल की विशिष्टताओं व तकनीकी पहलुओं को ध्यान में रखकर ही चयनित कार्य की इकाई लागत का निर्धारण किया जाये। कपिल धारा उपयोजना के अंतर्गत लिये जा सकने वाले कार्यों की विकासखण्डवार इकाई लागत का निर्धारण भी श्रेयस्कर होगा।

6.2 चयनित कार्यों के डिजाईन, आकार व प्राक्कलन की 2 प्रतियां तैयार की जायेंगी, जिनमें से 1 प्रति हितग्राही को तथा दूसरी प्रति ग्राम पंचायत को दी जायेगी।

6.3 कपिल धारा उपयोजना के तहत उपरोक्तानुसार कार्यों की डिजाईन, आकार व प्राक्कलन के निर्धारण के उपरांत प्रशासकीय व तकनीकी स्वीकृति मध्यप्रदेश ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत समय समय पर जारी निर्देशों के प्रावधानों के अनुरूप जारी की जायेगी।

7. क्रियान्वयन व गुणवत्ता :–

7.1 चयनित कार्यों के क्रियान्वयन का प्राथमिकता क्रम ग्राम पंचायत निर्धारित करेगी तथा तत्संबंध में हितग्राहियों के नाम व इनके कार्य का नाम अपने नोटिस बोर्ड पर चस्पा करेगी।

7.2 कपिल धारा उपयोजना के उपरोक्तानुसार अनुमोदित व प्रशासकीय तथा तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कार्यों का क्रियान्वयन ग्राम पंचायत द्वारा कार्य हेतु चयनित निर्माण स्थल पर किया जायेगा। कार्यों का क्रियान्वयन मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के आदेश क्र.3136/22/वि–7/एमपीआरईजीएस/2007 दिनांक 20.2.2007 के अनुसार स्वसहायता समूहों के माध्यम से भी ग्राम पंचायत के पर्यवेक्षण में किया जा सकता है। ग्राम पंचायत यह सुनिश्चित करेगी कि कार्य का क्रियान्वयन निर्धारित डिजाईन तथा मानदण्डों के अनुरूप पूर्ण किया जाये और तकनीकी रूप से गुणवत्तापूर्ण हो। कार्य की गुणवत्ता के संदर्भ में किसी भी स्थिति में कोई समझौता न किया जाये। अधूरे कार्य को किसी भी स्थिति में पूर्ण मानकर समाप्त न किया जाये।

7.3 कपिल धारा उपयोजना के कार्यों के क्रियान्वयन में पारदर्शिता बरतने, निगरानी, मूल्यांकन, कार्य की माप, मजदूरी का भुगतान, रिकार्ड एवं लेखा संधारण तथा अन्य अभिलेखों के संधारण के संबंध में मध्यप्रदेश ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत समय समय पर जारी निर्देशों के प्रावधान यथावत लागू होंगे। हितग्राही कृषक भी उसके लिए क्रियान्वित किये जा रहे कार्य की निगरानी कर सकेगा।

7.4 कार्य के पूर्ण होने पर हितग्राही कृषक से पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा, जिस पर सरपंच तथा उपयंत्री/कृषि विभाग के सर्वेयर कार्य की पूर्णता प्रमाणित कर हस्ताक्षर करेंगे। तदोपरांत यह पूर्णता प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत अपने रिकार्ड में संधारित करेगी। कार्य के निर्माण स्थल पर भूमि स्वामी हितग्राही/उपयोगकर्ता दल के सदस्यों के नाम, कार्य की लागत व आकार अंकित करते हुए एक बोर्ड भी लगाया जायेगा। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत अपने भवन के सहगोचर स्थल पर कपिल धारा उपयोजना से लाभान्वित हितग्राहियों के नाम, उनके द्वारा लिये गये कार्य, कार्य पर व्यय राशि तथा कार्य की पूर्णता दिनांक पेंट से अंकित करेगी।

7.5 कपिलधारा उपयोजना के अंतर्गत संपादित कार्य का विवरण पटवारी द्वारा राजस्व रिकार्ड में भी अनिवार्यतः दर्ज किया जाये।

7.6 विभाग के आदेश क्र.3665/22/वि–7/ग्रा.यां.से./06 दिनांक 22.6.2006 में ग्रामीण विकास विभाग के तहत किये जाने वाले निर्माण कार्यों का Exit Protocol तैयार किये जाने बाबत् दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। इन दिशा निर्देशों के अनुरूप कपिलधारा उपयोजना के तहत संपादित किये जाने वाले कार्यों का Exit Protocol अनिवार्यतः संधारित किया जाये।

7.7 यह सुनिश्चित किया जाये कि नवीन कुओं तथा खेत तालाब का निर्माण कार्य मानसून पूर्व पूर्ण कर लिये जायें। अन्य चयनित कार्य वित्तीय वर्ष की शेष अवधि में भी कराये जा सकते हैं।

8. निर्मित संरचनाओं के रख रखाव का दायित्व तथा इनसे पानी का वितरण

8.1 निर्मित संरचनाओं के रख रखाव का दायित्व संबंधित हितग्राही अथवा उपयोगकर्ता दल के सदस्यों का होगा। अतः इस संबंध में ग्राम पंचायत द्वारा हितग्राही अथवा उपयोगकर्ता दलों को स्पष्ट समझाईश कार्य प्रारंभ होने के पूर्व ही दे दी जानी चाहिये।

8.2 व्यक्तिगत गतिविधि से पानी के उपयोग का अधिकार संबंधित हितग्राही का होगा। परन्तु सामुहिक गतिविधि से पानी के समानता एवं सामाजिक न्याय के आधार पर सर्वमान्य प्रक्रिया के अनुसार वितरण सुनिश्चित होना चाहिये। इस हेतु वितरण की प्रक्रिया कार्य प्रारंभ होने के पूर्व तय कर ग्राम पंचायत द्वारा लिपिबद्ध कर ली जानी चाहिये, ताकि क्रियान्वयन के पश्चात विवाद की स्थिति निर्मित न हो।

9. लक्ष्य :–

9.1 मध्यप्रदेश ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत जिले को प्रति वर्ष प्राप्त होने वाली राशि में से ग्राम पंचायतों को प्रदत्त की गई राशि का उपयोग इस प्रकार किया जाना है, ताकि प्रत्येक ग्राम पंचायत के कार्य क्षेत्र में निवास करने वाले न्यूनतम 25 हितग्राही प्रतिवर्ष कपिल धारा उपयोग के क्रियान्वयन से लाभान्वित हो सकें। कपिल धारा उपयोजना के अंतर्गत जिलेवार लाभान्वित किये जा सकने वाले हितग्राहियों का अनुमानित वार्षिक लक्ष्य (वर्ष 2007–08) तथा वित्तीय संसाधनों के नियोजन की अनुमानित वार्षिक आवश्यकता **अनुलग्नक –5** पर दर्शाई गई है।

10. मॉनिटरिंग व रिपोर्टिंग :–

10.1 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत अपने क्षेत्राधीन ग्राम पंचायतों में कपिल धारा उपयोजना के कार्यों की गुणवत्ता व समयबद्ध क्रियान्वयन की नियमित मॉनिटरिंग करेंगे।

10.2 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत द्वारा भी कपिल धारा उपयोजना के कम से कम से 20% कार्यों के गुणवत्तापूर्ण व समयबद्ध क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग की जायेगी।

10.3 क्वालिटी मॉनिटर द्वारा कपिल धारा उपयोजना के शत प्रतिशत कार्यों की मॉनिटरिंग की जायेगी।

10.4 कपिल धारा उपयोजना के कार्यों की प्रगति की जानकारी **अनुलग्नक – 6** में दर्शाये गये प्रपत्र में प्रत्येक माह की 10 तारीख तक सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को प्रेषित की जायेगी।

कृपया कपिल धारा उपयोजना की आयोजना व क्रियान्वयन हेतु समुचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

हस्ता/–
(प्रदीप भार्गव)
अपर मुख्य सचिव
एवं विकास आयुक्त
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
म.प्र.भोपाल

पृ.क्र. 6078/22/वि–9/आरजीएम/07 भोपाल दिनांक 7.4.2007

प्रतिलिपि :–

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जिला – मध्यप्रदेश ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में शामिल जिलों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

हस्ता/–
(प्रदीप भार्गव)
अपर मुख्य सचिव
एवं विकास आयुक्त
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
म.प्र.भोपाल

अनुलग्नक – 1

कपिल धारा उपयोजना के अंतर्गत व्यक्तिगत गतिविधि हेतु आवेदन

प्रति,

सरपंच,
ग्राम पंचायत .....
जनपद पंचायत .....
जिला .....

विषयः कपिल धारा उपयोजना के अंतर्गत कार्य हेतु आवेदन।

मैं कपिलधारा उपयोजना के अंतर्गत अपने खेत में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु .... कार्य (व्यक्तिगत गतिविधि) का निर्माण करवाना चाहता हूँ। मेरी भूमि के खसरा की प्रति/भू–अभिलेख ऋण पुस्तिका भाग – 1 की प्रतिलिपि संलग्न है। अन्य आवश्यक विवरण निम्नानुसार है :–

1. आवेदक का नाम : .....
2. पिता/पति का नाम : .....
3. ग्राम : .....
4. धारित कुल भूमि का रकबा : ..... हेक्टेयर
5. खसरा नंबर : ..... जिसमें उक्त कार्य का निर्माण प्रस्तावित है।
6. प्रस्तावित संरचना का अनुमानित आकार
   .....
   .....
   .....
   .....

उपरोक्तानुसार कार्य का क्रियान्वयन होने पर निर्मित होने वाली संरचना का रख रखाव का दायित्व मेरा स्वयं का होगा।

हितग्राही के हस्ताक्षर

अनुलग्नक – 2

कपिल धारा उपयोजना के अंतर्गत सामुहिक गतिविधि हेतु आवेदन

प्रति,

सरपंच,
ग्राम पंचायत .....
जनपद पंचायत .....
जिला .....

विषयः कपिल धारा उपयोजना के अंतर्गत कार्य हेतु आवेदन।

कपिलधारा उपयोजना के अंतर्गत हम निम्नानुसार आवेदक अपने खेतों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु ..... कार्य (सामुहिक गतिविधि) का निर्माण करवाना चाहते हैं। हमारी भूमि के खसरा की प्रति/भू–अभिलेख ऋण पुस्तिका भाग – 1 की प्रतिलिपि संलग्न है। अन्य आवश्यक विवरण निम्नानुसार है :–

1. **आवेदकों का विवरण :**

क्र.	आवेदकों के नाम	पिता/पति का नाम	ग्राम	धारित भूमि का कुल रकबा (हेक्टेयर में)

2. खसरा नंबर : ..... जिसमें उक्त कार्य का निर्माण प्रस्तावित है।
3. प्रस्तावित संरचना का अनुमानित आकार
   .....
   .....
   .....
   .....

उपरोक्तानुसार कार्य का क्रियान्वयन होने पर निर्मित होने वाली संरचना का रख रखाव का दायित्व हमारे द्वारा गठित उपयोगकर्ता दल का होगा।

हितग्राहियों के हस्ताक्षर

कपिल धारा उपयोजना के अंतर्गत लिये जा सकने वाले कार्यों के मॉडल मानक व इकाई लागत

कुऐं के मॉडल मानक तथा इकाई लागत

क्र.	भू–गर्भीय संस्तर का प्रकार	व्यास (मीटर)	गहराई (मीटर)	लाईनिंग (मीटर)	इकाई लागत (रूपये में)
1.	बेसाल्ट	5.00	12.00	3.00	42100
2.	बेसाल्ट को छोड़कर अन्य कड़ी चट्टाने	4.00	12.00	3.00	29500
3.	अलूवियम में ब्रिक लाईनिंग के साथ	2.5	20.00	20.00	39600
4.	अलूवियम में आर.सी.सी. लाईनिंग के साथ (Ring well)	2.00	10.00	10.00	25100

कुयें के साथ भूजल रिचार्ज पिट का आकार–3 मी.x3मी.x3 मी. तथा लागत – रू 3500

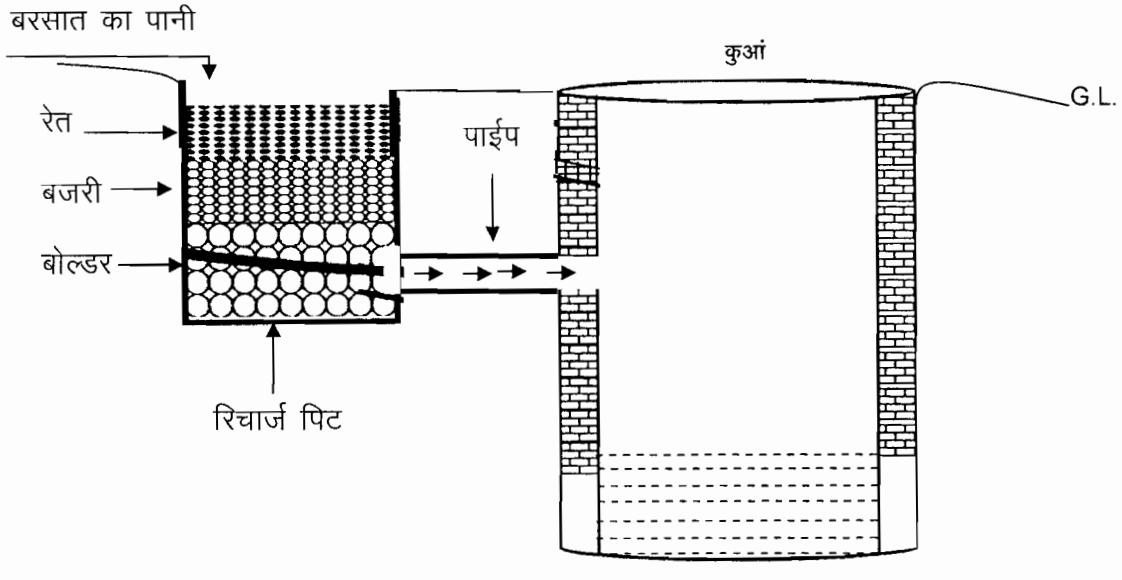

नोट : मानक/मार्गदर्शी प्राक्कलन में दर्शित इकाई लागत तत्समय लागू जिला अनुसार दर अनुसूची हैं। अतएव चालू वित्तीय वर्ष में लागू फिल्म दर अनुसूची अनुसार एवं स्थल के वास्तविक सर्वेक्षण उपरांत प्राक्कलन बनाये जावे।

खेत तालाब के मानक मॉडल व इकाई लागत

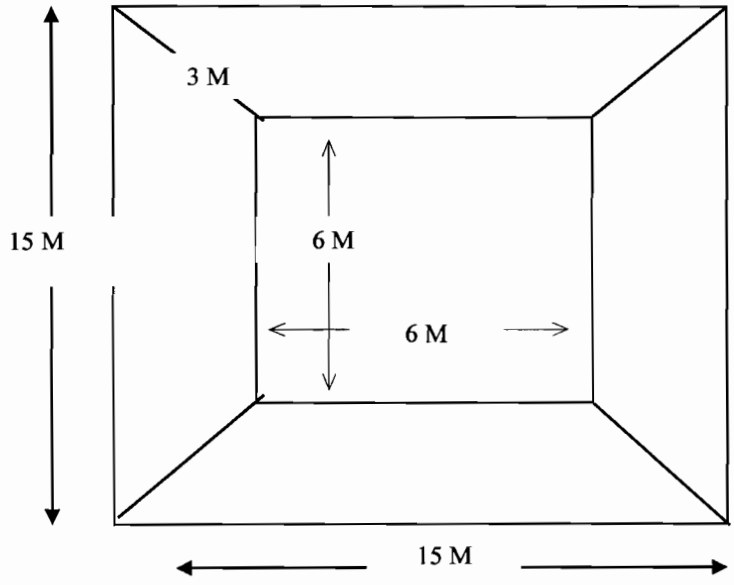

(साईड स्लोप 1.5:1)

(0.5 हेक्टेयर भूधारिता हेतु)

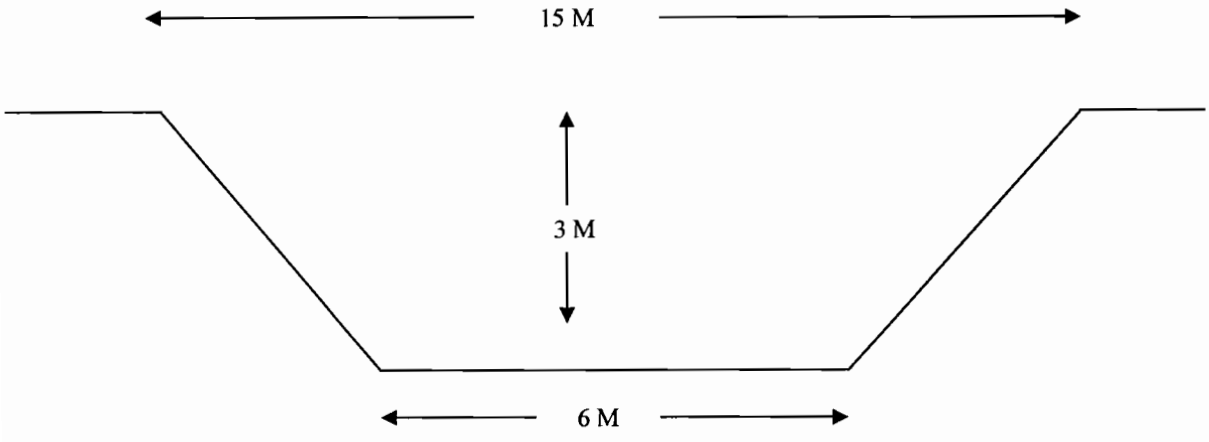

SECTION

इकाई लागत

क्र.	विवरण	सं.	लंबाई	चौड़ाई	गहराई	मात्रा	इकाई	दर	राशि (रूपये में)
1.	खुदाई कार्य	1	15X15+6 X6 / 2		3.00	391.50			
	कड़ी मिट्टी में (50%)		391.5X1 / 2			195.75	घ.मी.	25.35	4962.00
	कड़ी मुरम में (50%)		391.5 X1 / 2			195.75	घ.मी.	33.61	6579.00
				इनलेट आउटलेट हेतु					1900.00
									13441.00
								अथवा	13400.00

नोट : मानक/मार्गदर्शी प्राक्कलन में दर्शित इकाई लागत तत्समय लागू जिला अनुसार दर अनुसूची हैं। अतएव चालू वित्तीय वर्ष में लागू फिल्म दर अनुसूची अनुसार एवं स्थल के वास्तविक सर्वेक्षण उपरांत प्राक्कलन बनाये जावे।

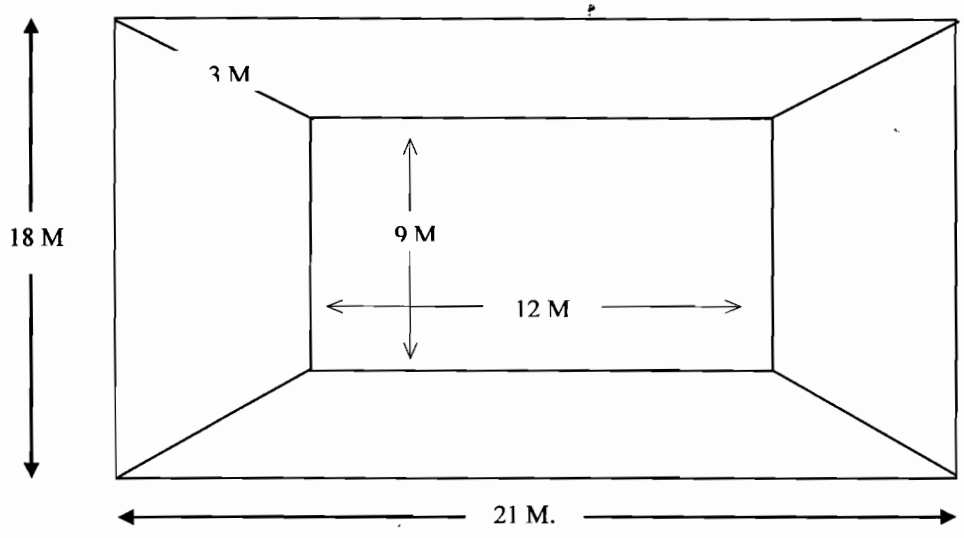

(साईड स्लोप 1.5:1)

(1 हेक्टेयर भूधारिता हेतु)

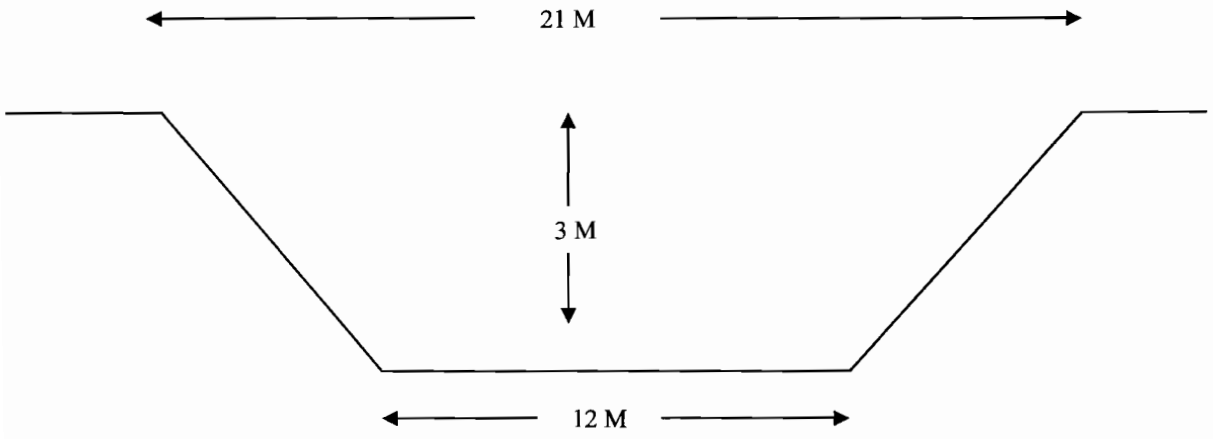

SECTION

इकाई लागत

क्र.	विवरण	सं.	लंबाई	चौड़ाई	गहराई	मात्रा	इकाई	दर	राशि (रूपये में)
1.	खुदाई कार्य	1	21X18+12 X9 / 2		3.00	729.00			
	कड़ी मिट्टी में (50%)		729X1 / 2			364.50	घ.मी.	25.35	9240.00
	कड़ी मुरम में (50%)		729X1 / 2			364.50	घ.मी.	33.61	12251.00
				इनलेट आउटलेट हेतु					2700.00
									24191.00
								अथवा	24200.00

नोट : मानक/मार्गदर्शी प्राक्कलन में दर्शित इकाई लागत तत्समय लागू जिला अनुसार दर अनुसूची हैं। अतएव चालू वित्तीय वर्ष में लागू फिल्म दर अनुसूची अनुसार एवं स्थल के वास्तविक सर्वेक्षण उपरांत प्राक्कलन बनाये जावे।

।

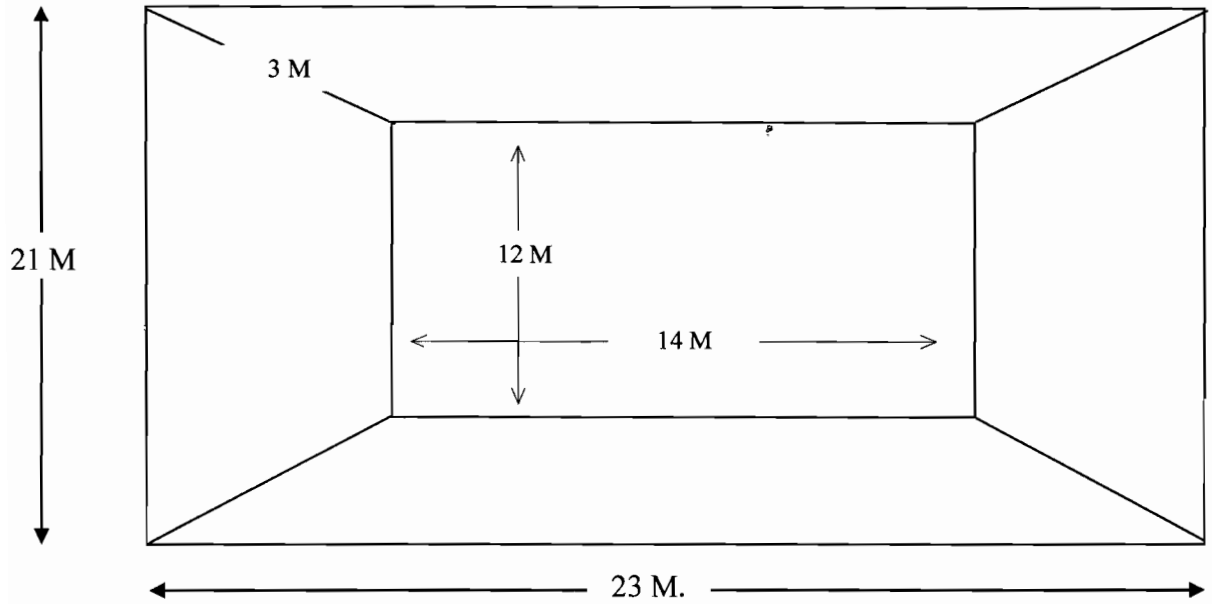

(साईड स्लोप 1.5:1)

(1.5 हेक्टेयर भूधारिता हेतु)

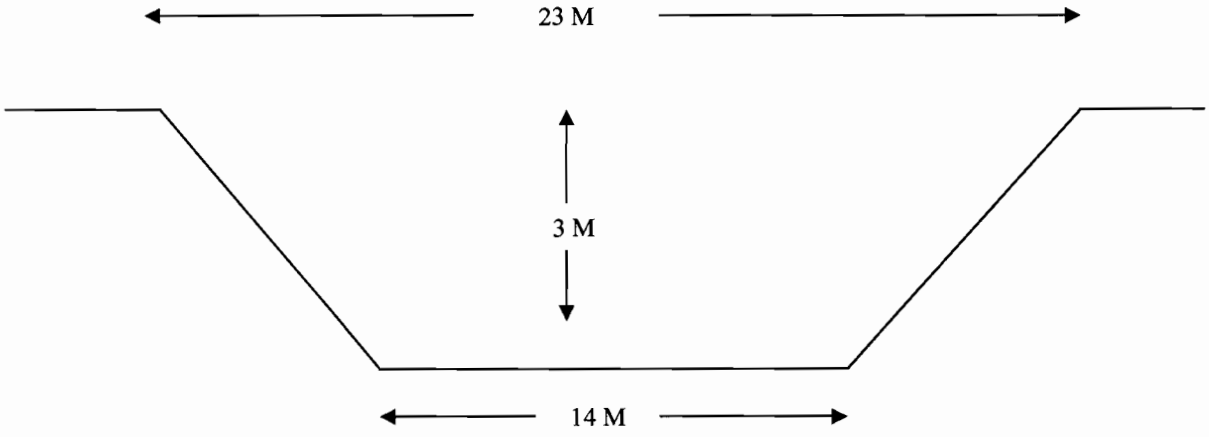

SECTION

इकाई लागत

क्र.	विवरण	सं.	लंबाई	चौड़ाई	गहराई	मात्रा	इकाई	दर	राशि (रूपये में)
1.	खुदाई कार्य	1	23X21+14 X12 / 2		3.00	976.50			
	कडी मिट्टी में (50%)		976.50X1 / 2			488.25	घ.मी.	25.35	12377.00
	कड़ी मुरम में (50%)		976.5 X1 / 2			488.25	घ.मी.	33.61	16410.00
				इनलेट आउटलेट हेतु					3900.00
									32687.00
								अथवा	32700.00

नोट : मानक/मार्गदर्शी प्राक्कलन में दर्शित इकाई लागत तत्समय लागू जिला अनुसार दर अनुसूची हैं। अतएव चालू वित्तीय वर्ष में लागू फिल्म दर अनुसूची अनुसार एवं स्थल के वास्तविक सर्वेक्षण उपरांत प्राक्कलन बनाये जावे।

मैसेनरी चैक डेम का मानक मॉडल व इकाई लागत

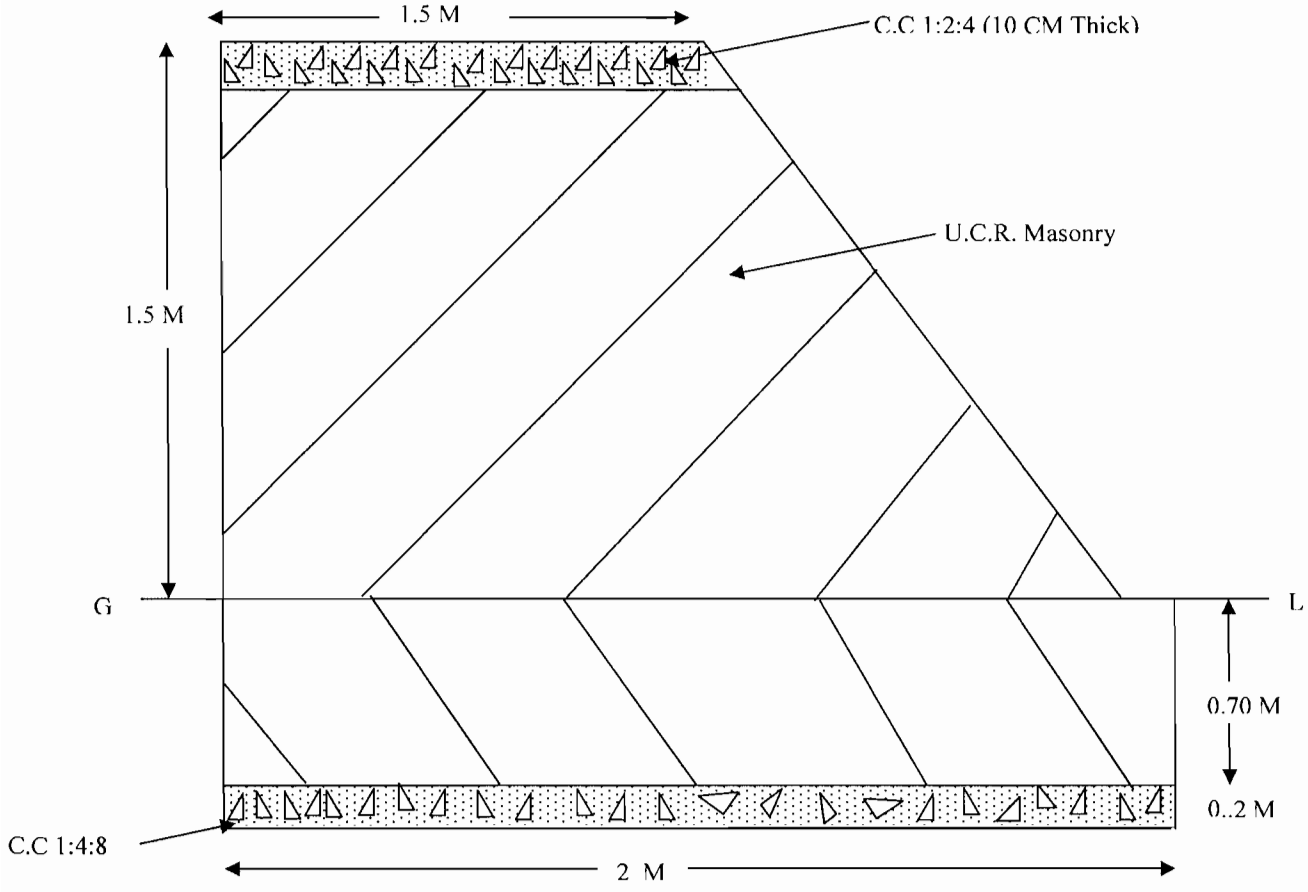

CROSS - SECTION

इकाई लागत

क्र.	विवरण	सं.	लंबाई	चौड़ाई	ऊंचाई	मात्रा	इकाई	दर	राशि (रूपये में)
1.	कड़ी मिट्टी में खुदाई	1	12.00	2.00	0.90	21.60	घ.मी.	25.35	548
2.	सी.सी. 1:4:8 (40 मि.मी. गिट्टी के साथ)	1	12.00	2.00	0.20	3.12	घ.मी.	1145.27	3573
3.	नीवों और कुर्सियों में अनुमोदित कोटि के बेरद्देदार पत्थर की चिनाई सीमेंट मसाला 1:6 से	1	12.00	2.00	0.70	16.80	घ.मी.		
		1	12.00	1.8+1.5/2	1.50	29.70	घ.मी.		
						46.50	घ.मी.	936.91	43566
4.	सी.सी. 1:2:4 (20 मि.मी. गिट्टी के साथ)	1	12.00	1.50	0.10	1.80	घ.मी.	1731.89	3117
							घ.मी.		50805
								अथवा	50000.00

नोट : मानक/मार्गदर्शी प्राक्कलन में दर्शित इकाई लागत तत्समय लागू जिला अनुसार दर अनुसूची हैं। अतएव चालू वित्तीय वर्ष में लागू फिल्म दर अनुसूची अनुसार एवं स्थल के वास्तविक सर्वेक्षण उपरांत प्राक्कलन बनाये जावे।

लघु तालाब हेतु बंड का मानक मॉडल व इकाई लागत

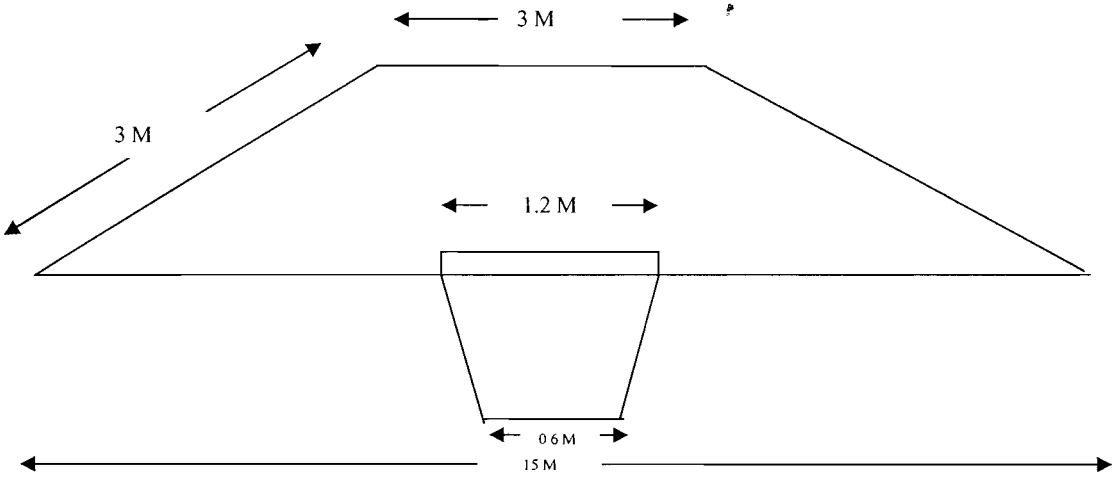

CROSS - SECTION

इकाई लागत

क्र.	विवरण	सं.	लंबाई	चौड़ाई	गहराई	मात्रा	इकाई	दर	राशि (रूपये में)
1.	पडल खुदाई	1	33.00	1.20+0.6 / 2	1.20	35.64	घ.मी.	25.35	903
2.	पडल भराई	1	33.00	1.2+0.6 / 2	1.2	35.64	घ.मी.		
		1	33.00	1.20	0.60	23.76	घ.मी.		
						59.40	घ.मी.	113.77	67.58
3.	खुदाई कार्य (बंड हेतु)	1	33.00	3.00+15.00 / 2	3.00	891.00	घ.मी.		
	कड़ी मिट्टी में खुदाई, लकड़ी या लोहे के दुरमुट से कुटाई सहित (50%)			891.00	0.50	445.50	घ.मी.	31.30	13944
4.	कड़ी मुरम में खुदाई, लकड़ी या लोहे के दुरमुट से कुटाई सहित			891.00	0.50	445.50	घ.मी.	35.21	15686
5.	वेस्ट वियर हेतु कड़ी मुरम में खुदाई	1	33.00	3.00	1.00	99.00	घ.मी.	33.61	3327
6.	22 सेमी. मौटे बीने हुए पत्थर की सूखी पिचिंग करना	1	33.00		3.00	99.00	व.मी.	91.39	9048
									49667
								अथवा	50000.00

नोट : मानक / मार्गदर्शी प्राक्कलन में दर्शित इकाई लागत तत्समय लागू जिला अनुसार दर अनुसूची हैं। अतएव चालू वित्तीय वर्ष में लागू फिल्म दर अनुसूची अनुसार एवं स्थल के वास्तविक सर्वेक्षण उपरांत प्राक्कलन बनाये जावे।

अनुलग्नक – 4

प्रति,

सरपंच,
ग्राम पंचायत .....
जनपद पंचायत .....
जिला .....

विषयः कपिल धारा उपयोजना के अंतर्गत हितग्राही/हितग्राहियों चयनित कार्य व इसके निर्माण स्थल के संबंध में अनुशंसा।

कपिल धारा उपयोजना के अंतर्गत हितग्राहियों द्वारा प्रस्तुत आवेदन के अनुसार मैंने स्थल का परीक्षण हितग्राही/हितग्राहियों के समक्ष दिनांक / / को किया। हितग्राही/हितग्राहियों की सहमति उपरांत निम्न विवरण अनुसार कार्य के अनुमोदन की अनुशंसा की जाती है :–

1. हितग्राही/हितग्राहियों का विवरण

क्र.	हितग्राही/हितग्राहियों के नाम	पिता/पति का नाम	ग्राम	धारित भूमि का कुल रकबा (हेक्टेयर में)

2. कार्य का नाम : .....
3. कार्य का स्वरूप (व्यक्तिगत/सामुहिक) : .....
4. खसरा नंबर : ..... जिसमें उक्त कार्य का निर्माण प्रस्तावित है।
5. प्रस्तावित संरचना की डिजाईन व आकार

.....
.....
.....
.....

उपयंत्री/कृषि विभाग के सर्वेयर का पूरा नाम तथा हस्ताक्षर

अनुलग्नक – 5

कपिल धारा उपयोजना से लाभान्वित किये जा सकने वाले हितग्राहियों का अनुमानित वार्षिक लक्ष्य तथा वित्तीय संसाधनों के नियोजन की अनुमानित वार्षिक आवश्यकता
(वर्ष 2007–08)

क्र.	जिला	विकासखण्डों की संख्या	ग्राम पंचायतों की संख्या	कपिल धारा उपयोजना से लाभान्वित किये जा सकने वाले हितग्राहियों का अनुमानित वार्षिक लक्ष्य	वित्तीय संसाधनों के नियोजन की अनुमानित वार्षिक आवश्यकता (रू. लाख में)
1	2	3	4	5	6
1	बालाघाट	10	693	17325	8662.50
2	बड़वानी	7	417	10425	5212.50
3	बैतूल	10	558	13950	6975.00
4	छतरपुर	8	558	13950	6975.00
5	धार	13	762	19050	9525.00
6	झाबुआ	12	664	16600	8300.00
7	खण्डवा	7	423	10575	5287.50
8	खरगौन	9	600	15000	7500.00
9	मंडला	9	493	12325	6162.50
10	शहडोल	5	392	9800	4900.00
11	श्योपुर	3	226	5650	2825.00
12	शिवपुरी	8	615	15375	7687.50
13	सीधी	8	717	17925	8962.50
14	टीकमगढ़	6	459	11475	5737.50
15	उमरिया	3	234	5850	2925.00
16	सतना	8	712	17800	8900.00
17	सिवनी	8	645	16125	8062.50
18	डिण्डोरी	7	348	8700	4350.00
19	देवास	6	497	12425	6212.50
20	छिन्दवाड़ा	11	808	20200	10100.00
21	अनूपपुर	4	282	7050	3525.00
22	बुरहानपुर	2	167	4175	2087.50
23	गुना	5	425	10625	5312.50
24	पन्ना	5	395	9875	4937.50
25	दतिया	3	281	7025	3512.50
26	कटनी	6	409	10225	5112.50
27	रीवा	9	827	20675	10337.50
28	हरदा	3	211	5275	2637.50
29	दमोह	7	461	11525	5762.50
30	राजगढ़	6	627	15675	7837.50
31	अशोकनगर	4	332	8300	4150.00
योग		**212**	**15238**	**380950**	**190475**

(51)

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्र.13484/एन.आर.ईजी.एस.–एम.पी./तक.–3/17/09 भोपाल दिनांक 28/10/2009

प्रति,

- **कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,**
- **मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक**
  राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना–मध्यप्रदेश
  जिला – समस्त

विषय :– राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना–मध्यप्रदेश के अंतर्गत संचालित कपिलधारा उपयोजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु, गठित कार्यकारी समूह की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार कार्यवाही बाबत्।

––00––

विषयांतर्गत म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के आदेश क्रं. 4710/NREGS-MP/Tech-3/09 भोपाल दिनांक 12.06.2009 के माध्यम से तकनीकी कार्यकारी समूह का गठन किया गया है। उक्तानुसार गठित समूह की प्रथम बैठक में निम्न अनुशंसायें की गई हैं :–

1. **क्षेत्र चयन –**

   1.1 24 अतिदोहित (Over Exploited) एवं 05 भूजल–स्तर संकटमय (Critical) स्थिति वाले विकासखण्डों में कूप निर्माण कार्य प्रतिबंधित किया जावे। इन विकासखण्डों में अनु.जाति/अनु.जनजाति/बी.पी.एल./आई.ए.वाय./भूमि सुधार के हितग्राहियों द्वारा स्वयं/ किसी शासकीय योजना के तहत पूर्व से निर्मित कूपों के साथ रिचार्जिंग संरचना का प्रावधान किया जावे। साथ ही कपिलधारा उपयोजनांतर्गत लिये जाने वाले अन्य कार्य जैसे – खेत तालाब/लघु तालाब/स्टापडेम/चैकडेम/आर.एम. एस. के माध्यम से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जावे तथा भूमिगत् जल का स्तर बढ़ाने के लिये वाटरशेड कार्यक्रम के अंतर्गत किये जाने वाले कार्य अधिक से अधिक लिये जावें।

   1.2 19 भूजल–स्तर की अर्द्धसंकटमय (Semi Critical) स्थिति वाले विकासखण्डों में भू–जल सर्वेक्षण विभाग एवं अन्य संबंधित तकनीकी विभाग के परामर्श के पश्चात् ही कूप निर्माण कार्य स्वीकृत किये जावें। इन विकासखण्डों में यदि कूप निर्माण कार्य कराया जाता है, तो पहले समुचित माप एवं प्रकार की रिचार्जिंग संरचना बनाई जावे।

2. **स्थल चयन** – चयनित क्षेत्र के हितग्राही की भूमि में कूप निर्माण हेतु स्थल चयन, क्षेत्र में प्रचलित पद्धतियों के आधार पर किया जावे।

(92)

3. **दो कूपों के बीच में न्यूनतम दूरी रखे जाने के संबंध में** – पूर्व में नाबार्ड द्वारा जिले एवं विकासखण्डवार भू–परत (Strata) के आधार पर दो कुओं के बीच न्यूनतम दूरी 150–200 मीटर निर्धारित की गई (सूची संलग्न)। तत्संबंधी निर्देशों का पालन किया जावे।

4. **कुँऐ के व्यास एवं गहराई निर्धारण के संबंध में** –

   4.1 कछारी/जलोढ़ मिट्टी वाली जमीन (Alluvium) एवं धँसकने वाली मिट्टी में 3 मीटर व्यास रखा जाना चाहिये, उक्त के अतिरिक्त अन्य प्रकार के भू–गर्भीय संरचनाओं में कुँऐ का आंतरिक व्यास 3 से 5 मीटर रखा जाना चाहिये।

   4.2 जमीन तल से पानी की गहराई, उपलब्ध वाटर कॉलम के आधार एवं कुँऐ के व्यास के आधार पर कुँऐ की अधिकतम गहराई 12 मीटर तक रखी जावे। यह अपवाद स्वरूप 3 मीटर तक के व्यास के कूपों में 15 मीटर गहराई रखी जा सकती है।

5. **लाईनिंग का प्रकार एवं मोटाई के संबंध में** – मिट्टी के प्रकार, स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सामग्री, तकनीक एवं कुशल श्रमिक की व्यवस्था, व कुँऐ के व्यास के आधार पर लाईनिंग का प्रकार निर्धारित किया जावे। काली मिट्टी या ऐसे भू–परत (Strata) जहाँ पर कछारी/जलोढ़ मिट्टी (Alluvial Soil) की गहराई अधिक हो या धसकने वाली मिट्टी हो में, आर.सी.सी. के पूर्व से ढालकर तैयार किये हुऐ छल्लों द्वारा निर्मित कूप (Pre-cast Ring Well) का ही निर्माण किया जावे और इन कुँओं का आंतरिक व्यास अधिकतम 3 मीटर तक सीमित रखा जावे।

(आर. परशुराम)
प्रमुख सचिव
म.प्र. शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
भोपाल (म.प्र.)

पृ. क्र.13485/NR-3/17/09 भोपाल, दिनांक 28/10/2009

प्रतिलिपि :–

1. मुख्य अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विन्ध्याचल भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. संभागायुक्त (समस्त), की ओर सूचनार्थ।
3. अधीक्षण यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा मण्डल (समस्त) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग (समस्त) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी जनपद पंचायत (समस्त) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

प्रमुख सचिव
म.प्र. शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

(91)

मध्य प्रदेश शासन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक 9332/NR-3/Tech/2010 भोपाल, दिनांक 09/09/2010

प्रति,

कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम--म.प्र.
जिला -- समस्त, मध्यप्रदेश।

विषयः **महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम--म.प्र. की कपिलधारा उपयोजना के तहत निर्मित सफल कूपों के हितग्राहियों को सिंचाई हेतु पानी के उद्वहन के लिऐ विद्युत/डीजल पम्प प्रदाय किये जाने के संबंध में।**

--00--

महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम--म.प्र. की कपिलधारा उपयोजना के तहत निर्मित सफल कूपों के संबंध में 28 अगस्त 2010 को बुन्देलखण्ड क्षेत्र के जिलों की सागर मे आयोजित बैठक के दौरान जिला कलेक्टरों द्वारा माह जून में कूपों में पानी उपलब्ध नहीं होने किन्तु रबी की फसल हेतु पानी उपलब्ध होने की स्थिति में संबंधित हितग्राहियों को विद्युत/डीजल पम्प प्रदाय की पात्रता के संबंध में स्पष्ट निर्देश जारी किये जाने का आग्रह किया गया।

वर्तमान में सिर्फ ऐसे कपिलधारा कूप के हितग्राहियों को जिनके कूप पुनःभरण संरचना (रिर्चाजिंग स्ट्रक्चर) सहित पूर्ण हैं, साथ ही कूप में सिंचाई हेतु पर्याप्त पानी उपलब्ध है में विद्युत/डीजल पम्प प्रदाय करने के निर्देश दिये गये हैं।

कपिलधारा उपयोजना अन्तर्गत कूप निर्माण का प्रमुख उद्देश्य लक्षित वर्ग के कृषकों की सिचाई सुविधा उपलब्ध कराना है अतएव ऐसे कूप जिनमें जून माह में पानी न हो किन्तु रबी की फसल की सिंचाई हेतु पर्याप्त पानी उपलब्ध हो तो उन्हें भी विद्युत/डीजल पम्प प्रदाय किया जा सकता हैं। अतः दिसम्बर माह में निरीक्षण के दौरान कूप में हितग्राही कृषक की भूमि की सिंचाई हेतु पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध होने पर, ऐसे कूपों को सफल कूप मानकर विद्युत/डीजल पम्प प्रदाय किया जावे।

(आर. परशुराम)
अपर प्रमुख सचिव,
म.प्र. शासन,
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
भोपाल

पृष्ठा. क्र. 9333/NR-3/Tech / 2010 भोपाल, दिनांक 09 / 09 / 2010

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1 प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, किसान कल्याण एवं कृषि विकास तथा सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2 प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3 प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन , आदिम जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
4 सचिव, म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
5 प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, जहाँगीराबाद, भोपाल।
6 प्रबंध संचालक, एम.पी. स्टेट एग्रो इण्ड. डेवेलपमेंट कार्पोरेशन लिमि. पंचानन भवन, मालवीय नगर, भोपाल।
7 संभाग आयुक्त, समस्त मध्यप्रदेश ।
8 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद्, नर्मदा भवन, भोपाल।
9 संचालक, किसान कल्याण एवं कृषि विकास संचालनालय, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।

अपर प्रमुख सचिव
म.प्र. शासन,
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
भोपाल

214

मध्यप्रदेश शासन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्र.1047 / एन.आर.ईजी.एस.–एम.पी. / तक.–3 / 17 / 10 भोपाल दिनांक 4/10/10

प्रति,

- **कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,**
- **मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अति.जिला कार्यक्रम समन्वयक,**
  राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम – मध्यप्रदेश
  जिला– समस्त।

विषय :– महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम – म.प्र. अंतर्गत संचालित **"कपिलधारा"** उपयोजना को कमाण्ड क्षेत्र की असिंचित भूमि क्षेत्र में क्रियान्वयन संबंधी दिशा–निर्देश।

संदर्भ :– विभाग का पत्र क्रं. 6077 / 22 / वि–9 / आर.जी.एम. / 07 भोपाल दिनांक 07.04.2007

––00––

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम – म.प्र. की कपिलधारा उपयोजना के क्रियान्वयन हेतु संशोधित दिशा–निर्देश विभाग के संदर्भित पत्र द्वारा जारी किये गये है। जारी निर्देशों की कण्डिका क्रं. 5.1.2 में हितग्राही चयन के मापदण्ड दिये गये हैं। जिसमें यह लेख है कि लक्षित वर्ग के जिन हितग्राही कृषकों के स्वामित्व वाली कृषि भूमि वर्षा पर आधारित है व भूमि की सिंचाई हेतु कोई कारगर स्त्रोत उपलब्ध नहीं हैं, उन्हें कपिलधारा उपयोजना से लाभान्वित किया जाना है।

उक्त से स्पष्ट है, कि सिंचाई सुविधा विहीन कृषि क्षेत्रों में वर्षा की अनियमितता अथवा कमी के कारण कृषि उत्पादन प्रभावित न हो, ऐसे क्षेत्रों के कृषकों को कपिलधारा उपयोजना अंतर्गत सिंचाई सुविधा के कारगर स्रोत के द्वारा लाभान्वित किया जाना है। अधिकतर जलाशयों की रूपांकित क्षमता अनुसार सिंचाई न हो पाने के कारण, कमाण्ड क्षेत्र के अंतिम छोर के हितग्राही की भूमि सिंचाई सुविधा से वंचित रह जाती है। अतएव किसी सिंचाई परियोजना कमाण्ड क्षेत्र के इस प्रकार के हितग्राहियों जिनके कमाण्ड क्षेत्र को पूर्ण रूप से विकसित हुये 05 वर्ष बीत चुके हैं तथा हितग्राहियों को यदि सिंचाई हेतु

नहर का पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, तो इस प्रावधान के तहत उन्हें लाभान्वित किया जा सकेगा। इस हेतु निम्नानुसार प्रक्रिया निर्धारित की जाती है:–

1. कपिलधारा उपयोजना अंतर्गत पात्रता रखने वाले ऐसे हितग्राही जिनकी भूमि कमाण्ड क्षेत्र में आती हैं किन्तु उन्हें सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध नहीं होता है इस आशय का आवेदन–पत्र संबंधित कृषक, निर्धारित प्रपत्र (अनुलग्नक–1 के अनुसार) में सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत एवं उसकी प्रतिलिपि अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन विभाग को प्रस्तुत करेगा। ग्राम पंचायत द्वारा अनुलग्नक–1 में कृषक द्वारा दी गई जानकारी का परीक्षण करके 07 दिवस में प्रस्ताव जनपद पंचायत को भेजा जावेगा।

2. हितग्राही से प्राप्त आवेदन–पत्र के साथ संबंधित क्षेत्र के जल संसाधन विभाग के अमीन/जल उपभोक्ता संस्था द्वारा प्रमाण–पत्र (अनुलग्नक–2 के अनुसार) निम्न शर्तों के अंतर्गत परीक्षण किया जावे :–

   2.1 आवेदक कृषक की भूमि में नहर नेटवर्क से कब से सिंचाई नहीं हो सकी है एवं सिंचाई राजस्व वसूली की कार्यवाही।

   2.2 सिंचाई राजस्व अधिरोपण उपरांत वसूली अपलेखित (Write-Off) किये जाने की स्थिति।

   2.3 सिंचाई राजस्व के रूप में अधिरोपित राशि एवं बकाया राशि की स्थिति।

   कण्डिका 2.1, 2.2 एवं 2.3 के तीन विकल्पों मे से किसी एक विकल्प का स्पष्ट विवरण, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन विभाग द्वारा जारी किये जाने वाले प्रमाण पत्र में अंकित/सत्यापित किया जावें।

3. अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन विभाग द्वारा सत्यापन उपरांत प्रकरण 15 दिवस में संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, को भेजा जावेगा।

4. कपिलधारा उपयोजना अंतर्गत पात्रता रखने वाले एवं कण्डिका 2.1 के अंतर्गत सिंचाई राजस्व कर अधिरोपित नहीं होने या कण्डिका 2.2 के तहत

सिंचाई राजस्व कर अधिरोपित होने पर उसका अपलेखित होना पाये जाने पर ही संबंधित कृषक को कपिलधारा कूप का लाभ लेने का पात्र माना जावेगा। कमाण्ड क्षेत्र के जिन कृषकों से सिंचाई राजस्व कर वसूल किया गया है। वह कृषक उपयोजना अंतर्गत लाभ लेने हेतु पात्रता की श्रेणी में नहीं आयेगें।

5. जनपद पंचायत कार्यालय में मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत से अनुलग्नक–1 पर तथा अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन विभाग से अनुलग्नक–2 पर जानकारी प्राप्त होने पर सभी प्रकरणों की पृथक–पृथक नस्तियां संधारित की जावेगी एवं प्रकरणवार परीक्षण करते हुये कमाण्ड क्षेत्र के आवेदक कृषक की भूमि में कूप निर्माण कराया जाना अथवा नहीं, की पात्रता का निर्धारण करते हुये संबंधित कृषक को सूचित किया जावेगा। यह जानकारी जनपद पंचायत के सूचना फलक पर भी प्रदर्शित की जावे।

6. उक्त समस्त कार्यवाही कृषक से आवेदन प्राप्त होने पर 30 दिवस की समय सीमा में पूर्ण की जावे।

7. परीक्षण में पात्र पाये गये प्रकरणों की प्रशासकीय स्वीकृति एक वरिष्ठ स्तर अर्थात जनपद पंचायतें स्तर से जारी की जावेगी।

उपरोक्त प्रक्रिया का पालन करते हुये कपिलधारा उपयोजना के प्रचलित दिशा निर्देशों के अनुसार कमाण्ड क्षेत्र के पात्र हितग्राही कृषकों को लाभान्वित किया जावे।

(आर. परशुराम)
अपर मुख्य सचिव
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
भोपाल (म.प्र.)

2\7

पृ. क्र. 10408 / एन.आर.ईजी.एस.–एम.पी. / तक.–3 / 17 / 10 भोपाल दिनांक 11/10/10

प्रतिलिपि –

1. प्रमुख सचिव,म.प्र. शासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय भोपाल।
3. प्रमुख अभियंता, म.प्र. शासन, जल संसाधन विभाग, नर्मदा भवन, तुलसी नगर, भोपाल।
4. संभागायुक्त (समस्त), संभाग .... की ओर सूचनार्थ।
5. अधीक्षण यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा समस्त मण्डल।
6. कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा समस्त संभाग।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी / कार्यक्रम अधिकारी, मनरेगा, जनपद पंचायत, समस्त।

(आर. परशुराम)
अपर मुख्य सचिव
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
भोपाल (म.प्र.)

C:\Documents and Settings\as\Desktop\Kapildhara_P[1].S _Letter.doc-4

अनुलग्नक–1

आवेदन–पत्र

(कमाण्ड क्षेत्र के हितग्राहियों को लिये "कपिलधारा" उपयोजना अंतर्गत लाभान्वित किये जाने हेतु)

प्रति,

सरपंच/सचिव ग्रम पंचायत .....

1. हितग्राही का नाम – .....
2. ग्राम का नाम – .....
3. जनपद पंचायत का नाम – .....
4. जिले का नाम – .....
5. जॉबकार्ड क्र. – ..... परिवार के वयस्क सदस्यों की संख्या.....
6. हितग्राही की भूमि का विवरण –
   i. भूमि का रकबा (हेक्टे. में) –
   ii. खसरा नम्बर –
   iii. भूमि का उपयोग –
7. सिंचाई परियोजना का नाम जिसके अंतर्गत हितग्राही की भूमि पर सिंचाई प्रस्तावित है –
8. भूमि पर सिंचाई हेतु, लगातार विगत कितने वर्षों से पानी उपलब्ध नहीं हुआ है – .

शपथ–पत्र

मैं ..... पिता ..... शपथ पूर्वक कथन करता हूँ, कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी सत्य है। मेरे द्वारा दी गई उक्त जानकारी असत्य पाई जाने पर नियमानुसार कार्यवाही करने के लिये ग्राम पंचायत स्वतंत्र रहेगी।

स्थान – हितग्राही के हस्ता/–

दिनांक –

प्रतिलिपि :– संबंधित अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन विभाग।

हितग्राही के हस्ता/–

नोट :– उक्त आवेदन/शपथ–पत्र विधिमान्य स्टाम्प पेपर पर सरपंच/सचिव को एवं छायाप्रति अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन विभाग को प्रस्तुत किया जावेगा।

5

अनुलग्नक–2

प्रमाण–पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है, कि श्री ..... आत्मज/आत्मजा श्री .....निवासी .... की कृषि भूमि का खसरा क्रं. ..... रकबा .... (हेक्टे. में) ..... परियोजना का ..... माईनर के कुलावा क्रं. . ..... के अंतर्गत आता है, जिसके कमाण्ड क्षेत्र का पूर्ण रूप से विकास ..... वर्ष पूर्व किया जा चुका है।

उक्त भूमि में नहर नेटवर्क से विगत ..... वर्षों से अपरिहार्य कारणों से सिंचाई नहीं की जा सकी है। अतः उक्त कृषक की भूमि पर सिंचाई राजस्व अधिरोपित ही नहीं किया गया।

अथवा

सिंचाई राजस्व के रूप में रूप में राशि रू. .....(शब्दों में ....) अधिरोपित की गई परन्तु जांच उपरांत सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध न होने के कारण वसूली अपलेखित (Write-Off) की गई ।

अथवा

उक्त कृषक की भूमि कमाण्ड क्षेत्र में होने के कारण सिंचाई राजस्व के रूप में राशि रू. .....(शब्दों में .....) वसूल की गई एवं राशि रू. ..... (शब्दों में .....) बकाया है।

अमीन(W.R.D.)/जल उपभोक्ता संस्था
अध्यक्ष के हस्ताक्षर –

नाम – .....

पता – .....

217
220

उक्त कृषक की भूमि में सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध नहीं होने के प्रमुख कारण हैं :–

1. .....

2. .....

3. .....

सत्यापनकर्ता अधिकारी
(S.D.O.W.R.D.)
के हस्ताक्षर मय पदमुद्रा

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्रमांक/NR-3/Tech./F.No.104/10/10 878 भोपाल, दिनांक : 27 अक्टूबर 2010

प्रति,

- समस्त कमिश्नर
- समस्त कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
- समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक
  महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम
  मध्यप्रदेश।

विषय :– **महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म0प्र0 अंतर्गत संचालित समस्त उप योजनाओं में लघु सीमांत कृषकों को लाभ दिये जाने बाबत्।**

दिनांक 28.09.2010 को आयोजित राज्य स्तरीय विभागीय परामर्शदात्री समिति की बैठक में बताया गया कि लघु सीमांत कृषकों को मात्र कपिलधारा उपयोजना में लाभ दिया जा रहा है, जबकि अन्य हितग्राही मूलक योजनाओं में भी उन्हें इसका लाभ मिलना चाहिये। इस संबंध में भारत सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में दिनांक 24 जुलाई 2009 को संशोधन किया गया है, जिसमें " अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की गृहस्थियों या गरीबी रेखा से नीचे या भूमि सुधार के हिताधिकारियों या भारत सरकार की इंदिरा आवास योजना के अधीन हिताधिकारियों या कृषि ऋण अधित्यजन और ऋण राहत स्कीम 2008 में यथापरिभाषित लघु कृषक सीमांत कृषकों की स्वामित्वाधीन भूमि के लिए सिंचाई सुविधा का उपबंध " किया गया है। इस संशोधन के फलस्वरुप सभी हितग्राही मूलक उपयोजनाओं यथा कपिलधारा, नंदन फलोद्यान, भूमिशिल्प, रेशम आदि में लघु सीमांत कृषकों को मनरेगा अंतर्गत लाभ पाने की पात्रता है।

उपरोक्तानुसार हितग्राही मूलक कार्यों का चयन करते समय भारत सरकार के पत्र क्रमांक 11060/3/2009–NREGA, दिनांक 01.09.09 अनुसार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के हितग्राहियों को प्राथमिकता दी जाना आवश्यक है।

अतः उक्तानुसार निर्देशों का पालन करते हुए हितग्राही मूलक कार्यों की आयोजना बनाया जाना सुनिश्चित् करें।

(आर. परशुराम)
अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ.क्रमांक / NR-3/Tech./F.No.104/10/10879 भोपाल, दिनांक :27 अक्टूबर 2010

प्रतिलिपि :–

1. माननीय सदस्यगण, राज्य स्तरीय विभागीय परामर्शदात्री समिति की ओर सूचनार्थ।
2. मुख्य अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, विकास आयुक्त कार्यालय, विन्ध्याचल भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. अधीक्षण यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, मण्डल कार्यालय–समस्त।
4. कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, संभाग–समस्त।
5. कार्यक्रम अधिकारी, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म0प्र0 जिला समस्त।

27/10

(शिव शेखर शुक्ला)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म0प्र0 राज्य रोजगार गारंटी परिषद्

मध्येप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्

(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन पंज़ीकृत संस्था)

59, नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल (म.प्र.)

क्र./264 / MGNREGS -MP/NR-3/SE-II/2011 भोपाल, दिनांक 07 /01/ 2012

प्रति,

कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म0प्र
जिला– समस्त (म0प्र0)

विषयः– **महात्मा गाँधी नरेगा के अंतर्गत हितग्राही मूलक उपयोजना में तहत सीमान्त एवं लघु कृषक की परिभाषा के संबंध में।**

संदर्भः– विभाग का पत्र कमांक NR-3/TECH/10/10878 भोपाल दिनांक 27.10.2010।

—0—

विषयांतर्गत महात्मा गाँधी नरेगा के अंतर्गत हितग्राही मूलक उपयोजना में लघु एवं सीमांत कृषक को भी पात्र हितग्राही मानते हुए लाभान्वित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। कुछ जिलों द्वारा लघु एवं सीमांत कृषक की परिभाषा के संबंध में भ्रम की स्थिति होना बतलाया गया है। कृषि विभाग द्वारा "कृषि ऋणमाफी और राहत योजना, 2008" में लघु एवं सीमांत कृषक को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है।

1. (बिन्दू कमांक 3.5):—सीमांत किसान का अर्थ है एक हेक्टेयर (2.5 एकड़) जमीन पर खेती (मालिक के रूप में या भाड़े पर या बटाई पर) करनेवाला किसान।
2. (बिन्दू कमांक 3.6):– लघु किसान का अर्थ है एक हेक्टेयर से दो हेक्टेयर (पांच एकड़) तक की जमीन पर खेती (मालिक के रूप में या भाड़े पर या बटाई पर) करने वाला किसान।
3. कृषक द्वारा कृषि कार्यों हेतु लिया जाने वाला मूल ऋण की राशि यदि रू. 50000/– से अधिक है, तब नाबार्ड की "कृषि ऋणमाफी और राहत योजना, 2008" के बिन्दू क्र. 3(3) में दिए गए स्पष्टीकरण अनुसार कृषक को लघु व सीमांत कृषक की श्रेणी में मान्य नही किया' जाना है।

महात्मा गांधी नरेगा के परिपेक्ष्य में यह स्पष्ट किया जाता है कि, हितग्राही मूलक उपयोजना का लाभ केवल निजी स्वामित्व की भूमि वाले पात्र हितग्राहियों को ही दिया जा सकता है।

(नीरज मंडलोई)
आयुक्त
म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद्,
भोपाल (म0प्र0)

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्
(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित पंजीकृत संस्था)
59, नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल (म.प्र.)

पृ.क./265 / MGNREGS -MP/NR-3/SE-II/2011 भोपाल, दिनांक 07/07/2011

प्रतिलिपीः–

1. प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।
2. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।
3. मुख्य अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, पूर्व/पश्चिम क्षेत्र, विकास आयुक्त कार्यालय, विंध्यांचल भवन, भोपाल।
4. मुख्य अभियंता, म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद् भोपाल।
5. संभागायुक्त (समस्त) संभाग, मध्यप्रदेश।
6. अधीक्षण यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा (समस्त) मंडल मध्यप्रदेश।
7. कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा (समस्त) संभाग मध्यप्रदेश।
8. समस्त शाखा, म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद् भोपाल।

आयुक्त
म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद,
भोपाल (म०प्र०)

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्रमांक/491/MGNREGS/NR-3/SE-1/2012 भोपाल, दिनांक 13 जनवरी 2012

प्रति,

कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र.
जिला –समस्त (म.प्र.)

विषयः महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत ग्राम कोटवार को प्रदाय शासकीय सेवा भूमि के विकास हेतु उपयोजनाओं का लाभ दिये जाने बाबत्।

कोटवारों की सेवा भूमि पर सुधार के लिए तालाब एवं कुएं की व्यवस्था किए जाने हेतु कोटवार संघ की मांग पत्र प्राप्त हुआ है। मांग पत्र में किये गये उल्लेख अनुसार कोटवारों को प्रदाय भूमि शासकीय होती है, जो पद पर बने रहने तक कोटवार को दी जाती है। राज्य स्तर पर महात्मा गांधी नरेगा की उपयोजनाओं का लाभ दिया जाकर शासकीय सेवा भूमि को विकसित किये जाने के दृष्टिगत मांग पत्र का परीक्षण किया गया।

महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 2005 की अनुसूची–1 की धारा 4(3) की कण्डिका 1 (iv) में लक्षित वर्ग के पात्र हिताधिकारियों की स्वामित्वाधीन भूमि पर सिंचाई प्रसुविधा दिए जाने का प्रावधान किया गया है, जिसका आशय यह नहीं है कि शासकीय भूमि पर सिंचाई प्रसुविधा विकसित नहीं की जा सकती। अतएव ग्राम पंचायत क्षेत्र में निवासरत कोटवार यदि हितग्राहीमूलक उपयोजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु लक्षित वर्ग की श्रेणी यथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवार या भारत सरकार के इन्दिरा आवास का हितग्राही है तथा जाबकार्डधारी परिवार के रूप में ग्राम पंचायत में पंजीकृत है। तब उसे हितग्राहीमूलक उपयोजनाओं जैसे कपिलधारा, भूमि शिल्प व नंदन फलोद्यान का लाभ दिया जाकर टिकाऊ अस्तियों का सृजन मनरेगा के प्रावधानों का पालन करते हुये किये जाने का निर्णय राज्य शासन द्वारा लिया गया है।

शासकीय सेवा भूमि में टिकाऊ अस्तियों का सृजन कर भूमि विकास, सिंचाई पर सुविधा व बागवानी सुविधा का लाभ निम्न शर्तों के अधीन दिया जा सकेगा :–

1. शासकीय सेवा भूमि असिंचित होने पर सिंचाई सुविधा का लाभ दिये जाने हेतु कूप निर्माण एवं भूमि विकास मद अंतर्गत मेढ़ बंधान के कार्य हेतु आवेदन ग्राम कोटवार द्वारा प्रस्तुत किया जावेगा। मनरेगा की उपयोजनाओं का लाभ दिये जाने के पूर्व ग्राम कोटवार द्वारा भूमि पर कोई ऋण भार नहीं है इसका परीक्षण व प्रमाणीकरण तहसीलदार द्वारा किया जाकर प्रमण–पत्र जारी किया जावेगा (प्रारूप संलग्न) जो कोटवार द्वारा आवेदन के साथ अनिवार्यतः संलग्न किया जावे।
2. ग्राम कोटवार को हितग्राहीमूलक उपयोजनाओं का लाभ दिये जाने, शासकीय कार्य में बाधा न होने देने, परिसंपत्तियों की सुरक्षा, दोहरा लाभ न लिये जाने, ऋणभार के संबंध में सही जानकारी दिये जाने के लिए हितग्राही के रूप में कोटवार से अनुबंध पत्र भी निष्पादित किया जा सकता है।
3. हितग्राहीमूलक उपयोजनाओं का लाभ हेतु निर्धारित प्रारूप में प्राप्त आवेदन का परीक्षण ग्राम पंचायत द्वारा किया जाकर पात्रता होने पर त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के कार्य का अनुमोदन प्राप्त कर शेल्फ आफ प्रोजेक्ट में शामिल कर वार्षिक कार्य योजना की सूची में रखा जावेगा।
4. कार्य की तकनीकी व प्रशासकीय स्वीकृति शासकीय सेवा भूमि के विवरण के साथ ग्राम कोटवार दर्शाते हुये जारी की जावेगी। कोटवार का नाम अंकित नहीं किया जावेगा। कूआँ शासकीय रहेगा।

5. ग्राम पंचायत द्वारा कार्य का संपादन कर पूर्णतः प्रमाण–पत्र सोशल आडिट, एक्जिट प्रोटोकाल आदि से कार्यवाही की जावेगी। शासकीय सेवकों की भूमि में निर्मित सरंचनाओं का रख–रखाव व देखभाल का कार्य संबंधित कोटवार द्वारा उनकी सेवा अवधि में किया जा सकेगा।
6. शासकीय सेवा भूमि में निर्मित सरंचनाओं का उल्लेख पूर्णता प्रमाण पत्र जारी होने के 15 दिवस के भीतर संबंधित पटवारी द्वारा राजस्व अभिलेखों में किया जावेगा एवं इसकी लिखित सूचना वरिष्ठ कार्यालय को दी जावेगी।
7. कूप निर्माण उपरांत पर्याप्त मात्रा में जल की उपलब्धता होने पर ही नंदन फलोद्यान का लाभ आवश्यकता अनुसार मनेरगा के प्रावधानों का पालन करते हुये किया जा सकेगा।
8. ग्राम कोटवार अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में संलग्न रहने से वह जॉबकार्डधारी के रूप में सिर्फ उन्हीं दिवसों में कार्य कर सकता है, जब उसने विधिवत प्राधिकृत अधिकारी से अवकाश प्राप्त किया हो। ग्राम कोटवार के परिवार के अन्य जॉबकार्डधारी वयस्क सदस्य मस्टर रोल पर मनरेगा के प्रावधान अनुसार कार्य कर सकेंगे।
9. शासकीय सेवा भूमि हेतु कोई पोर्टेबल asset ग्राम कोटवार को नहीं दिया जावेगा। पोर्टेबल asset जैसे–अभिसरण के तहत डीजल/विद्युत पम्प आदि।
10. शासकीय सेवा भूमि हेतु उपयोगी उपकरण/सामग्री जो अन्य विभागों की योजनाओं के अभिसरण से अनुदान या अंशदान स्वरूप प्रदायित की जाती है, का स्वामित्व व्यक्तिगत न होकर पदेन ग्राम कोटवार का होगा साथ ही उक्त सामग्री का विक्रय व्यक्तिगत संपत्ति के रूप में ग्राम कोटवार द्वारा नहीं किया जा सकेगा। ग्राम कोटवार पद से पृथक होने पर प्रदायित उपकरण/सामग्री नव नियुक्त ग्राम कोटवार को हस्तांतरित की जावे।

उक्त निर्देशों के साथ हितग्राहीमूलक उपयोजनाओं के कियान्वयन हेतु समय–समय पर जारी विस्तृत दिशा–निर्देशों का पालन करते हुये आगामी कार्यवाही की जावे।

(अरूणा शर्मा)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ. क्रमांक/492/ MGNREGS-MP/NR-3./SE-I/2012 भोपाल, दिनांकः 13/01/2012

प्रतिलिपिः–

1. आयुक्त, समस्त संभाग (म.प्र.)
2. अधीक्षण यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, मण्डल समस्त (म.प्र.)
3. कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, संभाग समस्त म.प्र. की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

मनरेगा अंतर्गत ग्राम कोटवार को प्रदाय शासकीय सेवा भूमि के विकास हेतु उपयोजनाओं से लाभान्वित किये जाने संबंधी प्रमाणीकरण

प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम .....ग्राम पंचायत..... जनपद पंचायत.....तहसील.....जिला..... में शासकीय सेवा भूमि जिसका खसरा क्रमांक .....रकबा.....हेक्टेयर है। यह भूमि..... (सिंचित/असिंचित) है। दिनांक.....से भूमि ग्राम कोटवार श्री.....आत्मज श्री..... ..... जाति.....जाति वर्ग.....निवासी.....को सौंपी गई है। शासकीय राजस्व अभिलेखों अनुसार इस भूमि हेतु ऋण पुस्तिका क्र..... जारी की गई है।

राजस्व अभिलेखों एवं ऋण पुस्तिका एवं ग्राम कोटवार श्री .....के कथन के आधार पर उक्त भूमि पर कोई ऋण भार नहीं है या राशि रू.....का ऋण था जिसे ग्राम कोटवार द्वारा भुगतान किया जाकर भुगतान की रसीद क्र..... दिनांक.....राशि रू.....प्रस्तुत की है।

उपरोक्तानुसार सत्यापित जानकारी के आधार पर ग्राम कोटवार को सौंपी गई शासकीय सेवा भूमि में मनरेगा अंतर्गत संचालित हितग्राहीमूलक उपयोजनाओं का लाभ प्रदाय किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

स्थान.....

दिनांक.....

तहसीलदार

हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा

तहसील.....

जिला.....

ग्राम पंचायत (सरपंच/सचिव) एवं ग्राम कोटवार के मध्य निष्पादित किये जाने वाले अनुबंध–पत्र का प्रारूप

पक्षकार क्रमांक – 1 सरपंच/सचिव

ग्राम पंचायत .....
जनपद पंचायत .....
जिला .....

पक्षकार क्रमांक – 2 ग्राम कोटवार

श्री .....
पुत्र श्री.....
तहसील.....
ग्राम .....

ग्राम कोटवार को प्रदाय शासकीय सेवा भूमि के विकास हेतु महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत संचालित हितग्राहीमूलक उपयोजनाओं से लाभान्वित करने के संबंध में दिनांक ..... को पक्षकार क्रमांक 1 एवं 2 के बीच में द्विपक्षीय MOU (समझौता अनुबंध) का निष्पादन निम्नानुसार किया गया :–

अनुबंधग्रहिता पक्षकार क्रमांक–2 को निम्नानुसार शर्तों का पालन करना होगा –

1. महात्मा गांधी नरेगा की सरंचनाओं का लाभ प्राप्त करने से पूर्व पक्षकार क्र. 2 को भूमि पर कोई ऋण भार नहीं है, इस आशय का निर्धारित प्रारूप में तहसीलदार द्वारा जारी प्रमाण–पत्र आवेदन के साथ अनिवार्यतः संलग्न कर पक्षकार क्र. 1 को प्रस्तुत करना होगा।
2. शासकीय सेवा भूमि के विकास हेतु महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत पात्रता अनुसार जो सरंचनाऐं निर्मित होगीं उनमें पक्षकार क्र. 2 का व्यक्तिगत नाम नहीं लिखा जावेगा, न हीं सरंचना को निजी स्वामित्व के रूप में प्रदर्शित किया जावेगा।
3. शासकीय भूमि में मनरेगा अंतर्गत पक्षकार क्र. 1 द्वारा निर्मित कराई जाने वाली सरंचनाओं का निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरांत उनका रख–रखाव व देखभाल का कार्य पक्षकार क्र. 2 द्वारा ग्राम कोटवार के के पद पर बने रहने तक किया जावेगा।
4. कृषि कार्य हेतु अभिसरण के अंतर्गत अन्य विभागीय योजनाओं से अनुदान पर प्राप्त पोर्टेबल उपकरणों को पक्षकार क्र. 2 की सेवा अवधि पूर्ण होने के बाद विकय नहीं किया जावेगा। ऐसे उपकरणों को नवीन नियुक्त ग्राम कोटवार को हस्तांतरित किया जावेगा।
5. पक्षकार क्र. 2 द्वारा महात्मा गांधी नरेगा की सरंचनाओं का लाभ प्राप्त करने की अवधि के दौरान अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा उत्पन्न नहीं की जावेगी। साथ ही जिन दिवसों में सक्षम प्राधिकारी से अवकाश स्वीकृत कराया जावेगा उन दिवसों में ही

मस्टर रोल में स्वंय कार्य किया जावेगा । शेष दिवसों में जाबकार्ड में अंकित वयस्कों सदस्यों द्वारा कार्य किया जाकर नियमानुसार पारिश्रमिक पक्षकार क्र. 1 से बैक/पोस्ट आफिस खाते के माध्यम से प्राप्त किया जावेगा।

6. पक्षकार क्र. 2 द्वारा महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत सरंचनाओं का निर्माण पूर्ण होने के उपरांत 15 दिवस में हलका पटवारी से राजस्व अभिलेखों में प्रविष्टि कराई जावेगी। इसकी सूचना पक्षकार क्र. 1 को दी जावेगी।

उपरोक्तानुसार अनुबंध पत्र पक्षकार क्र. 1 व 2 के मध्य निष्पादित किया गया, जिसकी सभी शर्तो का पालन किया जावेगा। किन्हीं भी शर्तो का उल्लंघन पाये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व का निर्णय दोनों पक्षों पर बंधनकारी होगा।

हस्ताक्षर

अनुबंधग्रहिता
सरपंच/सचिव.....
ग्राम .....
जनपद पंचायत/जिला .....

हस्ताक्षर

अनुबंधकर्ता
हितग्राही.....
ग्राम.....
जनपद पंचायत/जिला .....

म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद्

(म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन पंजीकृत संस्था)

ब्लॉक–1, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल

(मुख्य कार्यालय–59, नर्मदा भवन द्वितीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल)

क्र./ 5027 /MGNREGS-MP/NR-3/SE-I/2012 भोपाल दिनांक 24 . 05/2012

प्रति,

मुख्यकार्यपालन अधिकारी एवं अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक
महात्मा गांधी नरेगा
जिला पंचायत खरगौन

विषय :–कपिलधारा उपयोजना अंतर्गत लघु एवं सीमांत कृषकों की परिभाषा के संबंध में।

संदर्भ :– आपका पत्र क्र. 4066/मनरेगा/उपयोजना/12 खरगौन दिनांक 24.04.12.

–00–

आपके द्वारा प्रेषित पत्र में लघु एवं सीमांत कृषक को कपिलधारा कूप स्वीकृत करने के संबंध में मार्गदर्शन चाहा गया है। परिषद् के पत्र क्रं. 264 दिनांक 07.07.2012 द्वारा लघु एवं सीमांत कृषक की परिभाषा को स्पष्ट किया गया है (छायाप्रति संलग्न)। आपके द्वारा चाहे गये मार्गदर्शन के अनुसार पुनः स्पष्ट किया जाता है कि–

1. 1 हेक्टेयर से कम भूमि होने पर या दो से अधिक पात्र हितग्राही परिवार जिनके स्वामित्व वाली कृषि जोत मिलाकर 1 हेक्टे. से ज्यादा है के उपयोगकर्ता दल गठित कर कपिलधारा कूप एवं अन्य प्रावधानित कार्य लिये जाने हेतु विभाग के पत्र क्र. 11547/22/वि–7/NREG/2007 दिनांक 20/07/07 द्वारा निर्देश दिये गये हैं, वहीं निर्देश यथावत लागू रहेंगे। (छायाप्रति संलग्न)
2. हितग्राही के पास अन्य हल्के में कोई भूमि नहीं होने के संबंध में तथा ऋण प्राप्त किये जाने के संबंध में हितग्राही से ही शपथ पत्र ले लिया जावे। शपथ पत्र में ही यह भी उल्लेख होना चाहिये कि यदि उसके द्वारा दी गई जानकारी असत्य पाई जाती है, तो कूप की समस्त राशि वसूल की जावेगी।
3. रू. 50,000/– तक ऋण की सीमा अधिकतम है अर्थात यदि भूमि संबंधी पात्रता रखता है, किन्तु ऋण राहत स्कीम 2008 में ऋण नहीं लिया हो तब भी उसे लघु/सीमांत कृषक माना जावेगा।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

(नीरज मण्डलोई)
आयुक्त
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद,
भोपाल, दिनांक 24/05/2012

पृ. क्र./ 5028 /MGNREGS-MP/NR-3/SE-I/2012

प्रतिलिपिः–

- मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक, जिला पंचायत समस्त (खरगौन को छोड़कर) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

आयुक्त
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद,
भोपाल

Jeevan\M.K.Soni\Letter\MK.Soni upyojna.doc-164

म.प्र. शासन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्रमांक/6238/MGNREGS-MP/NR-3/SE-I/2013, भोपाल, दिनांक10/07/2013

प्रति,

कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र.
जिला – समस्त (म.प्र.)

विषयः **महात्मा गांधी नरेगा की कपिलधारा उपयोजना के तहत लक्षित वर्ग के न्यूनतम एक एकड़ भूमि धारक पात्र कृषकों को लाभान्वित किये जाने बाबत्।**

संदर्भः **विभाग के पत्र क. 6077/22/वि–9/आरजीएम/07 दि. 07.04.2007।**

महात्मा गांधी नरेगा की कपिलधारा उपयोजना के अंतर्गत विभाग के संदर्भित पत्र के पैरा क. 5.1.2 के बिन्दु क. 2 में किये गये उल्लेख अनुसार न्यूनतम एक हेक्टे. की सीमा तक जोत की कृषि भूमि के स्वामित्व वाले हितग्राहियों को कपिलधारा योजना के हितग्राही के रूप में चयनित किये जाने का प्रावधान किया गया है। निर्धन वर्ग के छोटे कृषकों की भी आजीविका सुदृढ हो सके तथा कृषि उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि हो इसे दृष्टिगत रखते हुये शासन द्वारा महात्मा गांधी नरेगा की नवीन मार्गदर्शिका 2013 की संशोधित अनुसूची–1 के पैराग्राफ 1 (ग) में निर्दिष्ट निम्न संवर्ग के परिवारों की स्वामित्वाधीन न्यूनतम एक एकड भूमि पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु कपिलधारा कूप निर्माण का लाभ दिये जाने का निर्णय लिया है।

- अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के परिवार
- गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले सामान्य वर्ग के परिवार
- इंदिरा आवास के लाभार्थी परिवार
- भूमि सुधार के लाभार्थी परिवार
- लघु एवं सीमान्त कृषक (कृषि ऋण आधित्यजन और ऋण राहत स्कीम 2008 में यथा पारिभाषित)
- अन्य पारम्परिक वनवासी (वन अधिकारों को मान्यता) अधिनियम 2006 (2007 का 2) के अंतर्गत लाभार्थी परिवारों की स्वामित्वाधीन भूमि अथवा वास भूमि

विभाग के संदर्भित पत्र के शेष निर्देश एवं समय–समय पर जारी अन्य निर्देश यथावत रहेगें।

उक्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जावें।

12/11/13

(अरूणा शर्मा)
अपर मुख्य सचिव
म.प्र. शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ. क्र./6239/MGNREGS-MP/NR-3/SE-I/2013 भोपाल, दिनांक 6/02/2013

प्रतिलिपि :–

1. कृषि उत्पादन आयुक्त, मध्यप्रदेश।
2. प्रमुख सचिव, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, अनुसूचित एवं आदिम जाति कल्याण विभाग।
4. सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार कृषि भवन, नई दिल्ली।
5. आयुक्त, म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद, भोपाल।
6. आयुक्त, पंचायत राज संचालनालय, तिलहन संघ भवन, भोपाल।
7. आयुक्त सह संचालक, क्षेत्रीय विकास योजनाएं म.प्र.।
8. समस्त संभागायुक्त मध्यप्रदेश।
9. प्रमुख अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, विकास आयुक्त कार्यालय, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
10. मुख्य अभियंता, म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद, भोपाल।
11. समस्त अधीक्षण यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा मंडल मध्यप्रदेश ।
12. समस्त कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, मध्यप्रदेश ।
13. समस्त कार्यक्रम अधिकारी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मध्यप्रदेश। कृपया अपने स्तर से सहायक यंत्री/उपयंत्रियों को इस परिपत्र की प्रति उपलब्ध करावें।

प्रति,

1. विशेष सहायक, मान. मंत्रीजी, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।
2. निज सहायक, मान. राज्य मंत्रीजी, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।
3. स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव कार्यालय, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।

अपर मुख्य सचिव
म.प्र. शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्र. 9777/MGNREGS-MP/NR-3/SE-1/2011 भोपाल, दिनांक: 10/10/2011

प्रति,

कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र.
जिला– समस्त

विषय –मनरेगा अन्तर्गत नवीन उपयोजना "आंतरिक पथ" के संबंध में।

संदर्भ– विभाग का आदेश क्र. 9776/MGNREGS-MP/NR-3/SE-1/2011 दिनांक 10.10.2011

मनरेगा एक्ट की मार्गदर्शिका के तृतीय संस्करण 2008 के अध्याय 14 में उल्लेखित अभिसरण से मनरेगा कार्यों के संपादन को दृष्टिगत रखते हुए म.प्र. के ग्रामीण सीमेंट कांक्रीट सड़क से आंतरिक पथ योजना के क्रियान्वयन का निर्णय लिया गया है। उपयोजना के विस्तृत दिशा निर्देश संदर्भित पत्र से जारी किये गये हैं (संलग्न)।

कृपया इस नवीन उपयोजना का सावधानी से अध्ययन कर अपने जिले में क्रियान्वयन हेतु आवश्यक कार्यवाही करें। इस उपयोजना में निम्न बिन्दुओं की ओर विशेष ध्यान दिया जावे–

1. सीमेंट कांक्रीट आंतरिक मार्ग निर्माण हेतु लगभग 50 प्रतिशत धनराशि मनरेगा से एवं 50 प्रतिशत धनराशि की व्यवस्था अन्य मदों से की जानी होगी।
2. अभिसरण के लिये निम्न विकल्प उपलब्ध हैं
   (i) पंचायत विभाग के द्वारा मूलभूत अनुदान मद की राशि
   (ii) स्टाम्प शुल्क की राशि
   (iii) गौण खनिज मद में उपलब्ध कार्यों की राशि
   (iv) अधोसंरचना सुधार कार्यों हेतु उपलब्ध राशि
   (v) विधायक क्षेत्र विकास निधि की राशि
   (vi) जन सहयोग की राशि
   (vii) अन्य कोई उपलब्ध संसाधन अथवा योजना
3. कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति जारी करने के पूर्व प्राक्कलन अनुसार मनरेगा एवं अभिसरण अंतर्गत पर्याप्त धनराशि की उपलब्धता एवं सक्षम स्वीकृति सुनिश्चित की जावे।
4. जिन ग्रामों को मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से जोड़ा जा रहा है उन ग्रामों में यह कार्य ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा एजेंसी के रूप में कराया जाये, ताकि मार्ग की गुणवत्ता एवं निरंतरता बनी रहे। अन्य स्थानों हेतु एजेंसी ग्राम पंचायत एवं ग्रामीण यांत्रिकी सेवा हो सकते हैं।
5. प्रत्येक प्रकरण में अभिसरण के वर्तमान निर्देशों के अनुरूप प्रशासकीय स्वीकृति जिला कलेक्टर द्वारा दी जायेगी।
6. योजना का व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित किया जाए।
7. उपयोजना का क्रियान्वयन विभाग के समस्त दिशा–निर्देशों एवं मनरेगा अंतर्गत समस्त शासनादेशों का कड़ाई से पालन करते हुए किया जाए।

मुझे विश्वास है कि ग्रामों की आंतरिक गलियों में सीमेंट कांक्रीट मार्ग बनाने की इस बहुप्रतीक्षित एवं बहुअपेक्षित योजना के क्रियान्वयन में आप व्यक्तिगत रूचि लेकर अपने जिले में बड़ी संख्या में कार्य को उत्तम गुणवत्ता के साथ संपादित करायेंगे। इस उपयोजना के बारे आगामी सप्ताह में वीडियो कांफ्रेसिंग में आप सबसे चर्चा की जायेगी।

(अरूणा शर्मा)
प्रमुख सचिव
म.प्र.शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

9778
पृ.क्रमांक/ /MGNREGS-MP/NR-3/SE-1/2011 भोपाल, दिनांक:10/10/2011

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. सचिव, मध्य प्रदेश शासन, संसदीय कार्य विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. सचिव, मध्य प्रदेश शासन, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
4. सचिव, मध्य प्रदेश शासन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
5. सदस्य सचिव, राज्य योजना मण्डल मध्य प्रदेश, भोपाल।
6. अपर सचिव, मध्य प्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, म.प्र. ग्रामीण सड़क एवं आवास विकास प्राधिकरण, पर्यावास भवन, भोपाल।
8. आयुक्त, पंचायतराज संचालनालय, तिलहन संघ भवन, भोपाल।
9. आयुक्त, म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद्, भोपाल।
10. समस्त संभागायुक्त, मध्य प्रदेश।
11. मुख्य अभियंता, पूर्व परिक्षेत्र/पश्चिम परिक्षेत्र, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, विकास आयुक्त कार्यालय, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
12. समस्त अधीक्षण यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा मण्डल, मध्य प्रदेश।
13. समस्त कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा मध्य प्रदेश।
14. समस्त कार्यक्रम अधिकारी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मध्य प्रदेश। कृपया अपने स्तर से सहायक यंत्री/उपयंत्रियों को इस परिपत्र की प्रति उपलब्ध करावें।
15. समस्त सहायक यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा/मनरेगा, मध्य प्रदेश।
16. समस्त उपयंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा/मनरेगा, मध्य प्रदेश।
17. विशेष सहायक, मान. मंत्रीजी, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग,।
18. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।

प्रमुख सचिव
म.प्र. शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

म.प्र. शासन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

महात्मा गांधी नरेगा एवं अन्य योजनाओं के अभिसरण से आंतरिक पथ उपयोजना

05 अक्टूबर 2011

1. प्रस्तावनाः ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामों की आंतरिक गलियों में कीचड़ से आवागमन में होने वाली परेशानी एवं ग्राम वासियों के स्वास्थ्य पर पडने वाले प्रतिकूल प्रभावों से निजात दिलाने के लिए मनरेगा की राशि में अन्य मद की राशि के अभिसरण से आतंरिक मार्ग निर्माण कराये जाने हेतु विभाग के पत्र क्रमांक 11094 दिनांक 03.11.2010 से निर्देश जारी किए गए है। विभाग द्वारा आयोजित संभागीय समीक्षा बैठकों एवं जन प्रतिनिधियों के माध्यम से प्राप्त जानकारी अनुसार विभाग द्वारा जारी हुये निर्देशों का युक्तियुक्तकरण किए जाने की आवश्यकता प्रतिपादित की गई है। अतएव समुचित विचार–विमर्श उपरांत इन निर्देशों को अधिक्रमित करते हुए एवं मनरेगा अधिनियम की मार्गदर्शिका के तृतीय संस्करण 2008 के अध्याय 14 में अनुमत अभिसरण से मनरेगा के कार्यो के लिए संपादन को दृष्टिगत रखते हुए ग्रामों में सीमेन्ट कांक्रीट मार्ग निर्माण हेतु "आंतरिक–पथ" उपयोजना की आयोजना के क्रियान्वयन का निर्णय लिया गया है। उपयोजना का विवरण नीचे दिया गया है।

2. उपयोजना में अनुमत कार्यः महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की अनुसूची 1 के अंतर्गत बिन्दु क्र. (viii) पर बारहमासी सड़क सम्पर्क से संबंधित कार्य लिये जाने पर योजना केन्द्रित की गई है। कार्यान्वयन दिशा–निर्देश 2008 के पैराग्राफ 6.1 में दी गई अनुमत कार्यों की सूची के बिन्दु क्रमांक (viii) में ग्राम की आंतरिक सड़कों के निर्माण का प्रावधान है। यद्यपि सीमेंट कांक्रीट सड़क का कार्य सम्पन्न न किए जाने का उल्लेख है, परन्तु पैराग्राफ 14.1 में अन्य योजनाओं से अभिसरण किया जाना अनुमत है। तदनुसार आंतरिक पथ निर्माण में सीमेंट कांक्रीट से संबंधित निर्माण मद का शत् प्रतिशत कार्य महात्मा गांधी नरेगा से निर्माण करवाया जाना अनुमत नहीं होगा, इस निर्माण मद का कार्य अन्य योजनाओं के अभिसरण से ही सम्पन्न किया जावे।

3. अभिसरणः सीमेन्ट कांक्रीट की सड़क एवं पक्की नाली के निर्माण में मजदूरी एवं सामग्री पर व्यय का अनुपात महात्मा गांधी नरेगा हेतु निर्धारित 60:40 से कही अधिक होता है। अतः सीमेंट काक्रीट सड़क एवं नाली के निर्माण पर आने वाली लागत शत प्रतिशत महात्मा गांधी नरेगा योजना से स्वीकृत नहीं की जावेगी। तथापि योजना की मार्गदर्शिका–2008 के अध्याय 14 में निहित प्रावधान के अनुसार इन निर्माण कार्यो का सम्पादन मनरेगा के साथ अन्य योजनाओं/मदों से अभिसरण किया जाकर सम्पन्न किया जावेगा।

उक्त अभिसरण में इस परिपत्र में उल्लेखित ग्राम पंचायतों की निधि के उपयोग की अनुमति दी गई है। साथ ही सामुदायिक संरचनाओं के निर्माण का प्रावधान है।

उपरोक्त निर्देशों को ध्यान में रखते हुए यह उपयोजना जारी की जा रही है। जिसके अंतर्गत सुनिश्चित किया जावेगा कि –

(अ) मनरेगा मद से सीमेंट कांक्रीट संबंधी कार्य बुक न किया जाए।

(ब) मनरेगा योजना के अन्य सभी निर्देश एवं परिपत्रों का पालन किया जाए।

(स) अभिसरण हेतु अन्य मदों की राशि उपलब्ध होने के बाद ही सीमेंट कांक्रीट का कार्य प्रारंभ किया जाए।

4. कार्यों का चयन एवं अन्य विवरणः उपयोजना के अंतर्गत कार्यों की चयन प्रक्रिया एवं अन्य विवरण निम्नानुसार हैः

a. ग्रामों के आंतरिक मार्ग सामान्यतः जिसके दोनों तरफ मकान बने हों सीमेंट कांक्रीट रोड कार्य हेतु चयन किये जा सकेंगे।

b. किसी भी प्रकार के पहुंच मार्ग, मुख्य मार्ग एवं सम्पर्क मार्गों का निर्माण इस उपयोजना में अनुमत नहीं होगा एवं यह सुनिश्चित किया जावे कि केवल ग्रामों के आबादी क्षेत्र में स्थित आंतरिक मार्ग ही इस उपयोजना में निर्मित होवें।

c. समाज के कमजोर वर्गों के आबादी क्षेत्रों की ओर विशेष ध्यान देकर प्राथमिकता पर वहॉ कार्य कराऍं जाऍं।

d. आंतरिक मार्गों की चौड़ाई विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न–भिन्न हो सकती परन्तु ग्रामीण यातायात की सुगमता की दृष्टि से 3 मीटर से अधिक चौड़ाई में सामान्यतः यह कार्य नहीं किया जावेगा। 3 मीटर चौड़ाई से कम परन्तु 1.2 मीटर या उससे अधिक चौड़ाई की गलियों में भी सीमेन्ट कांक्रीट की सड़क का निर्माण इस उपयोजना में अनुमत होगा। 3 मीटर चौड़ाई की सड़क के दोनों ओर सामान्यतः पक्की नाली का निर्माण किया जावे परन्तु 3 मीटर से 2 मीटर चौड़ाई की गलियों में केवल एक तरफ उचित ढाल देकर नाली निर्मित की जा सकती है एवं 2 मीटर से कम चौड़ाई की गली में पक्की नाली बनाने की वजाए एक ओर ढाल देकर उचित जल निकास किया जा सकता है। विवरण तालिका अनुसार हैः

मनरेगा मे अन्य मद के अभिसरण से ग्रामीण क्षेत्र में विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों में औसत आधार पर 100 मीटर सीमेंट कांक्रीट रोड की मानक लागत (राशि लाख रूपये में)

स. क.	निर्माण कार्य			कुल लागत	मनरेगा के अंतर्गत लिये जाने वाले कार्य की लागत			अभिसरण (अन्य योजनाओं से लिये जाने वाले कार्यों की लागत)	अभिसरण का प्रतिशत
	सीमेंट कांक्रीट पेवमेंट	पक्की नाली विवरण	स्थानीय परिस्थिति		60% मजदूरी	40% सामग्री	कुल		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	3.00 मीटर चौडी सीमेंट कांक्रीट रोड	हाफ राउण्ड सीमेंट कांक्रीट पाइप की नाली (रोड के दोनो तरफ)	काली मिट्टी का क्षेत्र	3.80	1.04	0.69	1.73	2.07	54%
2			कडी मिट्टी का क्षेत्र	3.50	0.84	0.56	1.40	2.10	60%
3	2.00 मीटर चौडी सीमेंट कांक्रीट रोड	हाफ राउण्ड सीमेंट कांक्रीट पाइप की नाली (रोड के एक तरफ)	काली मिट्टी का क्षेत्र	1.91	0.55	0.37	0.92	0.99	52%
4			कडी मिट्टी का क्षेत्र	1.70	0.41	0.27	0.68	1.02	60%
5	1.2 मीटर चौडी सीमेंट कांक्रीट रोड	बगैर नाली के	काली मिट्टी का क्षेत्र	0.86	0.26	0.17	0.43	0.43	50%
6			कडी मिट्टी का क्षेत्र	0.72	0.17	0.11	0.28	0.44	61%

e. राज्य स्तर पर वर्तमान दरों पर तैयार किये गये प्राक्कलनों के अनुसार अलग–अलग चौड़ाइयों में सीमेंट कांक्रीट सड़क एवं पक्की नाली निर्माण में आने वाली लागत का विवरण ऊपर दर्शित तालिका में दिया गया है। तालिका में कॉलम क्रमांक–6,7,8 में दर्शाऐ अनुसार मनरेगा के अंतर्गत लिए जा सकने वाले लागत अंश एवं कॉलम क्रमांक–9 में अन्य मदों/योजनाओं के अभिसरण से लिए जा सकने वाले लागत अंश का विवरण भी स्पष्ट किया गया है। इस अनुसार ही अनुमान लागत अंश का कार्य मनरेगा योजना में लिया जाना अनुमत होगा।

f. कुल निर्माण लागत का जो अंश मनरेगा के अंतर्गत अनुमत नहीं है उस अंश के लिए राशि की व्यवस्था निम्न मदों से की जा सकती है।

(i) विधायक निधि।
(ii) पंचायत विभाग के मूलभूत मद की राशि।
(iii) स्टाम्प शुल्क।
(iv) गौण खनिज।
(v) अधोसंरचना सुधार।
(vi) जन सहयोग से मिलने वाली राशि।
(vii) अन्य कोई उपलब्ध संसाधन अथवा योजना की राशि।

जन सहयोग की राशि संबंधित पंचायत में जमा हो जाने के उपरान्त ही इस उपयोजना के तहत निर्माण कार्य स्वीकृत किए जाने की कार्यवाही की जावे। ग्राम पंचायत की निधियों के उपयोग हेतु संबंधित ग्राम पंचायत को नियमानुसार निर्णय स्वयं लेना होगा।

g. विभाग के पत्र क्रं. 11094/MGNREGS-MP/NR-3/SE-1/2011, दिनांक 03.11.2010 से अभिसरण के अंतर्गत निर्माण कार्यों की स्वीकृति के अधिकार दिए गए हैं। इसके अनुसार ही इन कार्यों की स्वीकृति प्रदाय की जावे। मनरेगा अभिसरण अंतर्गत प्रस्तावित कार्य हेतु प्रस्ताव अभिसरण मद से संबंधित प्राधिकारी द्वारा जिला कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक मनरेगा को भेजा जावेगा।

h. निर्माण लागत के अनुसार सामान्यतः निर्माण एजेन्सी ग्राम पंचायत या ग्रामीण यांत्रिकी सेवा निर्धारित किया जाना अनिवार्य होगा। जिन ग्रामों को मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत जोड़ा जा रहा है, उन ग्रामों में यह कार्य ग्रामीण यांत्रिकी सेवा से कराया जाए, ताकि मार्ग की गुणवत्ता एवं निरन्तरता बनी रहे।

i. सीमेंट क्रांकीट सड़क निर्माण के प्रस्ताव स्थल सर्वेक्षण उपरांत भूमि की उपलब्धता के अनुसार ही तैयार किये जा सकेंगे।

5. कार्य स्वीकृति की प्रक्रियाः– उपयोजना में कार्यों की स्वीकृति की प्रक्रिया निम्नानुसार होगीः

a. अभिसरण के तहत किये जाने वाले कार्यों का मनरेगा के प्रावधानों के अनुरूप त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं अर्थात ग्रामसभा, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत से अनुमोदित होकर शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट में शामिल होना सुनिश्चित किया जावे। तदोपरांत कार्य ग्राम पंचायत की वार्षिक कार्य–योजना में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत के अनुमोदन उपरांत शामिल किया जावे।

b. उपयोजना के अंतर्गत कार्यों के तकनीकी प्राक्कलन स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार जिला दर अनुसूची के आधार पर आवश्यक सर्वेक्षण एवं अनुसंधान के आधार पर तैयार किये जावेंगे। मार्गदर्शन के लिए कार्यों के मानक प्राक्कलन तैयार किए गए हैं, जिसके आधार पर प्राप्त लागत का विवरण कण्डिका 3(d) में दर्शित तालिका में दिया गया है। सीमेंट कांक्रीट मार्ग निर्माण हेतु सामान्य तकनीकी निर्देश परिशिष्ट–1 पर संलग्न है। निर्माण कार्य निर्धारित स्पेशीफिकेशन्स के अनुसार ही सम्पन्न किए जावेंगे।

c. ग्राम पंचायत द्वारा अभिसरण की राशि उपलब्ध होने एवं प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव, ठहराव उपलब्ध कराया जाएगा।

d. स्थल की आवश्यकता के अनुरूप तैयार किये गये प्राक्कलन की लागत में से कण्डिका 3(d) में दर्शित तालिका अुनसार मनरेगा के अंश की राशि प्राक्कलन का भाग–1 मानी जावेगी। अभिसरण के माध्यम से उपलब्ध होने वाली शेष राशि प्राक्कलन का भाग–2 मानी जावेगी। अभिसरण के तहत सीमेंट कांक्रीट सड़क निर्माण कार्य की तकनीकी स्वीकृति कार्यपालन यंत्री अथवा उससे वरिष्ठ स्तर के तकनीकी अधिकारी द्वारा जारी की जावेगी।

e. अभिसरण के कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति एवं कार्य एजेंसी का निर्धारण जिला कलेक्टर के द्वारा अभिसरण मद अंतर्गत राशि सुनिश्चित करते हुये जारी की जावेगी। प्रशासकीय स्वीकृति आदेश में अलग–अलग मदों से स्वीकृत की जाने वाली राशि का स्पष्ट उल्लेख किया जावे। इसमें मजदूरी और सामग्री हेतु प्रावधानित राशि का स्पष्ट उल्लेख हो। कार्य एजेंसी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा अथवा ग्राम पंचायत को रखा जाना है, जिला कलेक्टर द्वारा निर्धारण किया जावेगा।

6. वित्तीय व्यवस्था एवं लेखा संधारणः

a. तकनीकी स्वीकृति मे भाग–1 की राशि की व्यवस्था मनरेगा मद से की जा सकेगी।

b. तकनीकी स्वीकृति मे भाग–2 की राशि की व्यवस्था अभिसरण हेतु नियत विधायक निधि या अन्य विभागीय मद/विभाग अंतर्गत संचालित योजना मद से की जा सकेगी।

c. कार्य में प्रयुक्त होने वाली सामग्री का क्रय वित्तीय संहिता एवं म.प्र भण्डार क्रय नियम का पालन करते हुये किया जाकर भुगतान उपरांत देयकों को कार्य की नस्ती में संधारित किया जावे।

d. कार्य की एजेंसी ग्राम पंचायत होने पर लेखा, पंचायत एक्ट के नियमों के तहत संधारित किये जायेगें, प्रत्येक योजना के आय–व्यय के लिये अलग–अलग लेजर संधारित किये जायेगें। लेखों का अंकेक्षण संबंधित एजेंसी, महालेखाकार एवं सनदी लेखाकार द्वारा किया जावेगा।

e. कार्य की एजेंसी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा होने पर लेखों का अंकेक्षण संबंधित एजेंसी, महालेखाकार एवं सनदी लेखाकार द्वारा किया जावेगा।

f. अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप अंकेक्षण हेतु लेखे उपलब्ध रखे जावें।

g. क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा प्रत्येक कार्य का ग्राम सभा में सामाजिक अंकेक्षण कराया जावे।

7. कार्यों का क्रियान्वयन :

a. कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा नियत क्रियान्वयन एजेंसी को कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति अनुसार प्रत्येक मद की अलग–अलग राशि जारी की जावे।

b. ऐसी राशियॉ जो ग्राम पंचायतों के पास उपलब्ध हैं, उन्हें संबंधित ग्राम पंचायत स्वयं एजेंसी होने की दशा में अभिसरण हेतु स्वयं उपलब्ध कराएंगी एवं ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के एजेन्सी होने की स्थिति में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा को उपलब्ध कराएंगी।

c. सम्पूर्ण प्राक्कलन अनुसार धनराशि की सुनिश्चित व्यवस्था पूर्ण किए बिना प्रशासकीय स्वीकृति जारी नहीं की जाएगी। इसमें अभिसरण की धनराशि की उपलब्धता एवं सक्षम स्वीकृति दोनों होना अनिवार्य है।

d. जनपद पंचायत के कार्यक्रम अधिकारी द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति जारी होने के तीन दिवस में क्रियान्वयन एजेंसी, को कार्य प्रारम्भ करने हेतु मस्टर रोल व माप पुस्तिका जारी की जावे।

e. क्रियान्वयन एजेंसी ग्राम स्तर पर कार्य का प्रचार प्रसार करते हुये ले–आउट देगी जिससे अकुशल श्रम के इच्छुक जॉबकार्डधारी मजदूरों को आसानी से कार्य उपलब्ध हो सके।

f. कार्य का क्रियान्वयन मनरेगा के प्रावधानों का पालन करते हुये मस्टर रोल पद्धति से कराया जावेगा। कार्य में मानव श्रम के बदले मशीनरी का उपयोग एवं ठेकेदारी प्रथा पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी।

g. अभिसरण के अंतर्गत कराये जाने वाले कार्यों के स्थल पर एक सूचना फलक लगाया जावें जिसमें कार्य का नाम एवं कुल लागत का उल्लेख किया जाकर उसके नीचे स्पष्ट रूप से मनरेगा मद एवं विधायक या अन्य मद से व्यय की जानी वाली राशि का उल्लेख हो।

h. कार्य में व्यय की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रत्येक योजना के संबंधित प्रभारी अधिकारी को क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा भेजा जावे। उपयोगिता प्रमाण–पत्र में कुल व्यय राशि के साथ मनरेगा एवं अन्य मद की राशि का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

i. कार्य में प्रयुक्त होने वाले अंतिम मस्टर रोल के भुगतान उपरांत 15 दिवस की सीमा में कार्य का पूर्णता प्रमाण–पत्र जारी किया जावे। पूर्णता प्रमाण–पत्र पर क्रियान्वयन एजेंसी के प्राधिकृत अधिकारी के साथ सहायक यंत्री, मनरेगा/ग्रा.या.से. के हस्ताक्षर होगें, साथ ही उक्त अधिकारियों का कार्य स्थल के साथ लिया गया फोटोग्राफ संलग्न कराया जावे।

8. मूल्यांकन एवं मजदूरी भुगतान :–

a. कार्य की क्रियान्वयन एजेंसी शासकीय विभाग होने पर मूल्यांकन का कार्य संबंधित विभाग के अधिकारियों द्वारा साप्ताहिक रूप से किया जावे।

b. कार्य की एजेंसी ग्राम पंचायत होने पर मूल्यांकन का कार्य संबंधित उपयंत्री मनरेगा/ग्रा.या.से. द्वारा सप्ताहिक रूप से किया जावेगा।

c. कार्य का मूल्यांकन एवं जॉबकार्ड धारी मजदूरों को उनके द्वारा किये गये कार्य की मजदूरी का भुगतान 15 दिवस की समय सीमा में बैंक/पोस्ट ऑफिस में खोले गये उनके खातों में किया जावें।

d. मनरेगा मद की राशि के मूल्यांकित मस्टर रोल एवं देयकों के माध्यम से व्यय की गई राशि की एम.आई.एस. प्रविष्टि अनिवार्यतः की जावे।

9. निरीक्षण एवं गुणवत्ता नियंत्रणः–

a. क्रियान्वयन एजेंसी से मनरेगा मद में मजदूरी एवं सामग्री का अनुपात 60:40 सुनिश्चित किया जावे। कार्यों का संपादन तकनीकी मापदण्डों के अनुरूप गुणवत्ता पूर्वक कराया जावे।

b. सीमेंट कंक्रीट की Compressive strength हेतु प्रयोगशाला परीक्षण किया जावे। IS-516 के अनुसार प्रतिदिवस सीमेंट कांक्रीट के 6 क्यूब तैयार किये जावे जिनमें से 3 का परीक्षण 7वें दिवस तथा 3 का परीक्षण 28 वें दिवस किया जावे।

c. IS-1199 के अनुसार सीमेंट कांक्रीट की Workablity हेतु प्रत्येक 3 Cum सीमेंट कांक्रीट की मात्रा हेतु प्रयोगशाला में Slump test किया जावे।

d. मनरेगा अंतर्गत जिला स्तरीय क्वालिटी कंट्रोल प्रयोगशाला की स्थापना प्रस्तावित है। अतएव उक्त परीक्षण मनरेगा की प्रयोगशाला स्थापना होने तक म. प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण की जिले में स्थित प्रयोगशालाओं में किये जावें।

e. सीमेंट कांक्रीट सड़क के निर्माण के दौरान उपयंत्री कार्य स्थल पर उपस्थित रहकर कार्य का गुणवत्ता पूर्वक संपादन सुनिश्चित करेगें एवं समय–समय पर सीमेंट कांक्रीट के नमूने (Sample) एकत्रित कर सहायक यंत्री से माध्यम से परीक्षण हेतु प्रयोगशाला में भिजवाया जाना सुनिश्चित करेगें।

f. सीमेंट कांक्रीट सड़क निर्माण के दौरान दिवस में एक बार सहायक यंत्री का निरीक्षण अनिवार्य होगा। कार्य की गुणवत्ता के संबंध में सहायक यंत्री द्वारा साइट आर्डर बुक में टीप अंकित की जावे।

g. कार्यों का भौतिक सत्यापन ग्राम स्तरीय सतर्कता एवं मूल्यांकन समिति से कराया जावे।

h. जिलास्तर से कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण सेवा द्वारा सीमेंट कांक्रीट सड़क के 10% कार्यों का तथा नियुक्त राज्य स्तरीय एवं संभाग स्तरीय क्वालिटी मॉनीटर द्वारा समय–समय पर निरीक्षण किया जा सकेगा।

i. विभाग के आदेश क्र. 3665/22/वि–7/ग्र.या.से./06 दिनांक 22.06. 2006 के तहत जारी निर्देशों के अनुसार प्रत्येक कार्य का Exit Protocol कराया जावे।

ग्रामों मे सीमेंट कांक्रीट मार्ग के निर्माण हेतु उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करते हुये "आंतरिक–पथ" उपयोजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जावे।

(अरूणा शर्मा)
प्रमुख सचिव
म.प्र. शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ.क्रमांक/9776/MGNREGS-MP/NR-3/SE-1/2011 भोपाल, दिनांक: 10/10/2011

प्रतिलिपि:–

1. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. सचिव, मध्य प्रदेश शासन, संसदीय कार्य विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. सचिव, मध्य प्रदेश शासन, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
4. सचिव, मध्य प्रदेश शासन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
5. सदस्य सचिव, राज्य योजना मण्डल मध्य प्रदेश, भोपाल।
6. अपर सचिव, मध्य प्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, म.प्र. ग्रामीण सड़क एवं आवास विकास प्राधिकरण, पर्यावास भवन, भोपाल।
8. आयुक्त, पंचायतराज संचालनालय, तिलहन संघ भवन, भोपाल।
9. आयुक्त, म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद्, भोपाल।
10. समस्त संभागायुक्त, मध्य प्रदेश।
11. मुख्य अभियंता, पूर्व परिक्षेत्र/पश्चिम परिक्षेत्र, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, विकास आयुक्त कार्यालय, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
12. समस्त अधीक्षण यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा मण्डल, मध्य प्रदेश।
13. समस्त कार्यपालन यत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा मध्य प्रदेश।
14. समस्त कार्यक्रम अधिकारी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मध्य प्रदेश। कृपया अपने स्तर से सहायक यंत्री/उपयंत्रियों को इस परिपत्र की प्रति उपलब्ध करावें।
15. समस्त सहायक यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा/मनरेगा, मध्य प्रदेश।
16. समस्त उपयंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा/मनरेगा, मध्य प्रदेश।
17. विशेष सहायक, मान. मंत्रीजी, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग,।
18. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।

SD

प्रमुख सचिव
म.प्र. शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

मध्यप्रदेश शासन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्रमांक / 9581 / MGNREGS-MP / NR-3 / SE-I / 2013, भोपाल, दिनांक 17/12/2013

प्रति,

1. कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
   महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म0प्र0
   जिला–समस्त
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक
   महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म0प्र0
   जिला–समस्त
3. कार्यपालन यंत्री,
   ग्रामीण यांत्रिकी सेवा (समस्त)

विषयः– महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत ग्रेवल सड़कों के निर्माण (ग्राम एवं मजरे–टोले जो PMGSY/CMGSY में शामिल नहीं है) हेतु "सुदूर ग्राम सम्पर्क व खेत सड़क" उपयोजना।

––0––

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्धारित आबादी के गांवों को जोड़ने के लिए सड़कें तैयार की ज़ा रही हैं जबकि मुख्य मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत ऐसे गांवों को ग्रेवल सड़क से जोड़ने का कार्यक्रम चल रहा है जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत नहीं लिए जा सके हैं। कई गांवों के मजरे टोले तथा खेत समूहों के लिए सड़कें एवं मोबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए एक से अधिक सड़क सम्पर्क की आवश्यकता प्रतिपादित हुई है। भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा मनरेगा एक्ट तथा मार्गदर्शिका के अनुसार बारहमासी मार्गो का निर्माण अनुमत है एवं सड़क निर्माण चरणबद्ध किया जा सकता है। तद्नुसार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के अंतर्गत एवं आवश्यकता पड़ने पर अभिसरण से इन मार्गो के निर्माण का कार्य किया जावे।

बिना पुल–पुलियों के निर्माण कार्य सम्पन्न किए सड़क सम्पर्क पूर्ण नहीं हो सकता अतः पुल–पुलियों का निर्माण कार्य भी इस उपयोजना में सम्पन्न किया जावेगा। प्रत्येक कार्य के लिए स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार पुल–पुलिया निर्माण सहित पूर्ण प्राक्कलन तैयार किए जाकर नियमानुसार स्वीकृतियॉ दी जावेंगी। यदि निर्माण कार्य के प्राक्कलन के अनुसार मजदूरी पर न्यूनतम 60% से कम आंकलित होने पर एवं ग्राम पंचायत / विकासखंड (जैसी भी स्थिति हो) स्तर पर निर्धारित मजदूरी सामग्री अनुपात 60 : 40 संधारण में कठिनाई होने पर निर्माण कार्य अभिसरण के तहत संपन्न किया जावेगा।

उपरोक्तानुसार मुख्य सड़क से जोडे जाने के लिए पुल–पुलियों सहित ग्रेवल की सड़क से उपलब्ध करवाये जाने वाला सडक सम्पर्क CMGSY मापदण्ड अनुसार ही होगी। ग्रेवल सड़के तब तक टिकाऊ नही हो सकती जब तक की उनका नियमित संधारण

सुनिश्चित न हो सके। अतः निर्माण कार्य के साथ ही सीमित अवधि (न्यूनतम दो वर्ष) के लिए नियमित संधारण को संबद्ध करना अपरिहार्य होगा। इस कार्य को संपन्न करने के लिए निम्नानुसार कार्यवाही की जावेः--

1. **कार्य की स्वीकृति की प्रक्रियाः**

(a). योजनान्तर्गत किसी भी कार्य हेतु भू–अर्जन नहीं किया जाना है अतएव निस्तार पत्रक/वाजिब–उज–अर्ज में अंकित मार्गों को प्रस्तावित उपयोजना अंतर्गत लिए जाने का ध्यान रखा जावे। ग्राम पचायत अंतर्गत प्रस्तावित सडकों का चिन्हांकन ग्राम रोजगार सहायक, पंचायत सचिव, सरपंच एवं उपयंत्री के द्वारा ग्राम वासियों के साथ वाक थ्रू सर्वे कर, चिन्हित सडकों की सूची तैयार की जावे। यह ध्यान रखा जावे कि चिन्हित सडक PMGSY/CMGSY/PWD द्वारा प्रस्तावित नहीं है न ही पूर्व में महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत निर्मित हुई है संलग्न प्रपत्र–1 अनुसार सूची तैयार कर कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा एवं महाप्रबंधक, म.प्र. ग्रामीण सडक् विकास प्राधिकरण से प्रपत्र–1 में ही सत्यापन कराया जावे। तदोपरांत मनरेगा के प्रावधानो के अनुरूप त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं द्वारा नियमानुसार अनुमोदन किया जाकर कार्यो को शेल्फ आफ प्रोजेक्ट एवं ग्राम पंचायत की वार्षिक कार्य योजना में शामिल किया जाए।

(b). इन कार्यो के लिए विस्तृत तकनीकी अनुदेश एवं सांकेतिक प्राक्कलन संलग्न किये गये है। यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रत्येक निर्माण कार्यो को संपादित करने के लिए इन तकनीकी अनुदेशो एवं स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार जिला दर अनुसूची के आधार पर आवश्यक सर्वेक्षण उपरांत तकनीकी प्राक्कलन तैयार किये जाए।

(c). पुल पुलियों सहित ग्रेवल सड़कें तब तक टिकाऊ नही हो सकती जब तक की उन पर आवश्यकतानुसार संधारण कार्य न किया जाए। अतः संधारण को निर्माण से संबद्ध करते हुए इन सड़क निर्माण कार्यो के प्राक्कलन दो भागो मे बनाये जावेगे। प्रथम भाग पुल पुलियों सहित सड़क निर्माण का होगा एवं दूसरा भाग निर्माण पूर्ण होने के बाद 2 वर्ष तक सड़क के संधारण के लिए होगा। प्राक्कलन के साथ तकनीकी प्रतिवेदन अनिवार्यतः तैयार किया जावेगा। तकनीकी प्रतिवेदन में निर्माण कार्य की उपयोगिता के रूप में लाभान्वित होने वाले ग्राम, मजरे–टोले उनकी जनसंख्या का उल्लेख किया जावे। ग्राम के उत्पादक केन्द्रों अर्थात् खेत से सडक संपर्क जोडे जाने पर लाभान्वित होने वाले कृषक समूह, भूमि हेक्टे. में व संभावित कृषि उपज की मात्रा जिसका परिवहन खेत से घर तक या कृषि उपज मंडी/अन्य विक्रय केन्द्र तक होना है, ऐसे स्थलों का विवरण देते हुये परिवहन कार्य में होने वाली समय की बचत का भी उल्लेख सडक निर्माण से होने वाले आउटकम के रूप में किया जावे।

(d). निर्माण कार्य की तकनीकी स्वीकृति भी दो भागो मे होगी। निर्माण कार्य भाग–1 में पुल पुलियों सहित सड़क निर्माण की तकनीकी स्वीकृति राशि एवं संधारण कार्य भाग–2 की तकनीकी स्वीकृति राशि का उल्लेख स्वीकृति आदेश मे पृथक–पृथक किया जावेगा।

(e). **उपरोक्तानुसार ही कार्यो की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की जावेगी जिसमें निर्माण कार्य भाग–1 की स्वीकृति राशि एवं संधारण कार्य भाग–2 की स्वीकृति राशि का उल्लेख प्रशासकीय स्वीकृति आदेश मे पृथक्–पृथक किया जावेगा। एमआईएस मे इस निर्माण कार्य के भाग–1 एवं भाग–2 के पृथक कार्य के रूप मे दर्शाया जावेगा यह स्पष्ट किया जाता है कि नियमित संधारण (Routine Maintenance) मरम्मत अथवा रिपेयर की श्रेणी मे नही आता एवं इसे मूल कार्य के रूप मे ही माना जावेगा।**

(f). **यह स्पष्ट किया जाता है कि पुल पुलियों सहित सड़क निर्माण कार्य भाग–1 पूर्ण हो जाने पर तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति में उल्लेख अनुसार पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जावेगा एवं तद्नुसार ही लेखा संधारण किया जावेगा। नियमित संधारण कार्य भाग–2 तब ही प्रांरभ किया जायेगा जबकि निर्माण कार्य भाग–1 का पूर्णता प्रमाण पत्र जारी हो चुका हो। प्राक्कलन में प्रावधान के अंतर्गत ही व्यय किया जा सकेगा।**

(g). **इन कार्यो का संपादन ग्राम पंचायतो के माध्यम से किया जा सकेगा।**

(h). इन सड़को पर आने वाले पुल–पुलियो का निर्माण सड़क के साथ करने मे यदि मजदूरी एवं सामग्री का अनुपात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अनुसार 60:40 होता है तो उक्त अनुपात को संधारित करते हुए पुल–पुलियो का कार्य भी सड़क के साथ ही शामिल करते हुए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत स्वीकृत किया जावे।

(i). यदि सडक पर आने वाले पुल–पुलिया के निर्माण को करने मे मजदूरी एवं सामग्री का अनुपात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अनुसार 60:40 नही होता है तो भी प्राक्कलनों की स्वीकृति पुल–पुलियो सहित ही की जावेगी। परन्तु मनरेगा एक्ट मार्गदर्शिका के तृतीय संस्करण 2008 के अध्याय 14 में उल्लेखित अभिसरण से इस उपयोजना में नियमानुसार कार्य स्वीकृत किया जाकर सम्पन्न किया जायेगा।

(j). अभिसरण के लिये निम्न योजनाओं के विकल्प उपलब्ध है:–

(i). पंच परमेश्वर
(ii). बीआरजीएफ/आईएपी
(iii). परफारमेंस ग्रान्ट, जिन जिलों में बीआरजीएफ लागू नहीं है।
(iv). अधोसंरचना सुधार कार्यो हेतु उपलब्ध राशि
(v). सांसद/विधायक क्षेत्र विकास निधि की राशि
(vi). जन सहयोग की राशि
(vii). अन्य कोई उपलब्ध संसाधन अथवा योजना

(k). कार्यो की प्रशासकीय स्वीकृति जारी करने के पूर्व प्राक्कलन अनुसार मनरेगा एवं अभिसरण अंतर्गत पर्याप्त धनराशि की उपलब्धता एवं सक्षम स्वीकृति सुनिश्चित की जावे।

(l). अभिसरण के प्रत्येक प्रकरण में अभिसरण के वर्तमान निर्देशों के अनुरूप प्रशासकीय स्वीकृति जिला कलेक्टर द्वारा दी जायेगी। जिन ग्रेवल सडकों का निर्माण मनरेगा के प्रावधान अनुसार मजदूरी सामग्री अनुपात 60 : 40 में किये जाने की स्थिति रहती है, उनकी तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी की जा सकेगी।

(m). यह सुनिश्चित किया जाए कि सड़क एवं पुल–पुलिया से संबंधित स्वीकृतियां एक साथ जारी हो।

2. **वित्तीय व्यवस्था एवं लेखा संधारणः**

(a). महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के पूर्ण नियम लागू होते हुये इन निर्माण कार्यो के लिए राशि की व्यवस्था मनरेगा एवं अन्य प्रचलित योजनाओं के अभिसरण से की जावेगी।

(b). कार्य की एजेन्सी ग्राम पंचायत होने के कारण लेखा संधारण निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जावेगा एवं आंकेक्षण संबंधित एजेन्सी, महालेखाकार एवं सनदी लेखाकार द्वारा निर्धारित नियमो के अनुसार किया जावेगा।

(c). अभिसरण से किये जाने वाले कार्य के लेखों का संधारण संबंधित स्कीम के प्रावधानों के तहत किया जाना होगा।

(d). प्रत्येक कार्य का सामाजिक आंकेक्षण नियमानुसार ग्राम सभा मे होगा।

3. **कार्यो का क्रियान्वयनः**

(a). महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में संपन्न हो रहे अन्य कार्यो की तरह ग्राम पंचायत के कार्यो हेतु जारी नवीन परिपत्र क. 2 दिनांक 20.02.2013 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार ही ई–मस्टर रोल पद्धति से इन कार्यो का संपादन होगा।

(b). ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम स्तर पर कार्य का प्रचार–प्रसार करते हुए उपयंत्री की सहायता से सेटिंग आउट (ले–आउट) दिया जावेगा जिससे अकुशल श्रम के इच्छुक जाबकार्डधारी मजदूरो को आसानी से कार्य उपलब्ध हो सके।

(c). प्रत्येक निर्माण कार्य पर एक निर्धारित पक्का सूचना फलक लगाया जावे।

(d). इन निर्माण कार्यो में मिट्टी एवं ग्रेवल का कार्य तो होना है परन्तु मिट्टी एवं ग्रेवल के परिवहन, पानी के छिडकाव एवं काम्पेक्शन करने के लिए निर्धारित ट्रक या ट्रेक्टर, पानी का टैंकर एवं रोलरो की आवश्यकता होगी। ग्राम पंचायत का यह दायित्व होगा कि निर्माण कार्य संपादन करने की योजना उपयंत्री के मार्ग दर्शन में तैयार करे एवं यथा समय आवश्यक ट्रक या ट्रेक्टर, पानी का टैंकर एवं रोलरो आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

(e). उपयंत्री का यह दायित्व होगा कि निर्माण कार्य संपादन में आवश्यक सामग्री एवं शिल्प कौशल के लिए निर्धारित प्रयोगशाला एवं फील्ड टेस्टिंग का कार्य वे स्वयं संपन्न करेगे एवं समस्त टेस्ट रिकार्ड स्थल पर उपलब्ध होना सुनिश्चित करेगे। यह

ग्राम पंचायत एवं उपयंत्री का सम्मिलित दायित्व होगा कि निर्माण कार्य निर्धारित गुणवत्ता का ही हो।

4. **मूल्यांकन एवं मजदूरी का भुगतानः** मूल्यांकन का कार्य संबंधित उपयंत्री मनरेगा अथवा ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा साप्तहिक मस्टर रोल क्लोजर से 3 दिवस के अंदर किया जावेगा एवं दिनाक 01.04.2013 से लागू ईएफएमएस प्रणाली के माध्यम से मजदूरी एवं सामग्री के भुगतान की कार्यवाही निर्धारित प्रकिया का पालन करते हुये जनपद पंचायत स्तर से एफटीओ के माध्यम से संबंधितों के बैंक/पोस्ट आंफिस में प्रचलित खातों में निर्धारित अवधि में किया जावेगा।

5. **निरीक्षण एवं निगरानीः** इंजिनियर्ड ग्रेवल सडकें बनाया जाना एक तकनीकी कार्य है अतः इस कार्य की निगरानी गंभीरता से की जाना होगी। इस कार्य की निगरानी के लिए निम्नलिखित विशेष निर्देशो का पालन सुनिश्चित किया जाएः

(a). जिला कलेक्टर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत यह सुनिश्चित करेगे कि प्रत्येक जनपद पंचायत स्तर पर इस योजना में संपन्न किये जाने वाले कार्यो की सूचीं तुरंत तैयार हो एवं कार्य के आकार के आधार पर नियमानुसार तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृतियॉ जारी होवें।

(b). मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत एव कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा पूर्ण समन्वय स्थापित करते हुए निर्माण कार्यो को अतिशीघ्र प्रारंभ करवाया जाकर समय से पूर्ण करवाया जाना सुनिश्चित करेगे एवं इन कार्यो की सघन निगरानी सुनिश्चित करेगे।

(c). ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के कार्यपालन यंत्रियों की भूमिका इस कार्य हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। उनके द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि निर्माण कार्यो से संबंधित प्रयोगशाला तथा फील्ड टेस्टिंग यथा समय संपन्न हो एवं बिना यह सुनिश्चित किये कि उपयुक्त सामग्री तथा आवश्यक वाटरिंग एवं काम्पेक्शन के कोई भी कार्य संपन्न न हो। यह तथ्य सुनिश्चित करने के लिए कार्यपालन यंत्री अपने क्षेत्राधिकार मे संपन्न हो रहे निर्माण कार्यो मे से प्रतिमाह कम से कम 10 प्रतिशत कार्यो का निरीक्षण कर उचित गुणवत्ता सुनिश्चित करवायेगे।

(d). प्रत्येक सहायक यंत्री मनरेगा/ग्रामीण यांत्रिकी सेवा (जिसका भी कार्य क्षेत्र हो) इन कार्यो में प्रयोगशाला तथा फील्ड टेस्टिंग यथा समय संपन्न करवाने एवं उपयुक्त सामग्री तथा आवश्यक वाटरिंग एवं काम्पेक्शन सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगें। सहायक यंत्री द्वारा 30 से.मी. मोटाई में मिट्टी कार्य संपन्न होने पर तथा कार्य पूर्ण होने पर स्वयं मापो की जांच की जावेगी एवं माप–पुस्तिका पर इस तथ्य का प्रमाण पत्र अंकित किया जावेगा कि सम्पादित कार्य निर्धारित तकनीकी मापदण्डो के अनुरूप है। सामग्री मद के भुगतान के सत्यापन के समय ही सहायक यंत्री यह सुनिश्चित कर लेवे कि कार्य की गुणवत्ता हेतु उक्त कार्यवाही संपन्न हुई है।

6. **ग्रेवल रोडस् का संधारण:** प्रत्येक सडक के निर्माण कार्य भाग–1 के पूर्ण हो जाने पर सड़क मे आवागमन प्रारंभ किया जावेगा। नियमित संधारण भाग–2 कार्य का प्राक्कलन सामान्य परिवेश को दृष्टिगत रखते हुए निर्माण के प्राक्कलन के साथ ही तैयार किया गया है जिसमें अनुमानित कार्य का विवरण दिया गया है। निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने के उपरांत प्रत्येक 3 माह में एक बार ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियो द्वारा कार्य का निरीक्षण किया जावेगा एवं ग्राम पंचायत द्वारा आवश्यकतानुसार संधारण कार्य संपन्न कराया जावेगा। संधारण कार्य का मांपकान कार्य होने पर उपयंत्री द्वारा किया जावेगा एवं ग्राम पंचायत द्वारा भुगतान सुनिश्चित किया जावेगा।

7. योजना का कियान्वयन एकीकृत प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के आधार पर किये जाने हेतु लेबर बजट तैयार किया जाता है, जिसमें कई गतिविधियों के कार्य ग्राम पंचायत के एसओपी में शामिल रहते है। अतएव ग्राम पंचायत के वित्तीय वर्ष हेतु स्वीकृत लेबर बजट कि कुल राशि का सामान्यतः 25 % अंश की सीमा में इस उपयोजना के तहत एक वित्तीय वर्ष में व्यय किया जाना उचित होगा। विशेष परिस्थितियों में जिला कार्यकम समन्वयक की अनुमति से अधिक व्यय किया जा सकेगा।

शासन का यह एक महत्वाकांक्षी कदम है अतः यह सुनिश्चित किया जावे कि प्रोजेक्ट मोड मे इस उपयोजना के निर्माण कार्य महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत एवं अभिसरण से यथाशीघ्र प्रारंभ हो जावे। यह भी सुनिश्चित किया जावे कि सडकें इंजीनियर्ड अर्दन रोडस के रूप में ही बने एवं उनकी गुणवत्ता से किसी भी परिस्थिति में समझौता न किया जावे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
एवं आदेशानुसार

(अरूणा शर्मा)
अपर मुख्य सचिव
म.प्र.शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
भोपाल, दिनांक 17/12/2013

पृ. क्र./ 9582 / MGNREGS-MP/NR-3/SE-I/2013

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, संसदीय कार्य विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
4. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग मंत्रालय, भोपाल।
5. सदस्य सचिव, राज्य योजना मण्डल मध्यप्रदेश भोपाल।

6. अपर सचिव मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, म.प्र ग्रामीण सडक विकास प्राधिकरण, पर्यावास भवन भोपाल।
8. आयुक्त, पंचायत राज संचालनालय, तिलहन संघ भवन, भोपाल।
9. आयुक्त, म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद, भोपाल।
10. प्रमुख अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, विकास आयुक्त कार्यालय, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
11. समस्त संभागायुक्त मध्यप्रदेश।
12. समस्त अधीक्षण यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा मंडल मध्यप्रदेश ।
13. समस्त कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, मध्यप्रदेश ।
14. समस्त कार्यक्रम अधिकारी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मध्यप्रदेश। कृपया अपने स्तर से सहायक यंत्री/उपयंत्रियों को इस परिपत्र की प्रति उपलब्ध करावें।
15. समस्त सहायक यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा/मनरेगा, मध्यप्रदेश।
16. समस्त उपयंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा/मनरेगा, मध्यप्रदेश।

प्रति,

17. विशेष सहायक, मान. मंत्रीजी, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।
18. निजी सहायक, मान. राज्य मंत्रीजी, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।

अपर मुख्य सचिव
म.प्र. शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के अंतर्गत सुदूर ग्राम संपर्क उपयोजना के अंतर्गत ग्रेवल मार्ग मय पुल-पुलिया निर्माण सहित लिये जाने हेतु मागो का चिन्हांकन

राज्य
जिला
जनपद

सरल क्र.	ग्राम पंचायत	रोड संख्या	प्रस्तावित ग्रेवल सडक					प्रस्तावित ग्रेवल सडक की स्थिति				लाभान्वित होने वाले ग्राम/मजरे – टोले/कृषि उपज उत्पादन केन्द्र		भूमि का प्रकार (शा./वन/निजी)	भूमि की उपलब्धता	अभिसरण का प्रकार व कार्यक्रम/मद का नाम	
			कहां से प्रारंभ	कहां तक अंत	पुल–पुलियों की संख्या	कुल लंबाई (किमी में)	अनुमानित लागत (रू लाख में)	PMGSY अंतर्गत प्रस्तावित है या नहीं	CMGSY अंतर्गत प्रस्तावित है या नहीं	PWD अंतर्गत प्रस्तावित है या नहीं	MGNREGA अंतर्गत पूर्व में निर्मित की गई है या नहीं	नाम	जनसंख्या			प्रकार	कार्यक्रम/मद
								लंबाई	लंबाई	लंबाई	स्थिति						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
योग																	

नोट : प्रत्येक ग्राम में बेहतर सडक संपर्कता के दृष्टिगत ग्राम वासियों के साथ सरपंच/सचिव ग्राम रोजगार सहायक एवं उपयंत्री द्वारा वाक थ्रू सर्वेक्षण कर प्रस्तावित ग्रेवल सडकों को चिन्हित किया जावे। सडकों के चिन्हांकन में सडक कहां से प्रारंभ होकर कहां समाप्त हो रही है, इसे परमानेन्ट लेन्ड मार्क का उल्लेख किया जावे न कि किसी ग्राम, नाला आदि की ओर अंकित कर खुला छोडा जावे।

2.प्रस्तावित ग्रेवल सडकों के चिन्हांकन के समय यह ध्यान रखा जावे कि पूर्व से निर्मित BT या CC के GSB सडक के समानांतर सडक प्रस्तावित नहीं की जावे।

3. PMGSY/CMGSY/PWD के द्वारा प्रस्तावित या पूर्व में निर्मित सडक की स्थिति खराब होने के कारण भी इस उपयोजना के तहत नहीं की जाना है।

4. महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत वर्ष 2006–07 से 2012–13 तक निर्मित सडकों को भी इस उपयोजना के तहत पुनः चिन्हित नहीं किया जाना है। मनरेगा अंतर्गत पूर्व वर्षो में स्वीकृत एवं वर्तमान में अपूर्ण प्रदर्शित हो रही सडकों में यदि स्वीकृत प्राक्कलन में पुल–पुलिया निर्माण कार्य छुट गया है, तब से शामिल करते हुये पुनरीक्षित स्वीकृति जारी कर गुणवत्तायुक्त बारहमासी सडक का निर्माण किया जा सकेगा।

5. उपरोक्त बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुये इस उपयोजना को ग्रेवल सडकों को चिन्हांकित किया जाकर ग्राम सभा के अनुमोदन सहित त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का अनुमोदन प्राप्त किया जाना होगा। तदोपरांत शेल्फ आफ प्रोजेक्ट में इन कार्यो को शामिल किया जा सकेगा।

6. ग्राम पंचायत के स्वीकृत लेबर बजट की राशि का अधिकतम 25 % अंश ही एक वित्तीय वर्ष में ग्रेवल सडकों के निर्माण पर व्यय किया जा सकेगा। अपरिहार्य कारणों से 25 % अंश में यदि एक सडक का कार्य पूर्ण नहीं हो सकने पर जिला कार्यक्रम समन्वयक से अनुमोदन प्राप्त कर सडक निर्माण कर पूर्ण कराया जा सकेगा।

(77)

हस्ता.	हस्ता.	हस्ता.
ग्राम रोजगार सहायक	**ग्राम पंचायत सचिव**	**उपयंत्री**

सत्यापित किया जाता है कि ग्राम पंचायत ....., जनपद पंचायत.....द्वारा सुदूर ग्रामीण संपर्क उपयोजना के अंतर्गत चिन्हित ग्रेवल सडक निर्माण के प्रस्ताव PMGSY/CMGSY के अंतर्गत न हीं निर्मित किये गये न हीं अब तक आगामी वित्तीय वर्ष में निर्माण हेतु प्रस्तावित है।

हस्ता.	हस्ता.	हस्ता.
सहायक यंत्री (मनरेगा)	**कार्यपालन यंत्री (ग्रामीण यांत्रिकी सेवा)**	**महाप्रबंधक** म.प्र. ग्रामीण सडक परियोजना ईकाई ..... जिला.....

विकास आयुक्त कार्यालय
मध्यप्रदेश भोपाल

क्रमांक / 12706 / 22 / वि–10 / ग्रायांसे / 2013, भोपाल, दिनांक : 31 / 12 / 2013

प्रति,

1. **कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,**
   महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र., जिला–समस्त
2. **मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक,**
   महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र., जिला–समस्त
3. **कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, संभाग–समस्त**

विषयः– सुदूर ग्राम सम्पर्क व खेत सड़क उपयोजना के अंतर्गत ग्रेवल सड़क बनाने एवं नैमित्तिक संधारण के लिए तकनीकी अनुदेश।

संदर्भः– विभागीय परिपत्र क्रं. 9581 / MGNREGS-MP / NR-3 / SE-1 / 2013, भोपाल, दिनांक 17.12.2013

संदर्भित पत्र द्वारा **"सुदूर ग्राम सम्पर्क व खेत सड़क"** उपयोजना अंतर्गत ग्रेवल सड़कों के निर्माण हेतु प्रक्रिया निर्धारित की गई है। उक्त संदर्भित परिपत्र के अनुक्रम में योजनान्तर्गत सम्पादित किये जाने वाले सड़क कार्यों हेतु निम्नानुसार तकनीकी विनिर्देश संलग्न हैं।

- ✓ निर्माण प्रक्रिया, गुणवत्ता नियंत्रण एवं नैमित्तिक संधारण के **"अनंतिम तकनीकी अनुदेश"** परिशिष्टि–1
- ✓ सरल भाषा में **"निर्माण कार्य का प्राक्कलन कैसे बनाया जाए और संपादन कैसे किया जाए"** के अनंतिम निर्देश परिशिष्ट–2
- ✓ तीन विभिन्न परिस्थितियों में सम्पन्न किए जाने वाले कार्यों के मार्गदर्शी प्राक्कलन भी तैयार किये गये हैं। सड़क निर्माण के प्राक्कलनों का **गोशवारा,** अनंतिम प्राक्कलन **भाग–1 एस्टीमेट क्रं. 1, 2 एवं 3, भाग–2 नैमित्तिक संधारण का अनंतिम प्राक्कलन**

प्रत्येक निर्माण कार्य के लिए विस्तृत प्राक्कलन तैयार कर आवश्यक स्वीकृतियां जारी की जावें। यद्यपि कि मिट्टी मुरूम की सड़क बनाना एक सामान्य प्रक्रिया रही है तथापि यह ध्यान रखा जाना है कि इस उपयोजना में प्रस्तावित सड़कें इंजीनियर्ड ग्रेवल सड़कें हैं अतः गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाना आवश्यक होगा।

उपरोक्त विनिर्देश तुरंत कार्य प्रारंभ करने की दृष्टि से जारी किये जा रहे हैं। यदि इन पर मैदानी अमले से कोई सुझाव हैं तो कृपया 15 दिनों के भीतर प्रेषित करने का कष्ट करें ताकि आवश्यक परिवर्तन किया जा सके। कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए, यदि किसी मार्गदर्शन की आवश्यकता हो तो इस कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।

संलग्नः– **उपरोक्तानुसार**

(प्रभाकोत्त कटारे)
प्रमुख अभियंता
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा
विकास आयुक्त कार्यालय, भोपाल

पृ.क्रमांक / /22/वि–10/ग्रायांसे/2013, भोपाल, दिनांक : /12/2013

प्रतिलिपिः–

1. विकास आयुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय भोपाल।
3. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय भोपाल।
4. सदस्य सचिव, राज्य योजना मण्डल मध्यप्रदेश भोपाल।
5. आयुक्त, पंचायत राज संचालनालय, तिलहन संघ भवन, भोपाल।
6. आयुक्त, म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद, भोपाल।
7. मुख्य अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा समस्त।
8. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश।
9. समस्त अधीक्षण यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा मण्डल मध्यप्रदेश।
10. समस्त कार्यक्रम अधिकारी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायम मध्यप्रदेश। कृपया अपने स्तर से सहायक यंत्री/उपयंत्रियों को इस परिपत्र की प्रति उपलब्ध करावें।

प्रमुख अभियंता
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा
विकास आयुक्त कार्यालय, भोपाल

परिशिष्ट–1

सुदूर ग्राम सम्पर्क व खेत सड़क उपयोजना के अन्तर्गत ग्रेवल सड़क बनाने एवं नैमित्तिक संधारण के लिए तकनीकी अनुदेश

1.भूमिकाः प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत एक निर्धारित आबादी के गांवों को जोड़ने के लिए सड़कें तैयार की जा रही हैं जबकि मुख्य मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत ऐसे गांवों को ग्रेवल सड़क से जोड़ने का कार्यक्रम चल रहा है जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत नहीं लिए जा सके हैं। कई गांवों के मजरे टोले तथा खेत समूहों के लिए सड़कें एवं मोबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए सड़कों की आवश्यकता प्रतिपादित हुई है।

उपरोक्त परिवेश में राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि ऐसे समस्त ग्राम, मजरे टोले आदि जो कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अथवा मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में बारहमासी सड़को से नही जोड़े जा सके है को जोड़े जाने के लिए या जहां मोबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए सड़क सम्पर्क की आवश्यकता हो या खेतो के समूहो को मुख्य सड़क से जोड़े जाने के लिए ऐसा सड़क सम्पर्क उपलब्ध करवाया जाए जो कि मुख्य रूप से ग्रेवल की सड़क हो। तकनीकी रूप से भारतीय सड़क कांग्रेस द्वारा प्रकाशित **आईआरसी एसपी 77–2008** के अनुसार ही ग्रेवल सड़कों का निर्माण किया जावे।

सभी प्रकार की सड़कों का रूटिन मैन्टेनन्स (नैमित्तिक संधारण) आवश्यक है परंतु ग्रेवल सड़कों को बनाए रखने के लिये संधारण अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। ग्रेवल सड़कों में संधारण करने के लिए ब्लेक टाप्स सड़कों के मुकाबले अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होती है, हालांकि संधारण की कार्यवाही अत्यंत सरल एवं मजदूर प्रधान होती है।

अतः सुदूर ग्राम सम्पर्क व खेत सड़क उपयोजना के अन्तर्गत निर्माण की जाने वाली ग्रेवल सड़कों के लिए निम्नलिखित तकनीकी अनुदेश तत्काल प्रभाव से लागू किये जाते हैः–

2. निर्माण के तकनीकी अनुदेशः प्रदेश के परिपेक्ष्य में संभवतः किफायती सड़क मिट्टी एवं ग्रेवल की ही हो सकती है एवं कम लागत में बारहमासी सड़कों के निर्माण के लिए किफायती कॉस ड्रेनेज (पुल–पुलिया एवं रपटा इत्यादि) के साथ इस प्रकार की सड़क का निर्माण ही उपयुक्त है। इस प्रकार की सड़क निर्माण करने के लिए मिट्टी का बन्धान निर्धारित प्रकार से कुटाई आदि की जाकर तैयार किया जावेगा एवं इस एम्बेंकमेंट/सबग्रेड पर निर्धारित विशिष्टियों के ग्रेवल (कडी मुरम एवं नालो/नदियों से निकलने वाली बजरी का उपयुक्त मिश्रण) की परते बिछाकर इंजिनियर्ड ग्रेवल सड़कों का निर्माण किया जावेगा। इन सड़कों के निर्माण के लिए निम्नानुसार मानकों का पालन सुनिश्चित किया जावेः–

- IRC SP 77-2008 Manual for Design Construction & Maintenance of Gravel Roads.
- IRC SP 72-2007 Guidelines for the Design of Flexible Pavements for Low Volume Rural Roads
- Ministry of Rural Development, Government of India, Specification for Rural Roads 2004
- IRC SP 20-2002 Rural Roads Manual.

2.1 प्राक्कलनः– अलग–अलग स्थानीय परिस्थितियों में ग्रेवल सड़क की लागत अलग–अलग होगी अतः प्रत्येक सड़क के लिए विस्तृत प्राक्कलन तैयार किया जावे। विभिन्न परिस्थितियों में सड़क निर्माण के तीन विकल्प मार्गदर्शी प्राक्कलन संलग्न किये जा रहे हैं। **स्मरण रहे कि इन मार्गदर्शी प्राक्कलनों की फोटोकॉपी कर किसी भी रूप में स्वीकृतियां नहीं दी जावेंगी एवं यदि कोई अधिकारी इस प्रकार की गतिविधि में लिप्त पाया गया तो कड़ी कार्यवाही की जावेगी।**

2.2. Geometrics ज्यामितीय संरचनाः ग्रेवल सड़कों के निर्माण करने के लिए सामान्यतः भारतीय सड़क कांग्रेस के विशेष प्रकाशन IRC:SP 20–2002 में वर्णित जायमेट्रीक्स डिजाईन स्टेंडर्ड का पालन किया जाना चाहिए।

उपरोक्त मानको के रहते हुए निम्नलिखित बिन्दु विशेष रूप से ध्यान मे रखे जावेंः–

- **छूटे हुए ग्रामों एवं मजरों टोलों को जोड़ने के लिए सुदूर ग्राम सड़कः** उपरोक्त सड़कें अत्यंत कम ट्रैफिक के लिए हैं अतः सभी निर्माण चरण पूर्ण होने के उपरांत **रोडवे की चौड़ाई 6 मीटर रखी जावेगी।** वनों एवं अन्य दुर्गम क्षेत्रो में पर्याप्त भूमि उपलब्ध न हो पाने की स्थिति में अपवाद स्वरूप सड़क के ऐसे हिस्से में रोडवे की चौडाई 4.00 मीटर रखी जा सकेगी, केरिजवे/पेवमेंट की चौडाई 3 मीटर से कम नही की जा सकेगी। अन्य मिट्टी के एम्बेंकमेन्ट के साईड स्लोप्स 2:1/1.5:1 रखे जावेगे। सड़कों की ऊंचाई का निर्धारण उचित सर्वेक्षण के उपरांत ठोस तकनीकी आधार पर किया जावेगा, सामान्यतः इन सड़को की ऊचाई सामान्य फ्लड लेवल से 45 से.मी. ऊपर रखी जावेगी।
- **खेत सड़कः** उपरोक्त सड़कें खेतों तक इनपुट्स पहुंचाने एवं पैदावार को मुख्य सड़क/ग्राम तक लाने के लिए हैं अतः सभी निर्माण चरण पूर्ण होने के उपरांत रोडवे की **चौड़ाई न्यूनतम 4.00 मीटर रखी जावेगी परन्तु केरिजवे/पेवमेंट की चौडाई 3 मीटर से कम नही की जा सकेगी।**
- मिट्टी के प्रकार के अनुसार एम्बेंकमेन्ट्स के साईड स्लोप्स 2:1 या 1.5:1 रखे जावें। सड़कों की ऊंचाई का निर्धारण उचित सर्वेक्षण के उपरांत ठोस तकनीकी आधार पर किया जावेगा, सामान्यतः **सुदूर ग्रामों को सम्पर्क उपलब्ध कराने के लिए सड़को की ऊचाई सामान्य फ्लड लेवल से 45 से. मी. ऊपर रखी जावे हालांकि खेत सड़कों के लिए एम्बैंकमेंट्स की यह ऊँचाई 30 से.मी. से कम नहीं होना चाहिए।**
- ड्रेनेजः बेहतर ड्रेनेज सुनिश्चित करने के लिए इन सड़कों में 4 से 5 प्रतिशत तक का केम्बर अनिवार्यतः दिया जाना सुनिश्चित किया जावे एवं उचित आकार की साईड ड्रेन का निर्माण अवश्य किया जाए। जहां भी नाले सड़क से क्रॉस हो रहे हों अथवा प्राकृतिक रूप से पानी के बहाव को सड़क से क्रॉस करने की आवश्यकता हो, उचित प्रकार का क्रॉस ड्रेनेज वर्क अनिवार्यतः प्रस्तावित किया जावे।

2.3. ग्रेवल रोड के लिए पेवमेंट की डिजाइनः– IRC: SP: 77- 2008 में प्रावधानित पैराग्राफ 2.3 में वर्णित अनुसार ग्रेवल रोड का डिजाइन किया जाए।

2.4. एलाईनमेन्ट, सर्वेक्षण एवं सेटिंग आउट का कार्यः–

2.4.1. सर्वप्रथम सड़क के प्रस्तावित एलाइन्मेन्ट में सर्वेक्षण कार्य किये जाने हेतु सड़क के प्रारंभिक बिन्दु के नजदीकी बने Permanent Structure पर TBM निर्धारित किया जावे।

2.4.2. सड़क के प्रारंम्भिक बिन्दु पर स्थापित इस प्रारंभिक TBM का लेवल 100.00 मानते हुए आगे के सर्वेक्षण का कार्य प्रांरम्भ किये जावे। मार्ग में पड़ने वाले स्थाई प्रकृति की संरचनाओं जैसे वृक्षों/टेलीफोन/विद्युत पोल आदि में चिन्हांकित कर TBM स्थापित किये जाएं।

2.4.3. सड़क के एलाईन्मेन्ट में 50–50 मी. की दूरी पर विद्यमान स्थिति के क्रास सेक्शन लिये जावें। मोड़ों पर आवश्यकतानुसार अपेक्षाकृत कम अन्तराल (20 मी.) पर क्रॉस सेक्शन लिये जा सकते हैं।

2.4.4. मार्ग हेतु प्रस्तावित मध्य रेखा का बियरिंग लेने के लिए कम्पास सर्वे किया जावे।

2.4.5. प्रस्तावित मार्ग के किनारों में प्रत्येक 500 मीटर के अन्तराल में या जहां स्वाइल स्ट्रेटा परिवर्तित हो रहा हो, वहां पर उपलब्ध मिट्टी के सैम्पल लिये जाकर प्रयोगशाला में एम. डी.डी. एवं ओ.एम.सी. तथा सी.बी.आर. के परीक्षण किये जावें। गहरी काली मिट्टी का उपयोग नहीं किया जावेगा। जहां काली मिट्टी की पहचान करने में कठिनाई हो वहां फ्री स्वेलिंग इन्डेक्स तथा एटरबर्ग लिमिट्स के लिये भी परीक्षण किये जाएं।

2.4.6. मार्ग पर सेंटर लाईन से 20 मी. की दूरी पर दोनों ओर लकड़ी के पेग्स लगाए जाएं एवं मिट्टी के लेवल अंकित किये जाएं।

2.5. सामग्री एवं निर्माण प्रक्रिया:

2.5.1. सामग्री: Ministry of Rural Development, Government of India, Specification for Rural Roads 2004 के चेप्टर 300 के अनुसार मिट्टी कार्य की सामग्री के मानक एवं निर्माण कराने की प्रकिया सुनिश्चित की जावे। जिन स्थानों पर सामान्यतः ऐसी कडी मिट्टी अथवा हार्ड मुरम जिसकी CBR 5 प्रतिशत से अधिक हो उपलब्ध है, पूरा एम्बेंकमेन्ट तथा सबग्रेड इस मिट्टी से ही बनाया जाए। जिन स्थानों पर स्थानीय रूप से ऐसी कडी मिट्टी जिसकी CBR लगभग 5 प्रतिशत से कम परन्तु 2 प्रतिशत से अधिक हो, एम्बेंकमेन्ट 2 प्रकार की परतों मे बनाया जावे। प्रथम परत स्थानीय आवश्यकता के अनुसार स्थानीय मिट्टी की होगी एवं उसके ऊपर 30 से.मी. मोटाई में सबग्रेड के लिये ऐसी कडी मिट्टी अथवा हार्ड मुरम जिसकी CBR 7 प्रतिशत से अधिक हो का उपयोग किया जावे। सीबीआर 2 प्रतिशत से कम की काली मिट्टी का उपयोग एम्बैंकमेंट बनाने में भी किया जाना वर्जित होगा।

2.5.2. मिट्टी के परीक्षण एवं कुटाई की प्रक्रिया: मिट्टी कार्य में यदि उचित रूप से Compaction **नही किया जाता तो सड़क की गुणवत्ता सुनिश्चित नही की जा सकती। अतः निम्नानुसार व्यवस्था से** Compaction **किया जाना सुनिश्चित किया जाए:**

- जिस स्थान से मिट्टी का खनन किया जाकर उपयोग किया जा रहा है उस मिट्टी के कम से कम तीन परीक्षण निश्चित रूप से प्रयोगशाला मे किए जावें। सबसे पहला परीक्षण सीव एनालिसिस होगा जिससे कि मिट्टी में विभिन्न **आकार के अवयवों** की गणना की जावे। इस सीव एनालिसिस से संलग्न टीप के अनुसार मिट्टी की स्ट्रेन्थ जो कि सी.बी.आर. वेल्यू के रूप में मापी जाती है की गणना की जा सकती है। दूसरा परीक्षण प्रोक्टर काम्पेक्शन टेस्ट होगा जिसमें मिट्टी के लिए OMC तथा MDD की गणना की जावे। तीसरा आवश्यक परीक्षण CBR निकालने का होगा।
- मिट्टी इस प्रकार से परतों में बिछाई जावे कि यदि सामान्य रोड रोलर (Static Road Roller) का उपयोग होना है तो काम्पेक्टेड मोटाई 15 से.मी. हो और यदि बाईब्रेटरी रोड रोलर उपयोग होना है तो काम्पेक्टेड मोटाई 20 से.मी. हो। परतों मे मिट्टी बिछाई जाने के उपरांत OMC से लगभग 2 प्रतिशत अधिक पानी का छिडकाव किया जावे एवं तब तक रोलिंग किया जावे जब तक कि MDD के बराबर मिट्टी का घनत्व न हो जावे। इसके लिए प्रत्येक दिन में मिट्टी के Moisture Content एवं घनत्व निकालने के लिए फील्ड परीक्षण निश्चित रूप से किये जावे। यह स्मरण रहे कि काम्पेक्शन एवं परीक्षण सभी प्रकार की मिट्टियों में किये जावे। लूज मिट्टी लेयर मे डालने के पश्चात उसे OMC पर काम्पेक्ट करने हेतु कितने पानी की आवश्यकता होगी, इसकी गणना मिट्टी पर पानी का छिड़काव करने के पूर्व ज्ञात करना आवश्यक है।

उदाहरणार्थ :– यदि डाली गई मिट्टी की एमडीडी एवं OMC क्रमशः 1.70 ग्राम/सी.सी. (1700 किग्रा प्रति घन मी.) एवं 8 प्रतिशत तथा मिट्टी में प्राकृतिक रूप से 3 प्रतिशत माईश्चर उपलब्ध है तो 500 घन मीटर मिट्टी कार्य के लिये आवश्यक पानी की मात्रा की गणना निम्नानुसार की

जावेगी (मिट्टी में मौजूद प्राकृतिक रूप से 3 प्रतिशत माईश्चर की मात्रा के प्रतिशत को OMC के प्रतिशत से घटाना होगा) :–

500 घन मी. x 1700 कि.ग्रा. प्रति घन मी. x (0.08-0.03) = 42500 कि.ग्रा.

= 42500 लीटर

इस प्रकार 500 घन मीटर मिट्टी के लिये 42500 लीटर अर्थात 5000 लीटर कैपेसिटी के 8.5 टैंकर पानी लगेगा।

2.6. बेसकोर्स/सरफेसकोर्स निर्माणः–

2.6.1. ग्रेवल बेस/सर्फेस कोर्स में उपयोग की जाने वाली सामग्री IRC: SP: 77- 2008 में प्रावधानित पैराग्राफ 2.2.2.2 एवं 2.2.2.3 में वर्णित ग्रेडिंग में से किसी एक ग्रेडिंग के अनुसार ही होगी। IRC: SP: 77- 2008 में प्रावधानित पैराग्राफ 2.2.2.1 में वर्णित ग्रेडिंग का ग्रेवल मध्यप्रदेश में सामान्यतः कम लागत में तैयार करना दुष्कर होता है, अतः इस ग्रेडिंग का उपयोग सामान्यरूप से नहीं किया जावेगा। बेस कोर्स एवं सरफेस कोर्स हेतु उपयुक्त मटेरियल उपलब्ध न होने की दशा मे एक से अधिक स्त्रोतों की सामग्री का टेस्टिंग कर निर्धारित ग्रेडिंग एवं अन्य मापदण्डों को पूर्ति करने वाली सामग्री प्राप्त करने के लिए मिश्रण का निर्धारण किया जाए। इसमें आवश्यक उपयुक्त मटेरियल एक से अधिक स्त्रोतों पर एकत्रित किया जाए एवं स्थल पर उचित मिश्रण बनाकर निर्धारित ग्रैडिंग एवं अन्य मापदण्डों को पूर्ति करने वाली सामग्री तैयार करना आवश्यक होगा। बेसकोर्स के लिये पीआई 10 से अधिक नहीं होना चाहिए जबकि सर्फेसकोर्स के लिये पीआई 6 से 15 होना चाहिए। मध्यप्रदेश में शुष्क जलवायु सामान्यतः राजस्थान से लगे हुये कुछ विकासखण्डों में हो सकती है ऐसे स्थानों पर सर्फेसकोर्स की पीआई 15 से अधिक हो सकती है।

2.6.2. बेस कोर्स एवं सरफेस कोर्स के मटेरियल की Wet aggregate impact value (IS:5640) अधिकतम 40% होगी तथा सीबीआर क्रमशः न्यूनतम 30 एवं 20 होगी।

2.7. Shoulder के निर्माण के संबंध में :–

2.7.1. Shoulder का निर्माण Earthen Shoulder द्वारा ही किया जावेगा। इस हेतु सबग्रेड में उपयोग की गई मिट्टी से Earthen Shoulder का निर्माण किया जावे।

2.7.2. Shoulder का काम्पेक्शन 100 प्रतिशत होना आवश्यक है।

2.7.3. Shoulder का केम्बर 4–5 प्रतिशत से कम नही होवें।

2.8. पुल पुलियों निर्माणः–

2.8.1. इन सड़कों पर बनने वाले क्रॉस ड्रेनेज कार्य सड़कों की उपयोगिता को दृष्टिगत रखते हुए किफायती प्रकृति के ही बनाए जाएं। अनावश्यक मंहगे स्ट्रक्चर्स का निर्माण करना वर्जित रहेगा।

2.8.2. पुल–पुलियों के निर्माण हेतु IRC:SP:20-2002 के प्लेट नं. 7.01 से लेकर 7.27 तक का उपयोग करते हुये पुल–पुलियों का निर्माण किया जा सकता है।

2.8.3. **किफायती** फ्लश्ड कॉजवे या वेन्टेड कॉजवे का निर्माण करना अपेक्षित है परन्तु आवश्यतानुसार 1000 एम.एम. के NP-3 पाईप का उपयोग करते हुये 2 रो तक के पाइप कलवर्ट का निर्माण किया जाये। स्लेब कलवर्ट/बॉक्स कलवर्ट का निर्माण केवल अपरिहार्य होने पर ही प्रस्तावित किया जाये।

2.8.4. सामान्यतः Vented Cause way (VCW) का प्रावधान उस स्थान पर किया जाता है जहां नाले के किनारे उथले हो। कम बहाव के नाले में Flush Causeway का प्रावधान किया जाना उपयुक्त होता है।

2.9. गुणवत्ता परीक्षणः– IRC: SP: 77- 2008 में प्रावधानित पैराग्राफ 6 में वर्णित अनुसार ही गुणवत्ता परीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया जावे। तत्संबधी परीक्षणो के प्रावधान परिशिष्ट 2 के रूप में संलग्न है। पक्के कामों के लिये गुणवत्ता परीक्षण विशेषीकरणों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाए।

3. ग्रेवल सड़कों के नैमित्तिक संधारण के सामान्य दिशा निर्देशः IRC:SP:77-2008 Manual for Design Construction & Maintenance of Gravel Roads के पैराग्राफ 4.3 के अनुसार ग्रेवल सड़कों का संधारण किया जाना चाहिए। मध्यप्रदेश की स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार निम्नलिखित दिशा निर्देशों का भी पालन किया जाएः–

3.1. ग्रेवल सड़कों में निम्न प्रकार के क्षरण होते हैं :–

3.1.1. वर्षा के कारण क्षरण – सड़कों के बंधानों में रेन कट बन जाते हैं एवं सतह उबड़–खाबड़ होने पर अधिक वर्षा के कारण लूस सामग्री बह जाती है। वर्षा के दौरान ट्रेफिक चलने से रटिंग हो जाती है, डिप्रेशन भी होते हैं।

3.1.2. ट्रेफिक के कारण क्षरण – सूखे मौसम में ट्रेफिक चलने से रटिंग, कड़ी सामग्री का हटना अर्थात रिवेलिंग तथा डिप्रेशन होना स्वाभाविक है। ग्रेवल में मिट्टी की मात्रा अधिक होने पर धूल उड़ने की समस्या भी होती है।

3.2. संधारण पर कार्य किस प्रकार किया जाये :–

ग्रेवल सड़कों का संधारण सरल एवं इस प्रकार का कार्य है जो कि अधिकतम मजदूरों से ही संपन्न हो सकता है। संधारण में निम्न प्रकार के कार्य किए जाना अपेक्षित होगा :–

3.2.1. वनस्पति का संधारणः सड़क के बंधान पर अवांछित वनस्पति को हटाया जावे सामान्यतः बंधान पर 20 से.मी. से अधिक ऊंचाई की वनस्पति वांछित नहीं होगी। शोल्डर्स एवं पेवमेंट पर किसी भी प्रकार की वनस्पति वांछित नहीं होगी इसे जड़ से उखाड़ कर हटाया जाना आवश्यक होगा।

3.2.2. मिट्टी कार्य –वर्षा के कारण स्लोप में निर्मित रेन कट का भराव वर्षा के तुरंत बाद किया जाना चाहिए जिससे कि मिट्टी में सामान्य वनस्पति शीघ्र ऊग जावे एवं मिट्टी के बंधान को स्थायीत्व प्रदान करे। यह देखने में आया है कि मिट्टी बंधान निर्माण के बाद प्रथम वर्षाकाल में अधिक रेन कट्स बन जाते हैं, हालांकि बाद के वर्षाकाल में रेन कट्स धीरे धीरे कम होते जाते हैं परंतु रेन कट बनने तथा उसका समय पर भराव करने से मिट्टी के बंधान में स्थायित्व आता है। वर्षा के उपरांत कुछ स्थानों पर डिप्रेशन भी हो जाते हैं एवं कुछ जगह अधिक वर्षा के कारण बंधान में स्लिप आदि भी होते हैं जिसका भराव वर्षा के उपरांत किया जाना चाहिए।

3.2.3. शोल्डर का संधारण – सामान्य यातायात में ओवर टेकिंग या पासिंग पर शोल्डर में क्षरण होता हैं अतः हर 2 से 3 माह के अंतराल में शोल्डर में उपयुक्त मिट्टी का भराव किया जाकर उसे कूटा जाना चाहिए।

3.2.4. मुख्य पेवमेंट का संधारण – ट्रेफिक एवं वर्षा दोनों के कारण पेवमेंट में रटिंग, रेवलिंग तथा डिप्रेशन होना एक स्वाभाविक गतिविधि है। ग्रेवल सड़कों के नियमित रूपसे उपरोक्त प्रकार के क्षरण होने पर उपयुक्त ग्रेवल का भराव किया जाकर पेवमेंट में सुधार एवं केम्बर में सुधार कार्य किया जाना चाहिए। इस कार्य में कुटाई किये जाने का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए, पानी डालकर दुर्मुट से कुटाई करना भी एक अच्छा विकल्प है।

ग्रेवल का पेवमेंट क्षरण के कारण एक वर्ष में लगभग 2.5 से.मी. कम हो सकता है। दो वर्ष के अंतराल के उपरांत ग्रेवल की सबसे ऊपरी परत का रिन्यूवल कम से कम 7.5 से.मी. मोटी कुटी हुई परत डालकर किया जाना अपेक्षित होगा।

3.2.5. साईड ड्रेन्स का संधारण – वर्षा के उपरांत साईड ड्रेनेज का कट जाना या भर जाना एक सामान्य गतिविधि है। वर्षा के उपरांत आवश्यकतानुसार भराव, कटाव आदि का सुधार कार्य संपन्न किया जाना चाहिए।

3.2.6. पुल पुलियों का संधारणः– वर्षा के उपरांत पुल पुलियों में कई बार बही हुई सामग्री के अटक जाने से रूकावटे उत्पन्न हो जाती हैं । वर्षा के उपरांत रूकावटों का दूर करने का कार्य संपन्न किया जाना चाहिए।

3.2.7. निरीक्षण आदिः– संधारण का कार्य संपन्न करने के लिए आवश्यक है कि 2 माह के अंतराल में एक बार ग्रेवल सड़कों का निरीक्षण पंचायत के पदाधिकारियों द्वारा किया जावे एवं निरीक्षण करने के उपरांत यह निर्धारित किया जावे कि किस प्रकार के क्षरण हुए हैं एवं संधारण में क्या क्या कार्य किया जाना है। इस निरीक्षण के बाद सिलसिलेवार तरीके से मजदूरों को लगाया जाकर संधारण कार्य संपन्न करना चाहिए। जैसा कि उपर भी लिखा गया है कि ग्रेवल सड़कों का संधारण बहुत आसान है परंतु यदि सिलसिलेवार तरीके से यह कार्य नहीं किया जाएगा तो परिणाम अच्छे नहीं होंगे एवं सड़क को उपयोग करने वाले संतुष्ट नहीं होंगे।

यह उल्लेख करना आवश्यक है कि उपरोक्त प्रस्तावित सड़कें मिट्टी मुरम की सड़कें नहीं है। ऊपर दर्शाए अनुसार निर्धारित विशिष्टियों की इंजिनियर्ड ग्रेवल सड़कें उचित संधारण के साथ लम्बे समय तक बारहमासी सड़क सम्पर्क के लिए अत्यंत प्रभावकारी सिद्ध होंगी।

(प्रभाकान्त कटारे)
प्रमुख अभियंता
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा
विकास आयुक्त कार्यालय, भोपाल (म.प्र.)

सुदूर ग्राम सम्पर्क व खेत सड़क उपयोजना

निर्माण कार्य का प्राक्कलन कैसे बनाया जाए और संपादन कैसे किया जाए

जैसे निर्मार्ण कार्य का संपादन होगा वैसे ही विस्तृत प्राक्कलन तैयार करना होगा। निर्माण कार्य निम्नानुसार संपादित किया जाए :–

1. सर्वप्रथम सडक का एलाइनमेंट वाकथ्रू के माध्यम से निर्धारित किया जाए ।

2. दूसरे कदम के रूप में सर्वेक्षण किया जाए। सर्वेक्षण में निम्नलिखित कार्य करने होंगेः–

   (i). पूरे एलाइनमेंट पर घूमकर देखा जाए कि किस प्रकार की भूमि है, क्या नदी–नाले क्रास हो रहे हैं, निर्माण कार्य में क्या–क्या प्राकृतिक / मानव निर्मित रूकावटें है एवं इनको कैसे दूर करने के लिए क्या कदम उठाने होंगे।

   (ii). सडक एलाइनमेंट का प्लान तैयार किया जाए।

   (iii). प्रत्येक 50 मी. दूरी पर सडक के longitudinal levels लिए जाएं ।

   (iv). प्रत्येक 50 मी. दूरी पर सडक के cross sections बनाने के लिए केन्द्र बिन्दु से 3 मी. एवं 6 मी. की दूरी पर दोनों ओर के लेवल लिए जाएं ।

   (v). यह देखा जाए कि सड़क के एम्बैंकमेंट के लिए किस स्थान से एवं सबग्रेड के लिए किस स्थान से मिट्टी खोदी जाएगी। इस मिट्टी की प्रकृति जानने के लिए सूखा सीव एनालिसिस किया जाए तथा सीबीआर टेस्ट किया जाए।

   (vi). आस–पास की हार्ड मुरूम की खादानें एवं नालों का निरीक्षण किया जाए जिसमें बजरी–बजरा उपलब्ध होता है। हार्ड मुरूम की खदान पर सूखा सीव एनालिसिस किया जाए इसी प्रकार नाला आदि में उपलब्ध बजरा–बजरी का सीव एनालिसिस किया जाए। इन विभिन्न स्त्रोतों पर उपलब्ध मुरूम/ग्रेवल के आकार के अनुसार इसका निर्धारण किया जाए कि कितनी मात्रा में हार्ड मुरूम तथा कितनी मात्रा में बजरा–बजरी मिलाने से ग्रेवल रोड मेनुअल के पैराग्राफ 2.2.2.2, 2.2.2.3, 2.2.3.1 एवं 2.2.3.2 के अनुसार सामग्री तैयार होगी।

3. तीसरे कदम के रूप में ऊपर किये गये सर्वेक्षण के आधार पर विस्तृत प्राक्कलन बनाया जाए। प्राक्कलन बनाने के परम्परागत तरीके को कुछ समय के लिए छोड़कर हमे यह ध्यान रखना होगा कि इस सड़क का निर्माण कार्य ठेकेदार नहीं कर रहा है। यह कार्य मनरेगा के अंतर्गत मजदूरों द्वारा किया जाना है। प्रत्येक कार्य स्थल के हिसाब से परिस्थितियां बदलेंगी एवं वास्तविक परिस्थितियों पर ही प्राक्कलन बनाए जाएं। कुछ स्थानों पर एम्बैंकमेंट तथा सबग्रेड की मिट्टी सड़क के किनारे ही उपलब्ध होगी, पर कुछ स्थानों पर हो सकता है केवल एम्बैंकमेंट के लिए मिट्टी सड़क के किनारे मिले परन्तु सबग्रेड की मिट्टी हमें कुछ दूरी से परिवहन करना पड़े। अन्य स्थितियों में अपवाद स्वरूप ऐसा भी हो सकता है कि हमें सारी मिट्टी ही दूर से लाना पड़े। जहां तक की ग्रेवल बेस एवं सर्फेस कोर्स का प्रश्न है, एक ही स्थान पर निर्धारित स्पेसिफिकेशन के ग्रेवल का मिलना लगभग असंभव होगा। अतः एक से अधिक स्थान पर मिलने वाली सामग्री का उचित अनुपात में मिश्रण बनाना होगा। जैसे–जैसे कार्य होना है वैसे–वैसे किस प्रकार उसका आंकलन किया जाए इसके लिए तीन टिपिकल एस्टीमेट संलग्न किये जा रहे हैं।

4. प्राक्कलन तैयार करने के बाद आवश्यक स्वीकृतियां नियमानुसार ली जावें।

5. कार्य प्रारंभ करने के लिये सबसे पहले उचित सेटिंग आउट करना होगी। ठीक सेटिंग आउट के कारण कार्य की गुणवत्ता अच्छी होती है एवं कार्य देखने में सुव्यवस्थित लगता है। इसके लिये निम्नलिखित कार्य किये जाएः

   (i). सर्व प्रथम उस स्थान पर जंगल सफाई की जाए जहां निर्माण कार्य होना है। सामान्यतः 500 मी. लंबाई की सड़क के लिए एक साथ जंगल सफाई करना ठीक होता है।

(ii). एलाईन्मेंट के साथ कोई न कोई स्थायी निर्माण होता है। इस निर्माण का लेवल 100 मानते हुए, पेन्ट द्वारा अस्थायी बैंच मार्क तैयार करें। इसी प्रकार एलाईन्मेंट के साथ 1 किमी में 4 स्थानों पर वर्किंग बैंच मार्क तैयार किया जाए।

(iii). जंगल सफाई के बाद हमें सड़क की सेंटर लाईन मार्क करना होगी। इसके लिये एम्बैंकमेंट की चौड़ाई के बाहर प्रत्येक 20 मी. दूरी पर लकड़ी के पेग्स गाड़ें। यह पेग्स स्थानीय जंगल सफाई से निकलने वाली झाड़ियों से तैयार किये जाएं। एक पेग लगभग 50 मिमी व्यास का होगा जिसके लंबाई 60 सेमी होगी। 25 सेमी जमीन में गाड़ने के बाद लगभग 45 सेमी ऊंचाई में पेग निकला रहेगा। इन पेगों पर सूत फैलाकर मिट्टी डालने के बाद भी सेंटर लाईन मार्क कर एम्बैंकमेंट तथा सबग्रेड को सफाई से बनाया जा सकता है।

(iv). 1.5 मी. लंबाई के 50 मिमी व्यास के बांस या 75 मिमी व्यास की जंगली लकड़ी की बल्लियों से रेफरेंस पोल हर 50 मी. दूरी पर एम्बैंकमेंट के दोनों ओर उचित दूरी पर गाड़ना चाहिए। इन रेफरेंस पोलों पर मिट्टी की हर 15 सेमी परत एवं ग्रेवल की परत की मोटाई के बराबर मार्किंग करना चाहिए। सूत फैलाकर निर्माण की हर परत की मोटाई पर नियंत्रण करने के लिए यह रेफरेंस पोल्स होते हैं।

6. अब मिट्टी का कार्य प्रारंभ करना होगा। जैसा कि आपको मालूम है, मिट्टी परतों में बिछाई जाएगी एवं उसमें ओएमसी पर पानी मिलाकर उसकी कुटाई करना होगी। निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएः

(i). जिस मिट्टी को उपयोग किया जा रहा है उसकी Ordinary Proctor Density तथा OMC निकाली जावे। साथ ही मिट्टी का Field Moisture Content निकाला जावे इसके आधार पर कितना पानी डलना है इसकी गणना की जावे।

(ii). कुल ऊंचाई के आधार पर मिट्टी कार्य में कितनी परतें होगी और उन परतों की कितनी चौड़ाई होगी यह निर्धारित किया जाए। मिट्टी की एक परत कुटाई के बाद 15 सेमी ऊंचाई की होनी चाहिए (सामान्य 8–10 टन के रोलर के उपयोग से), इसके लिए सामान्यतः लगभग 20 सेमी ऊंचाई में लूज मिट्टी बिछाकर कुटाई करना होगी। प्रत्येक परत की कुटाई करने के बाद सेंड रिपलेसमेंट पद्धति से मिट्टी का घनत्व निकाला जाना होगा। एम्बैंकमेंट के लिए Ordinary Proctor Density के 97 प्रतिशत तक घनत्व प्राप्त होना चाहिए।

(iii). एम्बैंकमेंट का मिट्टी कार्य पूरा हो जाने के बाद सबग्रेड की मिट्टी का कार्य भी इसी प्रकार किया जाएगा, फर्क केवल इतना है कि सबग्रेड के लिये कुछ अधिक रोलिंग करना पड़ेगी जिससे कि Ordinary Proctor Density का 100% घनत्व प्राप्त होना चाहिए।

7. मिट्टी का कार्य पूर्ण होने के बाद ग्रेवल बेस तथा सर्फेस कोर्स का निर्माण होना है। इसके लिये पूर्व से चयनित खदानों से आवश्यक अनुपात में सामग्री को लाकर अनुपात के अनुसार सड़क पर स्टेकिंग की जाए। पहले शोल्डर का मटेरियल लूज बिछाया जाए फिर उसमें सफाई से केरिज–वे की चौड़ाई के बराबर हाउसिंग की जाए।इस हाउस में पानी छिड़क कर रोलर चलाया जाकर मिट्टी को उचित रूप से कुटा जाए। अगले चरण में पहले मोटी सामग्री नीचे बिछाई जाए उसके ऊपर तुलनात्मक दृष्टि से महीन सामग्री निर्धारित अनुपात में एवं निर्धारित मोटाई में बिछाई जाए। इस बिछावट के बाद इसके ऊपर ट्रेक्टर में जुड़े हुए डिस्क हैरो को चलाकर मिश्रण किया जाए जब ट्रेक्टर को एक दिशा में चलाकर दुबारा ट्रेक्टर को उसकी उलटी दिशा में चलाया जाएगा तो उचित मिश्रण होने की संभावना होगी। जैसे ही मिश्रण ठीक हो आवश्यक मात्रा में पानी डालकर रोलर से कुटाई की जाए। पहले ग्रेवल बेस तैयार किया जाए फिर ग्रेवल सर्फेस भी इसी पद्धति से तैयार किया जाए।

8. जब एम्बैंकमेंट तथा सबग्रेड का मिट्टी कार्य किया जाएगा तो प्रत्येक परत में कोनों के 30 सेमी ऊपरी चौड़ाई एवं शून्य सेमी बाट्म चौड़ाई के तिकोनों में रोलिंग संभव नहीं है। इन तिकोंनों को काटकर इसकी मिट्टी का उपयोग शोल्डर भराई के लिए किया जा सकता है। स्मरण रहे कि मिट्टी के बंधान के साईड स्लोप तिकोनों को काटकर अच्छे प्रकार से ड्रेस किये जाएं।

9. कार्य प्रारंभ करने के पहले ही Informatory Board बनाया जाए। उपरोक्तानुसार कार्य पूर्ण होने के बाद Boundry Stone, 200 Meter Stone तथा Kilometre Stone लगाए जाएं।

(प्रभाकान्त केटारे)
प्रमुख अभियंता
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा
विकास आयुक्त कार्यालय, भोपाल (म.प्र.)

ABSTRACT

Indicative Per km. Estimates of Gravel Roads in Three Conditions(Excluding CD Works)

Estimate Type	Conditions in Estimate	Amount of Part-1		Amount of Part-2	
		Total Amount	Labour %	Total Amount	Labour %
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Suitable full earth available along the alignment	854335	69	69343	61
2	Embankment earth from road side and sub-grade earth 50% transported by head load and 50% from 3 km distance	1147256	66	69343	61
3	Full Earth transported from 5 km distance	1672867	35	69343	61

DETAILED MODEL ESTIMATE FOR CONSTRUCTION OF GRAVEL ROAD UNDER SUDOOR GRAM SAMPARK YOJANA (1.0 KM LENGTH)

Sr.no/sor Item	Particulars of Items	Qty.	Unit	Rate	Amount	labour	material
1/1702	Chain and Compass survey for Roads	1	km	584.00	584.00	292	292
2/1705	Fly leveling for fixing temporary bench marks above 15 meter interval	1	km	438.00	438.00	219	219
3/1706	Levelling for longitudinal levels above 15 meter interval	1	km	467.20	467.20	233.6	233.6
4/1706	Levelling for cross sections below 5 meter interval	1	km	1460.00	1460.00	730	730
5/102	Jungle clearance including uprooting of rank vegetation, grass, brush wood, saplings and tree not exceeding 30cm girth and removing not exceeding 50meters outside the periphery of the area cleared. (Assuming 75% Area)	9000.00	m^2	4.10	36900.00	**36900.00**	**0.00**
6/2529 New Item in Distt. SOR	Setting out work (Reference pillars, referencing bench mark and temporary bench mark):- Painting/Marking of Reference/Working Bench Mark over existing permanent structure. Fixing of Reference pegs made of local rough wood for marking centre line and toe lines. Fixing of reference poles made of bamboos or jungle wood ballies etc.	1.00	km	7462.90	**7462.90**	**0.00**	**7462.90**
7/2502 (b)	**Excavation of Soil for embankment and sub-grade either along the alignment or at quarry:** Earth work in bulk exacavation (exceeding 30cm in depth, 1.5m in width as well as 10sqm on plan) including disposal of excavated soil lead upto 20m and lift upto 1.5m, disposed soil to be levelled and nearly dressed. Dense or hard soil for Road work					**0.00**	**0.00**
	(a) Embankment for first layer (Embankment)	1290.00					
	(b) Embankment for second layer (Sub-grade)	1200.00					
	(c) Embankment for third layer (Sub-grade)	1110.00					
	(d) Shoulders (with sub-grade material)	680.00					
	(e) Extra earth for camber or extra widening at curves	128.40					
		4408.40	m^3	81.2	**357962.08**	**357962.08**	**0.00**

Sr.no/sor Item	Particulars of Items	Qty.	Unit	Rate	Amount	labour	material
8/2041	Compaction of embankment with approved materials as per clause 301.4 & 301.5 of specifications for rural roads(MORD), already deposited at site, obtained from roadway cutting, excavated from drains, foundation of other structures or from borrow pit, making 4% camber and required Grade by tractor mounted grader or labourers, watering at OMC and compacted by 80 to 100 kN static weight rollers to achieve desired density minimum 97% as per table 300.1 and 300.2 of (MORD) - i/c required leads and lifts of materials etc. complete.						
	Embankment	1245.00	m^3				
	Extra quantity in embankment @ 3%	37.35	m^3				
		1282.35	m^3	**24.9**	**31930.52**	**31930.52**	**0.00**
9/2042	7(e) 2042 Compaction of soil for construction of subgrade & earthen shoulders with approved material, already spreaded at site, obtained from roadway cutting, drains, foundation of other structures or barrow pits, i/c making 4% camber and required grade by tractor mounted grader or labourers, watering at OMC and compacted by 80 to 100 kN static weight rollers to achieve desired density minimum 100% of the MDD as per IS:2720						
	Sub-grade watering and compaction	2220.00	m^3				
	Watering and Compaction of Shoulders	680.00	m^3				
	Watering and Compaction of extra earth for camber and extra widening at curves @ 3%	87.00	m^3				
		2987.00	m^3	27.00	**80649.00**	**0.00**	**80649.00**
	Construction of Gravel Base and Surface Course						
	Construction of base and surface course Base and Surface Course material as per Clause 2.2.2.2, 2.2.2.3, 2.2.3.1 and 2.2.3.2 of IRS:SP:77-2008.	600.00	m^3				
10/New Item 2524 Distt. SOR	Collection/ Excavation of Gravel material meeting the requirements of hard moorum as detailed in RES SOR Chapter 3 Notes Clause 3.2 (c) i/c stacking and all leads and lifts up to	**360.00**	m^3	**130.8**	**47088.00**	**47088.00**	**0.00**
11/New Item 2525 Distt. SOR	Collection of of River borne material (RBM) (any mixture of sand and gravel) i/c boxing and all leads and lifts up to loading point at quarry.	240.00	m^3	**114.3**	**27432.00**	**27432.00**	**0.00**
12/1904 (04)	Transportation of material in item no. 10 above average lead 8.0 km	360.00	m^3	169.60	**61056.00**	**0.00**	**61056.00**
13/1904 (04)	Transportation of material in item no. 11 above average lead 8.0 km	240.00	m^3	169.60	**40704.00**	**0.00**	**40704.00**
14/1818	Stacking without boxing	600.00	m^3	25.60	**15360.00**	**15360.00**	**0.00**
15/2527 State SOR	Spreading of material, mixing by mix in place method by manual means or by Tractor mount disk herrows to meet the requirements of Grading and Plasticity fiven in clause 2.2.2.2,2.2.2.3,2.2.3.1 and 2.2.3.2 of IRC:SP:77-2008 and grading by tractor mount grader to get the required profile.	600.00	m^3	80.50	**48300.00**	**48300.00**	**0.00**

Sr.no/sor Item	Particulars of Items	Qty.	Unit	Rate	Amount	labour	material
16/2528	Rolling & Compaction of granular sub-base of well graded material, spreading in uniform layers with tractor mounted grader on prepared surface, mixing by mix in place, sprinkling of water till OMC, and compacting with smooth wheel rollers of 80 to 100 kN static weight to achieve the desired density, complete as per Technical Specification Clause 401 of	600.00	m^3	61.50	**36900.00**	**0.00**	**36900.00**
17/2033(a)	**Irrigation channel crossings:** Providing and laying reinforced cement concrete pipes N.P.2 for culverts including pointing ends, and fixing collar with cement mortar 1:2 complete. 300mm dia	20.00	Rm	311.70	**6234.00**	**0.00**	**6234.00**
18/2501 State SOR	Construction of Informatory Board in cement concrete/Brick Masonry as the case may be. As per CMGSY Drawing.	1.00	each	5933.70	**5933.70**	**0.00**	**5933.70**
19/2507 State SOR	Kilometre Stone Reinforced cement concrete M15 grade kilometre stone/local stone of standard design as per IRC:8 fixing in position including painting and printing, etc as per drawing and Technical Specification Clause 1703						
	2507 (A) (iii) 200m Stone	4.00	each	334.00	**1336.00**	**0.00**	**1336.00**
	2507 (B) (ii) Ordinary Kilometre stone	4.00	each	687.00	**2748.00**	**0.00**	**2748.00**
20/	Providing and fixing boundary stone/precast at a distance 100m both side of road as per spacified dimenation- 500mm long in cement concrete 1:3:6. 300mm below ground level size 200x100 including excavation of pits of size 300x300x 300 ..etc.complete	20.00	each	L.S.	**6600.00**	**0.00**	**6600.00**
	Total				**817545.40**	**566447.20**	**251098.20**
Add 3.50% for Contingencies and work charged estt.					28614.09	19825.65	8788.44
	Add 1% for Karmkar mandal.				8175.45	5664.47	2510.98
	Grand Total				**854334.94**	**591937.32**	**262397.62**
				Percentage		**69.29**	**30.71**
					8.54		

DETAILED MODEL ESTIMATE FOR CONSTRUCTION OF GRAVEL ROAD UNDER SUDOOR GRAM SAMPARK YOJANA (1.0 KM LENGTH)

Sr.no/sor Item	Particulars of Items	NO	L	B.	D	Qty.	Unit	Rate	Amount
1/1702	Chain and Compass survey for Roads	1	1			1	km	584.00	584.00
2/1705	Fly leveling for fixing temporary bench marks above 15 meter interval	1	1			1	km	438.00	438.00
3/1706	Levelling for longitudinal levels above 15 meter interval	1	1			1	km	467.20	467.20
4/1706	Levelling for cross sections below 5 meter interval	1	1			1	km	1460.00	1460.00
5/102	Jungle clearance including uprooting of rank vegetation, grass, brush wood, saplings and tree not exceeding 30cm girth and removing not exceeding 50meters outside the periphery of the area cleared. (Assuming 75% Area)	0.75	1000	12	-	9000.00	m^2	4.10	36900.00
6/2529 New Item in Distt. SOR	Setting out work (Reference pillars, referencing bench mark and temporary bench mark):- Painting/Marking of Reference/Working Bench Mark over existing permanent structure. Fixing of Reference pegs made of local rough wood for marking centre line and toe lines. Fixing of reference poles made of bamboos or jungle wood ballies etc.	1	1.0	-	-	1.00	km	7462.90	**7462.90**
7/2502 (b)	**Excavation of Soil for embankment and sub-grade either along the alignment or at quarry:** Earth work in bulk exacavation (exceeding 30cm in depth, 1.5m in width as well as 10sqm on plan) including disposal of excavated soil lead upto 20m and lift upto 1.5m, disposed soil to be levelled and nearly dressed. Dense or hard soil for Road work								
	(a) Embankment for first layer (Embankment)	1	1000.0	8.60	0.15	1290.00			
	(b) Embankment for second layer (Sub-grade)	1	1000.0	8.00	0.15	1200.00			
	(c) Embankment for third layer (Sub-grade)	1	1000.0	7.40	0.15	1110.00			
	(d) Shoulders (with sub-grade material)	1	1000.0	(6+6.80)/2-3	0.20	680.00			
	(e) Extra earth for camber or extra widening at curves	at the rate of 3% of excavated quantity				128.40			
		(f) Total				**4408.40**	m^3	81.2	**357962.08**

Sr.no/sor Item	Particulars of Items	NO	L	B.	D	Qty.	Unit	Rate	Amount
8/2041	Compaction of embankment with approved materials as per clause 301.4 & 301.5 of specifications for rural roads(MORD), already deposited at site, obtained from roadway cutting, excavated from drains, foundation of other structures or from borrow pit, making 4% camber and required Grade by tractor mounted grader or labourers, watering at OMC and compacted by 80 to 100 kN static weight rollers to achieve desired density minimum 97% as per table 300.1 and 300.2 of (MORD) - i/c required leads and lifts of materials etc. complete.								
	Embankment	1	1000.0	(8.6+8.0)/2	0.15	1245.00	m^3		
	Extra quantity in embankment @ 3%					37.35	m^3		
		Total				1282.35	m^3	**24.9**	**31930.52**
9/2042	7(e) 2042 Compaction of soil for construction of subgrade & earthen shoulders with approved material, already spreaded at site, obtained from roadway cutting, drains, foundation of other structures or barrow pits, i/c making 4% camber and required grade by tractor mounted grader or labourers, watering at OMC and compacted by 80 to 100 kN static weight rollers to achieve desired density minimum 100% of the MDD as per IS:2720								
	Sub-grade watering and compaction	1.00	1000.00	(6.8+8.0)/2	0.30	2220.00	m^3		
	Watering and Compaction of Shoulders	1.00	1000.00	(6.0+6.8)/2-3	0.2	680.00	m^3		
	Watering and Compaction of extra earth for camber and extra widening at curves @ 3%					87.00	m^3		
		Total				2987.00	m^3	27.00	**80649.00**
Construction of Gravel Base and Surface Course									
	Construction of base and surface course Base and Surface Course material as per Clause 2.2.2.2, 2.2.2.3, 2.2.3.1 and 2.2.3.2 of IRS:SP:77-2008.	1	1000.00	3.00	0.20	600.00	m^3	0.00	**0.00**
10/New Item 2524 Distt. SOR	Collection/ Excavation of Gravel material meeting the requirements of hard moorum as detailed in RES SOR Chapter 3 Notes Clause 3.2 (c) i/c stacking and all leads and lifts up to	60% of total quantity				**360.00**	m^3	**130.8**	**47088.00**
11/New Item 2525 Distt. SOR	Collection of of River borne material (RBM) (any mixture of sand and gravel) i/c boxing and all leads and lifts up to loading point at quarry.	40% of total quantity				240.00	m^3	**114.3**	**27432.00**
12/1904 (04)	Transportation of material in item no. 10 above average lead 8.0 km	Quantity same as 10				360.00	m^3	169.60	**61056.00**
13/1904 (04)	Transportation of material in item no. 11 above average lead 8.0 km	Quantity same as 11				240.00	m^3	169.60	**40704.00**
14/1818	Stacking without boxing	Total Quantity of Gravel				600.00	m^3	25.60	**15360.00**
15/2527 State SOR	Spreading of material, mixing by mix in place method by manual means or by Tractor mount disk herrows to meet the requirements of Grading and Plasticity fiven in clause 2.2.2.2,2.2.2.3,2.2.3.1 and 2.2.3.2 of IRC:SP:77-2008 and grading by tractor mount grader to get the required profile.	Quantity of Item No. 10 + 11				600.00	m^3	80.50	**48300.00**

Sr.no/sor Item	Particulars of Items	NO	L	B.	D	Qty.	Unit	Rate	Amount
16/2528	Rolling & Compaction of granular sub-base of well graded material, spreading in uniform layers with tractor mounted grader on prepared surface, mixing by mix in place, sprinkling of water till OMC, and compacting with smooth wheel rollers of 80 to 100 kN static weight to achieve the desired density, complete as per Technical Specification Clause 401 of	Quantity of Item No. 13 + 14				600.00	m^3	61.50	**36900.00**
17/2033(a)	**Irrigation channel crossings:** Providing and laying reinforced cement concrete pipes N.P.2 for culverts including pointing ends, and fixing collar with cement mortar 1:2 complete. 300mm dia	2	10.00	-	-	20.00	Rm	311.70	**6234.00**
18/2501 State SOR	Construction of Informatory Board in cement concrete/Brick Masonry as the case may be. As per CMGSY Drawing.	1				1.00	each	5933.70	**5933.70**
19/2507 State SOR	Kilometre Stone Reinforced cement concrete M15 grade kilometre stone/local stone of standard design as per IRC:8 fixing in position including painting and printing, etc as per drawing and Technical Specification Clause 1703								
	2507 (A) (iii) 200m Stone	4	-	-	-	4.00	each	334.00	**1336.00**
	2507 (B) (ii) Ordinary Kilometre stone	4	-	-	-	4.00	each	687.00	**2748.00**
20/	Providing and fixing boundary stone/precast at a distance 100m both side of road as per spacified dimenation- 500mm long in cement concrete 1:3:6. 300mm below ground level size 200x100 including excavation of pits of size 300x300x 300 ..etc.complete	20	-	-	-	20.00	each	L.S.	**6600.00**
					Total				**817545.40**
	Add 3.50% for Contingencies and work charged estt.								28614.09
	Add 1% for Karmkar mandal.								8175.45
	Grand Total								**854334.94**
								Percentage	
		Say Rs. (in Lakh)							**8.54**

DETAILED MODEL ESTIMATE FOR CONSTRUCTION OF GRAVEL ROAD UNDER SUDOOR GRAM SAMPARK YOJANA (1.0 KM LENGTH)

Sr.no/sor Item	Particulars of Items	Qty.	Unit	Rate	Amount	labour	material
1/1702	Chain and Compass survey for Roads	1	km	584.00	584.00	292	292
2/1705	Fly leveling for fixing temporary bench marks above 15 meter interval	1	km	438.00	438.00	219	219
3/1706	Levelling for longitudinal levels above 15 meter interval	1	km	467.20	467.20	233.6	233.6
4/1706	Levelling for cross sections below 5 meter interval	1	km	1460.00	1460.00	730	730
5/102	Jungle clearance including uprooting of rank vegetation, grass, brush wood, saplings and tree not exceeding 30cm girth and removing not exceeding 50meters outside the periphery of the area cleared. (Assuming 75% Area)	9000.00	m^2	4.10	36900.00	**36900.00**	**0.00**
6/2529 New Item in Distt. SOR	Setting out work (Reference pillars, referencing bench mark and temporary bench mark):- Painting/Marking of Reference/Working Bench Mark over existing permanent structure. Fixing of Reference pegs made of local rough wood for marking centre line and toe lines. Fixing of reference poles made of bamboos or jungle wood ballies etc.	1.00	km	7462.90	**7462.90**	**0.00**	**7462.90**
7/2502 (b)	**Excavation of Soil for embankment and sub-grade either along the alignment or at quarry:** Earth work in bulk exacavation (exceeding 30cm in depth, 1.5m in width as well as 10sqm on plan) including disposal of excavated soil lead upto 20m and lift upto 1.5m, disposed soil to be levelled and nearly dressed. Dense or hard soil for Road work						
	(a) Embankment for first layer (Embankment)	1290.00					
	(b) Embankment for second layer (Sub-grade)	1200.00					
	(c) Embankment for third layer (Sub-grade)	1110.00					
	(d) Shoulders (with sub-grade material)	680.00					
	(e) Extra earth for camber or extra widening at curves	128.40					
		4408.40	m^3	81.2	**357962.08**	**357962.08**	**0.00**

Sr.no/sor Item	Particulars of Items	Qty.	Unit	Rate	Amount	labour	material
8/2041	Compaction of embankment with approved materials as per clause 301.4 & 301.5 of specifications for rural roads(MORD), already deposited at site, obtained from roadway cutting, excavated from drains, foundation of other structures or from borrow pit, making 4% camber and required Grade by tractor mounted grader or labourers, watering at OMC and compacted by 80 to 100 kN static weight rollers to achieve desired density minimum 97% as per table 300.1 and 300.2 of (MORD) - i/c required leads and lifts of materials etc. complete.						
	Embankment	1245.00	m^3				
	Extra quantity in embankment @ 3%	37.35	m^3				
		1282.35	m^3	**24.9**	**31930.52**	**31930.52**	**0.00**
9/2042	7(e) 2042 Compaction of soil for construction of subgrade & earthen shoulders with approved material, already spreaded at site, obtained from roadway cutting, drains, foundation of other structures or barrow pits, i/c making 4% camber and required grade by tractor mounted grader or labourers, watering at OMC and compacted by 80 to 100 kN static weight rollers to achieve desired density minimum 100% of the MDD as per IS:2720						
	Sub-grade watering and compaction	2220.00	m^3				
	Watering and Compaction of Shoulders	680.00	m^3				
	Watering and Compaction of extra earth for camber and extra widening at curves @ 3%	87.00	m^3				
		2987.00	m^3	27.00	**80649.00**	**0.00**	**80649.00**
If the sub-grade material or embankment material is to be transported from a quarry away from road alignment, the following items shall be given depending							
If full material of sub-grade transported (50% by head load and rest from 3km distance). All material of embankment available from road side.							
10/0318	Transportation of collected soil for sub-grade, 50% soil by head load from 200m distance.	1155.00	m3	87.60	**101178.00**	**101178.00**	**0.00**
11/1904	Transportation of collected soil for sub-grade, 50% soil by transportation from 3km distance.	1155.00	m3	103.59	**119646.45**	**0.00**	**119646.45**
12/1818(a)	Stacking without boxing at site	1155.00	m3	10.50	**12127.50**	**12127.50**	**0.00**
13/2003	Spreading of soil	1155.00	m3	41.00	**47355.00**	**47355.00**	**0.00**
	Construction of Gravel Base and Surface Course					**0.00**	**0.00**
	Construction of base and surface course Base and Surface Course material as per Clause 2.2.2.2, 2.2.2.3, 2.2.3.1 and 2.2.3.2 of IRS:SP:77-2008.	600.00	m^3				
14/New Item 2524 Distt. SOR	Collection/ Excavation of Gravel material meeting the requirements of hard moorum as detailed in RES SOR Chapter 3 Notes Clause 3.2 (c) i/c stacking and all leads and lifts up to	**360.00**	m^3	**130.8**	**47088.00**	**47088.00**	**0.00**
16/New Item 2525 Distt. SOR	Collection of of River borne material (RBM) (any mixture of sand and gravel) i/c boxing and all leads and lifts up to loading point at quarry.	240.00	m^3	**114.3**	**27432.00**	**27432.00**	**0.00**
17/1904 (04)	Transportation of material in item no. 10 above average lead 8.0 km	360.00	m^3	169.60	**61056.00**	**0.00**	**61056.00**

Sr.no/sor Item	Particulars of Items	Qty.	Unit	Rate	Amount	labour	material
16/1904 (04)	Transportation of material in item no. 11 above average lead 8.0 km	240.00	m^3	169.60	**40704.00**	**0.00**	**40704.00**
18/1818	Stacking without boxing	600.00	m^3	25.60	**15360.00**	**15360.00**	**0.00**
19/2527 State SOR	Spreading of material, mixing by mix in place method by manual means or by Tractor mount disk herrows to meet the requirements of Grading and Plasticity fiven in clause 2.2.2.2,2.2.2.3,2.2.3.1 and 2.2.3.2 of IRC:SP:77-2008 and grading by tractor mount grader to get the required profile.	600.00	m^3	80.50	**48300.00**	**48300.00**	**0.00**
19/2528	Rolling & Compaction of granular sub-base of well graded material, spreading in uniform layers with tractor mounted grader on prepared surface, mixing by mix in place, sprinkling of water till OMC, and compacting with smooth wheel rollers of 80 to 100 kN static weight to achieve the desired density, complete as per Technical Specification Clause 401 of	600.00	m^3	61.50	**36900.00**	**0.00**	**36900.00**
20/2033(a)	**Irrigation channel crossings:** Providing and laying reinforced cement concrete pipes N.P.2 for culverts including pointing ends, and fixing collar with cement mortar 1:2 complete. 300mm dia	20.00	Rm	311.70	**6234.00**	**0.00**	**6234.00**
21/2501 State SOR	Construction of Informatory Board in cement concrete/Brick Masonry as the case may be. As per CMGSY Drawing.	1.00	each	5933.70	**5933.70**	**0.00**	**5933.70**
22/2507 State SOR	Kilometre Stone Reinforced cement concrete M15 grade kilometre stone/local stone of standard design as per IRC:8 fixing in position including painting and printing, etc as per drawing and Technical Specification Clause 1703					**0.00**	**0.00**
State SOR	2507 (A) (iii) 200m Stone	4.00	each	334.00	**1336.00**	**0.00**	**1336.00**
State SOR	2507 (B) (ii) Ordinary Kilometre stone	4.00	each	687.00	**2748.00**	**0.00**	**2748.00**
	Providing and fixing boundary stone/precast at a distance 100m both side of road as per spacified dimenation- 500mm long in cement concrete 1:3:6. 300mm below ground level size 200x100 including excavation of pits of size 300x300x 300 ..etc.complete	20.00	each	L.S.	**6600.00**	**0.00**	**6600.00**
	Total				**1097852.35**	**727107.70**	**370744.65**
	Add 3.50% for Contingencies and work charged estt.				38424.83	25448.77	12976.06
	Add 1% for Karmkar mandal.				10978.52	7271.08	3707.45
	Grand Total				**1147255.70**	**759827.54**	**387428.16**
				Percentage		**66.23**	**33.77**
					11.47		

DETAILED MODEL ESTIMATE FOR CONSTRUCTION OF GRAVEL ROAD UNDER SUDOOR GRAM SAMPARK YOJANA (1.0 KM LENGTH)

Sr.no/sor Item	Particulars of Items	NO	L	B.	D	Qty.	Unit	Rate	Amount
1/1702	Chain and Compass survey for Roads	1	1			1	km	584.00	584.00
2/1705	Fly leveling for fixing temporary bench marks above 15 meter interval	1	1			1	km	438.00	438.00
3/1706	Levelling for longitudinal levels above 15 meter interval	1	1			1	km	467.20	467.20
4/1706	Levelling for cross sections below 5 meter interval	1	1			1	km	1460.00	1460.00
5/102	Jungle clearance including uprooting of rank vegetation, grass, brush wood, saplings and tree not exceeding 30cm girth and removing not exceeding 50meters outside the periphery of the area cleared. (Assuming 75% Area)	0.75	1000	12	-	9000.00	m^2	4.10	36900.00
6/2529 New Item in Distt. SOR	Setting out work (Reference pillars, referencing bench mark and temporary bench mark):- Painting/Marking of Reference/Working Bench Mark over existing permanent structure. Fixing of Reference pegs made of local rough wood for marking centre line and toe lines. Fixing of reference poles made of bamboos or jungle wood ballies etc.	1	1.0	-	-	1.00	km	7462.90	**7462.90**
7/2502 (b)	**Excavation of Soil for embankment and sub-grade either along the alignment or at quarry:** Earth work in bulk exacavation (exceeding 30cm in depth, 1.5m in width as well as 10sqm on plan) including disposal of excavated soil lead upto 20m and lift upto 1.5m, disposed soil to be levelled and nearly dressed. Dense or hard soil for Road work								
	(a) Embankment for first layer (Embankment)	1	1000.0	8.60	0.15	1290.00			
	(b) Embankment for second layer (Sub-grade)	1	1000.0	8.00	0.15	1200.00			
	(c) Embankment for third layer (Sub-grade)	1	1000.0	7.40	0.15	1110.00			
	(d) Shoulders (with sub-grade material)	1	1000.0	(6+6.80)/2-3	0.20	680.00			
	(e) Extra earth for camber or extra widening at curves	at the rate of 3% of excavated quantity				128.40			
		(f) Total				**4408.40**	m^3	81.2	**357962.08**

Sr.no/sor Item	Particulars of Items	NO	L	B.	D	Qty.	Unit	Rate	Amount
8/2041	Compaction of embankment with approved materials as per clause 301.4 & 301.5 of specifications for rural roads(MORD), already deposited at site, obtained from roadway cutting, excavated from drains, foundation of other structures or from borrow pit, making 4% camber and required Grade by tractor mounted grader or labourers, watering at OMC and compacted by 80 to 100 kN static weight rollers to achieve desired density minimum 97% as per table 300.1 and 300.2 of (MORD) - i/c required leads and lifts of materials etc. complete.								
	Embankment	1	1000.0	(8.6+8.0)/2	0.15	1245.00	m^3		
	Extra quantity in embankment @ 3%					37.35	m^3		
				Total		1282.35	m^3	**24.9**	**31930.52**
9/2042	7(e) 2042 Compaction of soil for construction of subgrade & earthen shoulders with approved material, already spreaded at site, obtained from roadway cutting, drains, foundation of other structures or barrow pits, i/c making 4% camber and required grade by tractor mounted grader or labourers, watering at OMC and compacted by 80 to 100 kN static weight rollers to achieve desired density minimum 100% of the MDD as per IS:2720								
	Sub-grade watering and compaction	1.00	1000.00	(6.8+8.0)/2	0.30	2220.00	m^3		
	Watering and Compaction of Shoulders	1.00	1000.00	(6.0+6.8)/2-3	0.2	680.00	m^3		
	Watering and Compaction of extra earth for camber and extra widening at curves @ 3%					87.00	m^3		
				Total		2987.00	m^3	27.00	**80649.00**
If the sub-grade material or embankment material is to be transported from a quarry away from road alignment, the following items shall be given depending on the quantity of material to be transported.									
If full material of sub-grade transported (50% by head load and rest from 3km distance). All material of embankment available from road side.									
10/0318	Transportation of collected soil for sub-grade, 50% soil by head load from 200m distance.	50% quantity of item 7(b+c) above				1155.00	m3	87.60	**101178.00**
11/1904	Transportation of collected soil for sub-grade, 50% soil by transportation from 3km distance.	50% quantity of item 7(b+c) above				1155.00	m3	103.59	**119646.45**
12/1818(a)	Stacking without boxing at site	as per item 11 above				1155.00	m3	10.50	**12127.50**
13/2003	Spreading of soil	as per item 11 above				1155.00	m3	41.00	**47355.00**
Construction of Gravel Base and Surface Course									
	Construction of base and surface course Base and Surface Course material as per Clause 2.2.2.2, 2.2.2.3, 2.2.3.1 and 2.2.3.2 of IRS:SP:77-2008.	1	1000.00	3.00	0.20	600.00	m^3	0.00	**0.00**
14/New Item 2524 Distt. SOR	Collection/ Excavation of Gravel material meeting the requirements of hard moorum as detailed in RES SOR Chapter 3 Notes Clause 3.2 (c) i/c stacking and all leads and lifts up to	60% of total quantity				**360.00**	m^3	**130.8**	**47088.00**

Sr.no/sor Item	Particulars of Items	NO	L	B.	D	Qty.	Unit	Rate	Amount
16/New Item 2525 Distt. SOR	Collection of of River borne material (RBM) (any mixture of sand and gravel) i/c boxing and all leads and lifts up to loading point at quarry.	40% of total quantity				240.00	m^3	**114.3**	**27432.00**
17/1904 (04)	Transportation of material in item no. 10 above average lead 8.0 km	Quantity same as 13				360.00	m^3	169.60	**61056.00**
16/1904 (04)	Transportation of material in item no. 11 above average lead 8.0 km	Quantity same as 14				240.00	m^3	169.60	**40704.00**
18/1818	Stacking without boxing	Total Quantity of Gravel				600.00	m^3	25.60	**15360.00**
19/2527 State SOR	Spreading of material, mixing by mix in place method by manual means or by Tractor mount disk herrows to meet the requirements of Grading and Plasticity fiven in clause 2.2.2.2,2.2.2.3,2.2.3.1 and 2.2.3.2 of IRC:SP:77-2008 and grading by tractor mount grader to get the required profile.	Quantity of Item No. 13 + 14				600.00	m^3	80.50	**48300.00**
19/2528	Rolling & Compaction of granular sub-base of well graded material, spreading in uniform layers with tractor mounted grader on prepared surface, mixing by mix in place, sprinkling of water till OMC, and compacting with smooth wheel rollers of 80 to 100 kN static weight to achieve the desired density, complete as per Technical Specification Clause 401 of	Quantity of Item No. 13 + 14				600.00	m^3	61.50	**36900.00**
20/2033(a)	**Irrigation channel crossings:** Providing and laying reinforced cement concrete pipes N.P.2 for culverts including pointing ends, and fixing collar with cement mortar 1:2 complete. 300mm dia	2	10.00	-	-	20.00	Rm	311.70	**6234.00**
21 2501 State SOR	Construction of Informatory Board in cement concrete/Brick Masonry as the case may be. As per CMGSY Drawing.	1				1.00	each	5933.70	**5933.70**
22/2507 State SOR	Kilometre Stone Reinforced cement concrete M15 grade kilometre stone/local stone of standard design as per IRC:8 fixing in position including painting and printing, etc as per drawing and Technical Specification Clause 1703								
State SOR	2507 (A) (iii) 200m Stone	4	-	-	-	4.00	each	334.00	**1336.00**
State SOR	2507 (B) (ii) Ordinary Kilometre stone	4	-	-	-	4.00	each	687.00	**2748.00**
	Providing and fixing boundary stone/precast at a distance 100m both side of road as per spacified dimenation- 500mm long in cement concrete 1:3:6. 300mm below ground level size 200x100 including excavation of pits of size 300x300x 300 ..etc.complete	20	-	-	-	20.00	each	L.S.	**6600.00**
					Total				**1097852.35**
	Add 3.50% for Contingencies and work charged estt.								38424.83
	Add 1% for Karmkar mandal.								10978.52
	Grand Total								**1147255.70**
								Percentage	
	Say Rs. (in Lakh)								**11.47**

DETAILED MODEL ESTIMATE FOR CONSTRUCTION OF GRAVEL ROAD UNDER SUDOOR GRAM SAMPARK YOJANA (1.0 KM LENGTH)

Sr.no/sor Item	Particulars of Items	Qty.	Unit	Rate	Amount	labour	material
1/1702	Chain and Compass survey for Roads	1	km	584.00	584.00	292	292
2/1705	Fly leveling for fixing temporary bench marks above 15 meter interval	1	km	438.00	438.00	219	219
3/1706	Levelling for longitudinal levels above 15 meter interval	1	km	467.20	467.20	233.6	233.6
4/1706	Levelling for cross sections below 5 meter interval	1	km	1460.00	1460.00	730	730
5/102	Jungle clearance including uprooting of rank vegetation, grass, brush wood, saplings and tree not exceeding 30cm girth and removing not exceeding 50meters outside the periphery of the area cleared. (Assuming 75% Area)	9000.00	m^2	4.10	36900.00	**36900.00**	**0.00**
6/2529 New Item in Distt. SOR	Setting out work (Reference pillars, referencing bench mark and temporary bench mark):- Painting/Marking of Reference/Working Bench Mark over existing permanent structure. Fixing of Reference pegs made of local rough wood for marking centre line and toe lines. Fixing of reference poles made of bamboos or jungle wood ballies etc.	1.00	km	7462.90	**7462.90**	**0.00**	**7462.90**
7/2502 (b)	**Excavation of Soil for embankment and sub-grade either along the alignment or at quarry:** Earth work in bulk exacavation (exceeding 30cm in depth, 1.5m in width as well as 10sqm on plan) including disposal of excavated soil lead upto 20m and lift upto 1.5m, disposed soil to be levelled and nearly dressed. Dense or hard soil for Road work					**0.00**	**0.00**
	(a) Embankment for first layer (Embankment)	1290.00					
	(b) Embankment for second layer (Sub-grade)	1200.00					
	(c) Embankment for third layer (Sub-grade)	1110.00					
	(d) Shoulders (with sub-grade material)	680.00					
	(e) Extra earth for camber or extra widening at curves	128.40					
		4408.40	m^3	81.2	**357962.08**	**357962.08**	**0.00**

Sr.no/sor Item	Particulars of Items	Qty.	Unit	Rate	Amount	labour	material
8/2041	Compaction of embankment with approved materials as per clause 301.4 & 301.5 of specifications for rural roads(MORD), already deposited at site, obtained from roadway cutting, excavated from drains, foundation of other structures or from borrow pit, making 4% camber and required Grade by tractor mounted grader or labourers, watering at OMC and compacted by 80 to 100 kN static weight rollers to achieve desired density minimum 97% as per table 300.1 and 300.2 of (MORD) - i/c required leads and lifts of materials etc. complete.					**0.00**	**0.00**
	Embankment	1245.00	m^3			**0.00**	**0.00**
	Extra quantity in embankment @ 3%	37.35	m^3			**0.00**	**0.00**
		1282.35	m^3	**24.9**	**31930.52**	**31930.52**	**0.00**
9/2042	7(e) 2042 Compaction of soil for construction of subgrade & earthen shoulders with approved material, already spreaded at site, obtained from roadway cutting, drains, foundation of other structures or barrow pits, i/c making 4% camber and required grade by tractor mounted grader or labourers, watering at OMC and compacted by 80 to 100 kN static weight rollers to achieve desired density minimum 100% of the MDD as per IS:2720						
	Sub-grade watering and compaction	2220.00	m^3				
	Watering and Compaction of Shoulders	680.00	m^3				
	Watering and Compaction of extra earth for camber and extra widening at curves @ 3%	87.00	m^3				
		2987.00	m^3	27.00	**80649.00**	**0.00**	**80649.00**
If the sub-grade material or embankment material is to be transported from a quarry away from road alignment, the following items shall be given depending							
If all material for embankment and sub-grade transported.							
10/1904	Transportation of collected soil (Taken average lead- 5km)	4408.40	m3	126.18	**556251.91**	**0.00**	**556251.91**
11/1818(a)	Stacking without boxing at site	4408.40	m3	10.50	**46288.20**	**0.00**	**46288.20**
12/2003	Spreading of soil	4408.40	m3	41.00	**180744.40**	**0.00**	**180744.40**
	Construction of Gravel Base and Surface Course						
	Construction of base and surface course Base and Surface Course material as per Clause 2.2.2.2, 2.2.2.3, 2.2.3.1 and 2.2.3.2 of IRS:SP:77-2008.	600.00	m^3	0.00			
13/New Item 2524 Distt. SOR	Collection/ Excavation of Gravel material meeting the requirements of hard moorum as detailed in RES SOR Chapter 3 Notes Clause 3.2 (c) i/c stacking and all leads and lifts up to	**360.00**	m^3	**130.8**	**47088.00**	**47088.00**	**0.00**
14/New Item 2525 Distt. SOR	Collection of of River borne material (RBM) (any mixture of sand and gravel) i/c boxing and all leads and lifts up to loading point at quarry.	240.00	m^3	**114.3**	**27432.00**	**27432.00**	**0.00**
15/1904 (04)	Transportation of material in item no. 10 above average lead 8.0 km	360.00	m^3	169.60	**61056.00**	**0.00**	**61056.00**
16/1904 (04)	Transportation of material in item no. 11 above average lead 8.0 km	240.00	m^3	169.60	**40704.00**	**0.00**	**40704.00**
17 1818	Stacking without boxing	600.00	m^3	25.60	**15360.00**	**15360.00**	**0.00**

Sr.no/sor Item	Particulars of Items	Qty.	Unit	Rate	Amount	labour	material
18/2527 State SOR	Spreading of material, mixing by mix in place method by manual means or by Tractor mount disk herrows to meet the requirements of Grading and Plasticity fiven in clause 2.2.2.2,2.2.2.3,2.2.3.1 and 2.2.3.2 of IRC:SP:77-2008 and grading by tractor mount grader to get the required profile.	600.00	m^3	80.50	**48300.00**	**48300.00**	**0.00**
19/2528	Rolling & Compaction of granular sub-base of well graded material, spreading in uniform layers with tractor mounted grader on prepared surface, mixing by mix in place, sprinkling of water till OMC, and compacting with smooth wheel rollers of 80 to 100 kN static weight to achieve the desired density, complete as per Technical Specification Clause 401 of	600.00	m^3	61.50	**36900.00**	**0.00**	**36900.00**
20/2033(a)	**Irrigation channel crossings:** Providing and laying reinforced cement concrete pipes N.P.2 for culverts including pointing ends, and fixing collar with cement mortar 1:2 complete. 300mm dia	20.00	Rm	311.70	**6234.00**	**0.00**	**6234.00**
21/2501 State SOR	Construction of Informatory Board in cement concrete/Brick Masonry as the case may be. As per CMGSY Drawing.	1.00	each	5933.70	**5933.70**	**0.00**	**5933.70**
22/2507 State SOR	Kilometre Stone Reinforced cement concrete M15 grade kilometre stone/local stone of standard design as per IRC:8 fixing in position including painting and printing, etc as per drawing and Technical Specification Clause 1703						
State SOR	2507 (A) (iii) 200m Stone	4.00	each	334.00	**1336.00**	**0.00**	**1336.00**
State SOR	2507 (B) (ii) Ordinary Kilometre stone	4.00	each	687.00	**2748.00**	**0.00**	**2748.00**
	Providing and fixing boundary stone/precast at a distance 100m both side of road as per spacified dimenation- 500mm long in cement concrete 1:3:6. 300mm below ground level size 200x100 including excavation of pits of size 300x300x 300 ..etc.complete	20.00	each	L.S.	**6600.00**	**0.00**	**6600.00**
	Total				**1600829.91**	**566447.20**	**1034382.71**
Add 3.50% for Contingencies and work charged estt.					56029.05	19825.65	36203.39
	Add 1% for Karmkar mandal.				16008.30	5664.47	10343.83
	Grand Total				**1672867.25**	**591937.32**	**1080929.93**
				Percentage		**35.38**	**64.62**
					16.73		

DETAILED MODEL ESTIMATE FOR CONSTRUCTION OF GRAVEL ROAD UNDER SUDOOR GRAM SAMPARK YOJANA (1.0 KM LENGTH)

Sr.no/sor Item	Particulars of Items	NO	L	B.	D	Qty.	Unit	Rate	Amount
1/1702	Chain and Compass survey for Roads	1	1			1	km	584.00	584.00
2/1705	Fly leveling for fixing temporary bench marks above 15 meter interval	1	1			1	km	438.00	438.00
3/1706	Levelling for longitudinal levels above 15 meter interval	1	1			1	km	467.20	467.20
4/1706	Levelling for cross sections below 5 meter interval	1	1			1	km	1460.00	1460.00
5/102	Jungle clearance including uprooting of rank vegetation, grass, brush wood, saplings and tree not exceeding 30cm girth and removing not exceeding 50meters outside the periphery of the area cleared. (Assuming 75% Area)	0.75	1000	12	-	9000.00	m^2	4.10	36900.00
6/2529 New Item in Distt. SOR	Setting out work (Reference pillars, referencing bench mark and temporary bench mark):- Painting/Marking of Reference/Working Bench Mark over existing permanent structure. Fixing of Reference pegs made of local rough wood for marking centre line and toe lines. Fixing of reference poles made of bamboos or jungle wood ballies etc.	1	1.0	-	-	1.00	km	7462.90	**7462.90**
7/2502 (b)	**Excavation of Soil for embankment and sub-grade either along the alignment or at quarry:** Earth work in bulk exacavation (exceeding 30cm in depth, 1.5m in width as well as 10sqm on plan) including disposal of excavated soil lead upto 20m and lift upto 1.5m, disposed soil to be levelled and nearly dressed. Dense or hard soil for Road work								
	(a) Embankment for first layer (Embankment)	1	1000.0	8.60	0.15	1290.00			
	(b) Embankment for second layer (Sub-grade)	1	1000.0	8.00	0.15	1200.00			
	(c) Embankment for third layer (Sub-grade)	1	1000.0	7.40	0.15	1110.00			
	(d) Shoulders (with sub-grade material)	1	1000.0	(6+6.80)/2-3	0.20	680.00			
	(e) Extra earth for camber or extra widening at curves	at the rate of 3% of excavated quantity				128.40			
		(f) Total				**4408.40**	m^3	81.2	**357962.08**
8/2041	Compaction of embankment with approved materials as per clause 301.4 & 301.5 of specifications for rural roads(MORD), already deposited at site, obtained from roadway cutting, excavated from drains, foundation of other structures or from borrow pit, making 4% camber and required Grade by tractor mounted grader or labourers, watering at OMC and compacted by 80 to 100 kN static weight rollers to achieve desired density minimum 97% as per table 300.1 and 300.2 of (MORD) - i/c required leads and lifts of materials etc. complete.								

Sr.no/sor Item	Particulars of Items	NO	L	B.	D	Qty.	Unit	Rate	Amount
	Embankment	1	1000.0	(8.6+8.0)/2	0.15	1245.00	m^3		
	Extra quantity in embankment @ 3%					37.35	m^3		
				Total		1282.35	m^3	**24.9**	**31930.52**
9/2042	7(e) 2042 Compaction of soil for construction of subgrade & earthen shoulders with approved material, already spreaded at site, obtained from roadway cutting, drains, foundation of other structures or barrow pits, i/c making 4% camber and required grade by tractor mounted grader or labourers, watering at OMC and compacted by 80 to 100 kN static weight rollers to achieve desired density minimum 100% of the MDD as per IS:2720								
	Sub-grade watering and compaction	1.00	1000.00	(6.8+8.0)/2	0.30	2220.00	m^3		
	Watering and Compaction of Shoulders	1.00	1000.00	(6.0+6.8)/2-3	0.2	680.00	m^3		
	Watering and Compaction of extra earth for camber and extra widening at curves @ 3%					87.00	m^3		
				Total		2987.00	m^3	27.00	80649.00

If the sub-grade material or embankment material is to be transported from a quarry away from road alignment, the following items shall be given depending on the quantity of material to be transported.

If all material for embankment and sub-grade transported.

10/1904	Transportation of collected soil (Taken average lead- 5km)	as per item 7(f) above	4408.40	m3	126.18	**556251.91**
11/1818(a)	Stacking without boxing at site	as per item 7(f) above	4408.40	m3	10.50	**46288.20**
12/2003	Spreading of soil	as per item 7(f) above	4408.40	m3	41.00	**180744.40**

Construction of Gravel Base and Surface Course

	Construction of base and surface course Base and Surface Course material as per Clause 2.2.2.2, 2.2.2.3, 2.2.3.1 and 2.2.3.2 of IRS:SP:77-2008.	1	1000.00	3.00	0.20	600.00	m^3	0.00	**0.00**
13/New Item 2524 Distt. SOR	Collection/ Excavation of Gravel material meeting the requirements of hard moorum as detailed in RES SOR Chapter 3 Notes Clause 3.2 (c) i/c stacking and all leads and lifts up to	60% of total quantity				**360.00**	m^3	**130.8**	**47088.00**
14/New item 2525 Distt. SOR	Collection of of River borne material (RBM) (any mixture of sand and gravel) i/c boxing and all leads and lifts up to loading point at quarry.	40% of total quantity				240.00	m^3	**114.3**	**27432.00**
15/1904 (04)	Transportation of material in item no. 10 above average lead 8.0 km	Quantity same as 13				360.00	m^3	169.60	**61056.00**
16/1904 (04)	Transportation of material in item no. 11 above average lead 8.0 km	Quantity same as 14				240.00	m^3	169.60	**40704.00**
17/1818	Stacking without boxing	Total Quantity of Gravel				600.00	m^3	25.60	**15360.00**
18/2527 State SOR	Spreading of material, mixing by mix in place method by manual means or by Tractor mount disk herrows to meet the requirements of Grading and Plasticity fiven in clause 2.2.2.2,2.2.2.3,2.2.3.1 and 2.2.3.2 of IRC:SP:77-2008 and grading by tractor mount grader to get the required profile.	Quantity of Item No. 13 + 14				600.00	m^3	80.50	**48300.00**
19/2528	Rolling & Compaction of granular sub-base of well graded material, spreading in uniform layers with tractor mounted grader on prepared surface, mixing by mix in place, sprinkling of water till OMC, and compacting with smooth wheel rollers of 80 to 100 kN static weight to achieve the desired density, complete as per Technical Specification Clause 401 of	Quantity of Item No. 13 + 14				600.00	m^3	61.50	**36900.00**

Sr.no/sor Item	Particulars of Items	NO	L	B.	D	Qty.	Unit	Rate	Amount
20/2033(a)	**Irrigation channel crossings:** Providing and laying reinforced cement concrete pipes N.P.2 for culverts including pointing ends, and fixing collar with cement mortar 1:2 complete. 300mm dia	2	10.00	-	-	20.00	Rm	311.70	**6234.00**
21/2501 State SOR	Construction of Informatory Board in cement concrete/Brick Masonry as the case may be. As per CMGSY Drawing.	1				1.00	each	5933.70	**5933.70**
22/2507 State SOR	Kilometre Stone Reinforced cement concrete M15 grade kilometre stone/local stone of standard design as per IRC:8 fixing in position including painting and printing, etc as per drawing and Technical Specification Clause 1703								
State SOR	2507 (A) (iii) 200m Stone	4	-	-	-	4.00	each	334.00	**1336.00**
State SOR	2507 (B) (ii) Ordinary Kilometre stone	4	-	-	-	4.00	each	687.00	**2748.00**
	Providing and fixing boundary stone/precast at a distance 100m both side of road as per spacified dimenation- 500mm long in cement concrete 1:3:6. 300mm below ground level size 200x100 including excavation of pits of size 300x300x 300 ..etc.complete	20	-	-	-	20.00	each	L.S.	**6600.00**
					Total				**1600829.91**
	Add 3.50% for Contingencies and work charged estt.								56029.05
	Add 1% for Karmkar mandal.								16008.30
	Grand Total								**1672867.25**
								Percentage	
		Say Rs. (in Lakh)							**16.73**

Part - 2 Estimate for Maintenance of Gravel Roads under Sudoor Gram Sampark and Khet Sadak Yojana							
Model Estimate for 1 km length							
S. no	SOR Item No.	Item	Unit	Rate	Amount	NREGS	
						Labour Amount	Materia Amount
1	101	Site clearance, cutting grass, raking into heaps and removing off the premises					
		Removal of vegetations from side slopes (Note:- This activity is generally taken up after rains. Slope should be free from vegetation of height beyond above 15 to 20 cm. Shoulder should be totally free from vegetation.) 50% quantity	sqm	1.60	2160	2160	0
2	2506	Earth work in rough excavation, filling excavated earth into depressions on banking as directed, top surface to be levelled and neatly dressed.					
		(b) Dense or Hard Soil					
		Filling of rain cuts and depressions etc.	cum	89.60	8960	8960	0
3		Replanishment of shoulder material	cum	89.60	3360	3360	0
4		Maintaining of side drains	cum	89.60	6720	6720	0
5	2049	Construction of gravel surface course by naturally occurred gravel or river born material or by crushed metal or mixture of two or more in appropriate grading confirming to clause .2.2.2, plasticity characteristics of fines as per clause 2.2.3 of IRC:SP:77-2008, having Liquid Limit less than 25 and Plasticity index should range between 6-15, mixing by mix in place method on prepared surface, spreading in uniform layers with tractor mounted grader atering at OMC and compacting with roller of 80-100 kN static weight to achieve density tleast 100% of the MDD as per IS:2720 (Part-7), as per specifications for rural roads clause 402, i/c all leads and lifts etc. complete.	cum	344.70	#REF!	0	#REF!
6	1335	Painting with enamel paint, brushing, interior to give an even shade I/n cleaning the surface of ll dirt dust and other foreign matter on steel and other metal surfaces. (c) 1 coats					
		For 200 M Stone, KM Stone and Sign Board	sqm	23.50	235	0	235
7	2504 (Amend. No. 1)	Printing New Letters and Figures of any shade					
		Printing new letter and figures of any shade with synthetic enamel paint black or any other approved colour to give an even shade as per drawings and Technical Specification Clause 1701					
		(i) Hindi (Matras commas and the like not to be measured and paid for. Half letters shall be counted as half only)					

S. no	SOR Item No.	Item	Unit	Rate	Amount	NREGS	
						Labour Amount	Materia Amount
		For all road stones and sign board etc. (5 cm height letter)	per cm height per letter	0.31	310	0	310
		TOTAL (For 2 Years)			**69343**	**42400**	**26943**
		Percentage PART-2				**61**	**39**

Part - 2 Estimate for Maintenance of Gravel Roads under Sudoor Gram Sampark and Khet Sadak Yojana

Model Estimate for 1 km length

S. no	SOR Item No.	Item	No	Length (m)	Width	Depth	Quantity	Unit	Rate	Amount ₹
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	101	Site clearance, cutting grass, raking into heaps and removing off the premises								
		Removal of vegetations from side slopes (Note:- This activity is generally taken up after rains. Slope should be free from vegetation of height beyond above 15 to 20 cm. Shoulder should be totally free from vegetation.) 50%	2x0.5	1000	(1.2+1.5)/2		1350	sqm	1.60	2160
2	2506	Earth work in rough excavation, filling excavated earth into depressions on banking as directed, top surface to be levelled and neatly dressed.								
		(b) Dense or Hard Soil								
		Filling of rain cuts and depressions etc.		LS			100	cum	89.60	8960
3		Replanishment of shoulder material	2x0.5	1000	1.5	(0+0.05)/2	37.5	cum	89.60	3360
4		Maintaining of side drains		LS			75	cum	89.60	6720
5	2049	Construction of gravel surface course by naturally occurred gravel or river born material or by crushed metal or mixture of two or more in appropriate grading confirming to clause .2.2.2, plasticity characteristics of fines as per clause 2.2.3 of IRC:SP:77-2008, having Liquid Limit less than 25 and Plasticity index should range between 6-15, mixing by mix in place method on prepared surface, spreading in uniform layers with tractor mounted grader atering at OMC and compacting with roller of 80-100 kN static weight to achieve density tleast 100% of the MDD as per IS:2720 (Part-7), as per specifications for rural roads clause 402 i/c all	1x0.5	#REF!	3.0	0.025	#REF!	cum	344.70	#REF!
6	1335	Painting with enamel paint, brushing, interior to give an even shade I/n cleaning the surface of ll dirt dust and other foreign matter on steel and other metal surfaces.								
		For 200 M Stone, KM Stone and Sign Board		LS			10	sqm	23.50	235
7	2504 (Amend. No. 1)	Printing New Letters and Figures of any shade								
		Printing new letter and figures of any shade with synthetic enamel paint black or any other approved colour to give an even shade as per drawings and Technical Specification Clause 1701								
		(i) Hindi (Matras commas and the like not to be measured and paid for. Half letters shall be counted as half only)								
		For all road stones and sign board etc. (5 cm height letter)	200				1000	per cm height per letter	0.31	310
		TOTAL (For 2 Years)								**69343**
		Percentage PART-2								

TYPICAL CROSS SECTION OF ROAD
UNDER SUDOOR GRAM SAMPARK And KHET SADAK YOJANA

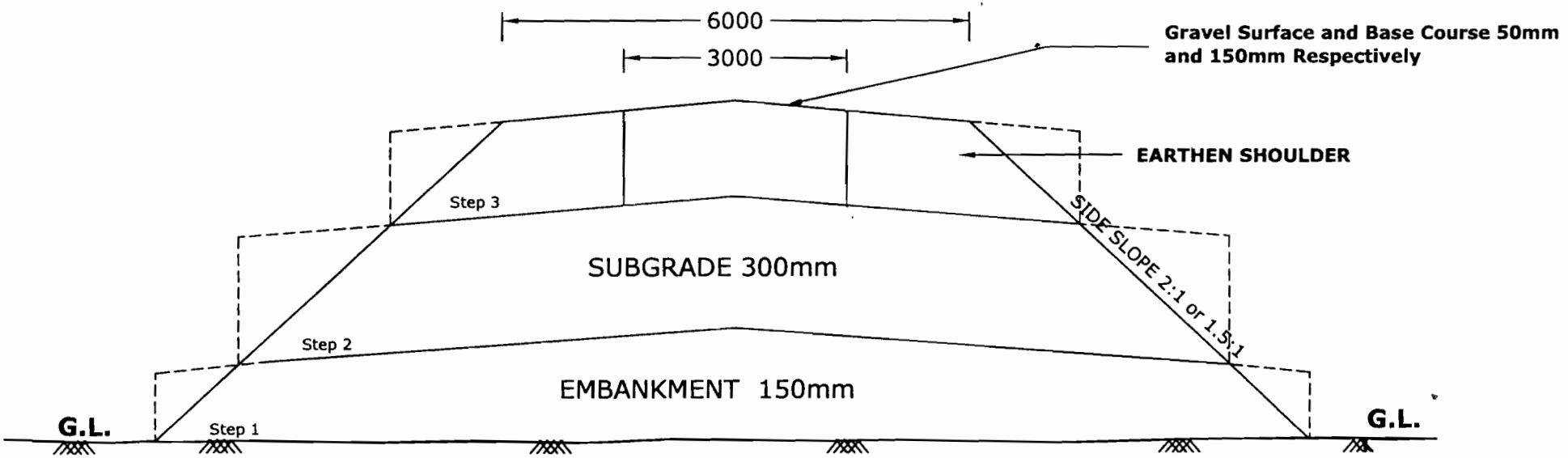

(ALL DIMENSIONS IN MM, DRAWING NOT TO SCALE)

(114)

म.प्र. शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्रमांक/9541/ MGNREGS-MP/NR-3/SE-I/2013 भोपाल, दिनांकः 12 /12/2013

प्रति,

कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अति.जिला कार्यक्रम समन्वयक
महात्मा गांधी नरेगा
जिला समस्त (म.प्र)

विषयः– महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में अभिसरण के तहत "आंगनवाड़ी भवन निर्माण" हेतु दिशा–निर्देश।

संदर्भः– परिषद का पत्र पृ.क्र. 8973/MGNREGS-MP/NR-3/SE-I/2013, दि. 14.11.2013।

प्रदेश में महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में स्कूल जाने के पूर्व, छोटे बच्चों को स्कूल पूर्व शिक्षा प्रदाय किये जाने, पोषण आहार वितरित किये जाने, शारीरिक एवं बौद्धिक विकास हेतु विभिन्न गतिविधियॉ आयोजित करने एवं स्वास्थ्य परीक्षण कराये जाने हेतु आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित किये जाते है। सामान्यतः आंगनवाड़ी केन्द्रों का संचालन स्वयं के भवन नहीं होने से किराये के भवनों में होता है, जिनमें उचित स्वच्छता एवं सुविधा का अभाव होता है। इसका प्रभाव बच्चों के पालकों विशेष रूप से माताओं पर पड़ता है एवं वह ग्रामीण विकास के कार्यों में पूर्ण रूप से अपनी सहभागिता नहीं कर पाती हैं, जिसके परिणामस्वरूप उनके खेतीहर कार्य प्रभावित होते है जो उनकी स्थायी आजीविका को सुदृढ़ करने के लिये आवश्यक है।

भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय एवं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा महात्मा गांधी नरेगा एवं महिला बाल विकास विभाग के अभिसरण से पक्के आंगनवाड़ी भवन बनाये जाने हेतु संयुक्त हस्ताक्षर से अर्द्ध शासकीय पत्र क्र. 19–4/2008–CD.I दि. 29-01-2013 जारी किया गया है। भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की अनुसूची–1 के पैरा–1 ख में खण्ड (XV) के पश्चात "(XV क) आंगनवाड़ी केन्द्रों का संनिर्माण" अंतः स्थापित किये जाने का लेख है। इसके अनुसार योजनातंर्गत किए जाने वाले कार्यों में वृद्धि करते हुए आंगनवाड़ी केन्द्र को निर्मित किए जाने हेतु भारत के राजपत्र में अधिसूचना S.O. 2754 (E) दिनांक 21.11.2012 को जारी की गई है।

2. भारत सरकार द्वारा आंगनवाड़ी भवन निर्माण हेतु इकाई लागत राशि रू. 4.5 लाख निर्धारित की गई है। जबकि भवन के चारों ओर सुरक्षा हेतु बाउन्ड्री वाल एवं पीने के पानी की व्यवस्था हेतु हेण्ड पंप की आवश्यकता प्रतिपादित हुई है। राज्य स्तर पर आंगनवाड़ी भवन के निर्माण हेतु ग्रामीण विकास विभाग की दर अनुसूची अनुसार तैयार किये गए प्राक्कलन अनुसार आंगनवाड़ी केन्द्र की प्राक्कलित लागत रू. 5.83 लाख एवं भवन की सुरक्षा हेतु बाउन्ड्रीवाल तथा पीने के पानी हेतु

हेंडपम्प की स्थापना के कार्य सहित इकाई लागत रू. 7.80 लाख निर्धारित की गई है। म.प्र.शासन वित्त विभाग द्वारा 13वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के संबंध में उच्च स्तरीय समिति की छटवी बैठक का कार्यवाही विवरण, पत्र क. एफ 11–2/2010/आनीविइ/वार. दिनांक 21.03.2013 से जारी किया गया है, जिसके एजेण्डा बिन्दु क. 4 में महिला एवं बाल विकास विभाग अंतर्गत आंगनवाड़ी केन्द्रों की इकाई लागत रू. 5.83 लाख एवं बाउन्ड्रीवाल व हेंडपम्प की स्थापना के कार्य सहित रू. 7.80 लाख यूनिट लागत तक राशि स्वीकृत कर निर्माण कार्य कराये जाने के निर्देश दिये गए है। यही इकाई लागत महात्मा गांधी नरेगा के अभिसरण से निर्मित होने वाली आंगनवाड़ी केन्द्रों हेतु लागू की जाती है।

3. कार्यक्षेत्र :– प्रदेश के समस्त जिलों के 313 विकासखण्डों के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायतें जहां पक्के आंगनवाड़ी भवन नहीं है या किराये के भवनों में आंगनवाड़ी संचालित हो रही है।

डिजाईन व मार्गदर्शी प्राक्कलन :– आंगनवाड़ी भवन की मय बाउन्ड्रीवाल सहित डिजाईन व मार्गदर्शी प्राक्कलन संलग्न है। वास्तविक प्राक्कलन स्थानीय आवश्यकतानुसार व भूमि के स्ट्रेटा के दृष्टिगत तैयार किया जाना होगा जो निर्धारित इकाई लागत की सीमा में रहेगा। ग्रामीण विकास विभाग का मनरेगा के कार्यों हेतु लागू जिला दर अनुसूची के अनुसार प्राक्कलन तैयार किया जावेगा। आंगनवाड़ी भवन में एक हॉल, किचिन, स्टोर, वराण्डा एवं टॉयलेट होगा, जिसका कुल बिल्टअप एरिया 625 वर्ग फीट होगा। 40X50 फीट एरिया में बाउन्ड्रीवाल बनाई जावेगी जिसके अन्दर ही हेंड़पम्प लगाया जायेगा। स्थानीय परिस्थितियों में जगह की उपलब्धता कम होने पर आंगनवाड़ी भवन में प्रस्तावित सभी कक्षों व सुविधाओं को निर्धारित आकार/साईज में रखते हुये डिजाईन में परिवर्तन किया जा सकेगा।

4. अभिसरण :– आंगनवाड़ी केन्द्रों का निर्माण मनरेगा की राशि के साथ अभिसरण से किया जाना है। अभिसरण के मदों का विवरण निम्न तालिका के अनुसार रहेगा :–

आंगनवाड़ी भवन का मनरेगा व अन्य विभागों/कार्यक्रमों के अभिसरण से निर्माण वित्तीय व्यवस्था का विवरण (परिमार्जित वित्तीय व्यवस्था–संयुक्त हस्ताक्षर से जारी परिपत्र दि. 27.01.2014 में देखें)

क्र	कार्य विवरण	इकाई लागत	अभिसरण मद			विशेष
			मनरेगा	बी.आर.जी.एफ./आई.ए.पी. वाले 30 जिले	महिला एवं बाल विकास नॉन बी.आर.जी.एफ. वाले 20 जिले	
1	2	3	4	5	6	7
1	आंगनवाड़ी भवन मय बाउन्ड्री वाल व हेंडपम्प की स्थापना।	रू. 7.80 लाख	रू. 4.50 लाख, आंगनवाड़ी भवन निर्माण एवं बाउन्ड्रीवाल निर्माण में मजदूरी एवं सामग्री।	रू. 3.30 लाख, अतिरिक्त सामग्री मद एवं ट्यूबवेल का कार्य।	रू. 3.30 लाख, अतिरिक्त सामग्री मद एवं ट्यूबवेल का कार्य।	आंगनवाड़ी भवन निर्माण कार्य सामग्री मूलक है अतः मजदूरी सामग्री अनुपात 60:40 ग्राम पंचायत स्तर पर संधारित किया जाना होगा।

2	आंगनवाड़ी भवन	रू. 5.83 लाख	रू. 4.50 लाख, आंगनवाड़ी भवन निर्माण में मजदूरी एवं सामग्री।	रू. 1.33 लाख, अतिरिक्त सामग्री मद।	रू. 1.33 लाख, अतिरिक्त सामग्री मद।	

5. कार्य का चयन :–

i. महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यालय द्वारा आंगनवाड़ी भवन के निर्माण हेतु प्रस्ताव जनपदवार, ग्राम पंचायतवार जिला पंचायत को निम्न प्रपत्र में प्रस्ताव भेजे जावेगें :–

क्र.	ग्राम/ग्राम पंचायत का नाम जहां आंगनवाडी भवन निर्मित किया जाना है।	जनपद पंचायत का नाम	आंगनवाडी भवन निर्माण हेतु चिन्हित स्थल व साइज वर्ग फुट में	चिन्हित स्थल में पूर्व से बाउन्ड्री वाल एवं हेण्ड पंप की सुविधा है या नहीं	गैर बीआरजीएफ/आईएपी जिला होने पर अभिसरण की राशि दिये जाने की सहमति
योग					

जिला पंचायत द्वारा उपरोक्तानुसार प्राप्त आगंनवाडी केन्द्रो की सूची/प्रस्ताव संबंधित जनपद पंचायत के माध्यम से ग्राम पंचायतों को भेजे जावेगें।

ii. ग्राम पंचायत द्वारा 40 X 50 वर्ग फुट शासकीय भूमि की उपलब्धता आंगनवाड़ी भवन मय बाउन्ड्रीवाल व हेंडपम्प की स्थापना हेतु सुनिश्चित की जावेगी। यदि आंगनवाड़ी भवन किसी स्कूल भवन के प्रांगण में जहां बाउन्ड्रीवाल व हेंडपम्प की व्यवस्था पूर्व से हैं वहां 25 X 25 वर्ग फुट भूमि चिन्हित की जावेगी।

iii. भूमि के चिन्हाकंन उपरान्त उपयंत्री द्वारा स्थल निरीक्षण कर स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार बिन्दु क.(ii) अनुसार भूमि की उपलब्धता के दृष्टिगत कार्य का प्राक्कलन तैयार किया जावेगा। प्राक्कलन में मनरेगा से प्रस्तावित व्यय राशि रू. 4.50 लाख भाग एक कहलावेगा एवं शेष राशि रू. 3.30 लाख अथवा रू. 1.33 लाख जैसी भी स्थिति हो, बी.आर.जी.एफ./आई.ए.पी. अथवा महिला बाल विकास मद प्राक्कलन का भाग दो कहलावेगा।

iv. आंगनवाड़ी भवन के प्रस्ताव को ग्राम सभा के समक्ष प्रस्तुत करते समय मनरेगा के प्रावधान अनुसार त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं से अनुमोदन प्राप्त कर कार्य शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट एवं वार्षिक कार्य योजना में शामिल किया जावेगा।

6. कार्य की स्वीकृतियॉ :– उपयंत्री द्वारा कार्य के प्राक्कलन के साथ तकनीकी प्रतिवेदन तैयार किया जावेगा। जिसमें कार्य की उपयोगिता एवं कार्य से होने वाला लाभ यथा आंगनवाडी केन्द्र में किस संवर्ग के कितने परिवारों के बच्चे आवेगें, की संख्या एवं उन परिवारों द्वारा बच्चों के आंगनवाडी केन्द्र में रहने से बचत होने वाले देखभाल के समय को अन्य आजीविका सुदृढ़ की गतिविधियों में व्यतीत करने से होने वाले संभावित लाभ के आंकलन का उल्लेख किया जावे। इस प्रकार तैयार किये गये तकनीकी प्रतिवेदन सहित कार्य का प्राकलन तकनीकी स्वीकृति जारी करने हेतु सहायक यंत्री के माध्यम से कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा को भेजा जावेगा। कार्यपालन यंत्री द्वारा अभिसरण के मदों व राशि का उल्लेख करते हुए नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति जारी की जावेगी।

महात्मा गांधी नरेगा की राशि से होने वाले अभिसरण के अन्य मदों की राशि की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए जिला कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की जावेगी एवं अभिसरणकर्ता विभाग/कार्यक्रम के जिला प्रमुखों सहित ग्राम पंचायत व अन्य संबंधितों को प्रतिलिपि दी जावेगी।

7. योजना एवं कियान्वयन में महात्मा गांधी NREGA की प्रकिया का अनुपालन : आंगनवाड़ी भवन के निर्माण में महात्मा गांधी NREGA की राशि का उपयोग होना है, अतः इसमें योजना की प्रकिया का अनुपालन ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी नवीन निर्देशों के दृष्टिगत विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्र. 2 दिनांक 20.02.2013 के अनुसार किया जाएगा एवं निम्न मार्गदर्शी बिन्दुओं का भी पालन किया जावे :–

- इसके निर्माण में अकुशल श्रम का कार्य, योजनान्तर्गत जॉबकार्डधारी परिवारों से कराया जाएगा तथा ठेका पद्धति प्रतिबंधित रहेगी।
- मानव श्रम के बदले मशीनों (खुदाई कार्य में प्रयुक्त होने वाली JCB) का प्रयोग प्रतिबंधित है।
- अकुशल एवं कुशल/अर्द्धकुशल श्रमिकों हेतु जारी किये गए ई–मस्टर मस्टर रोल संधारित किये जावेंगे तथा कार्य के दौरान उपस्थिति हेतु स्थल पर ही रखे जावेंगे।
- सामग्री का क्रय पंचायत में लागू म.प्र. भण्डार क्रय नियमानुसार पारदर्शी प्रक्रिया अपनाकर किया जावेगा।
- ई.एफ.एम.एस. के माध्यम से मजदूरी एवं सामग्री का भुगतान किया जावेगा।
- रोजगार सृजन का पूर्ण रिकार्ड रखा जावेगा।
- आंगनवाड़ी निर्माण कार्य सामग्री मूलक होने से इस कार्य में मजदूरी सामग्री अनुपात सामान्यतः 15:85 अतः मनरेगा मद से रू. 4.50 लाख व्यय किये जाने की स्थिति में ग्राम पंचायत स्तर पर निर्धारित अनुपात 60:40 संधारित किया जाना होगा।

8. लेखा संधारण

- अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप अंकेक्षण हेतु लेखे उपलब्ध रखे जावे।
- कियान्वयन एजेन्सी द्वारा प्रत्येक कार्य का ग्राम सभा में सामाजिक अंकेक्षण कराया जावे।
- अभिसरण की राशि का उपयोग एवं लेखा संधारण कार्य संबंधित विभाग एवं कार्यक्रम के निर्देशों का पालन करते हुए किया जावे।

9. मूल्यांकन एवं मजदूरी भुगतान :

a. कार्यों का मूल्यांकन संबंधित सेक्टर के उपयंत्री द्वारा साप्ताहिक मस्टर रोल की समाप्ति के 03 दिवस के अन्दर अनिवार्य रूप से किया जावेगा।
b. जाबकार्डधारी मजदूरों को उनके द्वारा किये गये कार्य की मजदूरी का भुगतान 15 दिवस में ई.एफ.एम.एस. के माध्यम से उनके बैंक/पोस्ट ऑफिस के खातों में निर्धारित प्रकिया का पालन करते हुए जनपद पंचायत स्तर से एफ.टी.ओ. जारी कर किया जावेगा।

10. निरीक्षण, गुणवत्ता नियंत्रण एवं मॉनीटरिंग :

a) कार्यो का संपादन तकनीकी मापदण्डों के अनुरूप गुणवत्तापूर्वक कराया जावे।
b) नींव की खुदाई के बाद, कार्य की प्लन्थ (Plinth) के उपयंत्री द्वारा माप पुस्तिका में मूल्यांकन किये जाने के बाद सहायक यंत्री द्वारा मूल्यांकन सत्यापन एवं आगे की कार्यवाही हेतु मार्गदर्शन दिए जाने के पश्चात ही आगे का कार्य प्रारंभ किया जावे।
c) आर.सी.सी के कार्य संपादन के पूर्व सहायक यंत्री द्वारा लोहे की बंधाई कार्य अनिवार्य रूप से चेक किया जावे एवं सीमेन्ट कांक्रीट ढ़लाई के समय उपयंत्री के अतिरिक्त स्वयं भी स्थल पर अनिवार्यतः उपस्थित रहे।
d) सीमेन्ट कांक्रीट की Compressive strength हेतु प्रयोगशाला परीक्षण किया जावे। IS–516 के अनुसार सीमेन्ट कांक्रीट के कार्य के दिन 6 क्यूब तैयार किये जावे जिनमें से 3 का परीक्षण 7वें दिवस तथा 3 का परीक्षण 28 वें दिवस किया जावे।
e) IS-1199 के अनुसार सीमेन्ट कांक्रीट की Workability हेतु प्रत्येक 3 Cum सीमेन्ट कांक्रीट की मात्रा हेतु प्रयोगशाला में Slump test किया जावे।
f) सामग्री परीक्षण, मनरेगा अंतर्गत स्थापित जिला स्तरीय क्वालिटी कंट्रोल प्रयोगशालाओं में कराया जावे। आवश्यकता पड़ने पर म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण की जिले में स्थित प्रयोगशालाओं में भी सामग्री परीक्षण कराया जा सकता है।
g) कॉलम एवं नींव की सीमेन्ट कांक्रीट ढ़लाई के समय Needle Vibrator व छत की ढ़लाई के समय Plate Vibrator से काम्पेक्शन सुनिश्चित किया जावे।
h) छत की ढ़लाई के समय उपयुक्त स्लोप का ध्यान रखा जावे ताकि किसी भी स्थिति छत में पानी का जमाव न हो। कार्य की गुणवत्ता के संबंध में सहायक यंत्री द्वारा साइट आर्डर बुक में टीप अंकित की जावेगी।
i) भवन के बाह्य दरवाजे व खिड़कियों के छज्जा के स्लोप एवं ड्रिप कोर्स का ध्यान रखा जावे। ताकि वर्षा के पानी का जमाव न हो सके।
j) कार्यो का भौतिक सत्यापन ग्राम स्तरीय सतर्कता एवं मूल्यांकन समिति से कराया जावे।
k) जिला स्तर से कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण सेवा द्वारा आंगनवाड़ी भवन के 10 % कार्यों का तथा नियुक्त राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय क्वालिटी मानीटर द्वारा समय–समय पर निरीक्षण किया जा सकेगा।
l) विभाग के आदेश क्र. 3665/22/वि–7/ग्रा.यां.से./06 दि. 22.06.2006 के तहत जारी निर्देशों के अनुसार प्रत्येक कार्य का एक्जिट प्रोटोकाल कराया जावे।

जिन जिलों में आंगनवाड़ी भवन की स्वीकृतियाँ कण्डिका 4 में दर्शित मार्गदर्शी डिजाईन एवं अनुमोदित इकाई लागत के अनुरूप जारी नहीं की गई वह पुनरीक्षित तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृतियाँ जारी करेंगें जिससे सभी जिलों में आंगनवाड़ी भवनों का निर्माण एकरूपता से हो सके। पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृतियां जारी करते समय कण्डिका 6 में दर्शाये अनुसार तकनीकी प्रतिवेदन तैयार कर नस्ती में संधारित किये जाने का ध्यान रखा जावे।

उपरोक्त निर्देशों का पालन करते हुए आंगनवाड़ी भवनों का निर्माण कराया जावे।

(डॉ.अरूणा शर्मा)
अपर मुख्य सचिव
म.प्र. शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ. क्र./ 9542 /MGNREGS-MP/NR-3/SE-I/2013 भोपाल, दिनांक 20/12/2013

प्रतिलिपि :–

1. संचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
2. प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय भोपाल।
3. आयुक्त, पंचायत राज संचालनालय, तिलहन संघ भवन भोपाल।
4. आयुक्त, म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद, भोपाल।
5. प्रमुख अभियंता, ग्रा.या.सेवा, विकास आयुक्त कार्यालय भोपाल।
6. संचालक, महिला एवं बाल विकास संचालनालय, अरेरा हिल्स, भोपाल।
7. समस्त संभागायुक्त मध्यप्रदेश।
8. समस्त अधीक्षण यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा मंडल मध्यप्रदेश ।
9. समस्त कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा मध्यप्रदेश ।
10. समस्त कार्यक्रम अधिकारी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मध्यप्रदेश। कृपया अपने स्तर से सहायक यंत्री/उपयंत्रियों को इस परिपत्र की प्रति उपलब्ध करावें।

---

11. विशेष सहायक, मान. मंत्रीजी, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।
12. निज सहायक, मान. राज्य मंत्रीजी, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।
13. स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव कार्यालय, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।

अपर मुख्य सचिव
म.प्र. शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

मध्य प्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
तथा
महिला एवं बाल विकास विभाग

क्रमांक/662/MGNREGS-MP/NR-3/SE-I/2014, भोपाल, दिनांक 21/01/ 2014

प्रति,

- **कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक जिला (समस्त)**
- **मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक, जिला पंचायत (समस्त)**
  महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र.
- **जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास (समस्त जिला) म.प्र.**

विषय :– महात्मा गांधी नरेगा, बीआरजीएफ/आईएपी तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के अभिसरण से आंगनवाडी भवन निर्माण, खेल मैदान विकास के कार्य कराये जाने में गति प्रदान करने हेतु।

संदर्भ :– 1. ग्रामीण विकास विभाग का पत्र क्र. 9541/MGNREGS-MP/NR-3/SE-I/2013, भोपाल दि. 12.12.2013।
2.विभाग का क्र. 9543/ MGNREGS-MP/NR-3/2013, भोपाल दि. 12.12.2013।

cccccccc

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के विषयांतर्गत संदर्भित परिपत्रों द्वारा आंगनवाडी भवन निर्माण एवं खेल मैदान के विकास हेतु ग्रामीण क्रीडांगण उपयोजना (संशोधित) के विस्तृत निर्देश जारी किये गये है। राज्य शासन के दृष्टिपत्र 2018 के अध्याय 2 – शिक्षा बिन्दु क्र. 2.I.4.4 ''आंगनवाडी एवं प्राथमिक विद्यालयों में खेल अधोसंरचना का विस्तार करना'' अध्याय 11 – ग्रामीण आवास रहवास विकास क्र. 11.2, ''नागरिक अधोसरंचना'' में सुधार के कार्य कराये जाने का लेख हैं।

2. राज्य शासन के दृष्टिपत्र के उक्त महत्वपूर्ण प्रावधानों की पूर्ति हेतु पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के संयुक्त हस्ताक्षर से यह पत्र जारी किया जा रहा है। जिससे दोनों विभागों के मैदानी अधिकारी/कर्मचारी उक्त संदर्भित परिपत्रों में दिये गये निर्देशानुसार त्वरित कार्यवाही संपादित करे। आगामी वित्तीय वर्ष 2014–15 में जिन ग्रामों में आंगनवाडी भवनों का निर्माण होना है एवं जहां स्थल की पर्याप्त उपलब्धता है, वहां आंगनवाडी भवन के साथ खेल मैदान का प्रस्ताव

भी महिला एवं बाल विकास के जिला अधिकारी द्वारा जिला पंचायत के माध्यम से संबंधित ग्राम पंचायत की आगामी वर्ष 2014–15 की वार्षिक कार्ययोजना में शामिल कराये जाने हेतु 20 जनवरी 2014 के पूर्व सौपे जाने की कार्यवाही की जावे।

3. **अभिसरण** : पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी पत्र क्र. 9541 दि. 12.12.2013 के बिन्दु क्र. 4 में मनरेगा व अन्य विभागों कार्यक्रमों के अभिसरण से आंगनवाडी निर्माण हेतु बतलाई गई वित्तीय व्यवस्था में आंशिक संशोधन किया गया है। संशोधित वित्तीय व्यवस्था निम्न अनुसार रहेगी :

3.1 **बीआरजीएफ/आईएपी 30 जिले** : बालाघाट, डिण्डौरी, कटनी, मण्डला, सिवनी, बड़वानी, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खण्डवा, बुरहानपुर, खरगौन, बैतूल, राजगढ़, छतरपुर, दमोह, पन्ना, टीकमगढ़, गुना, अशोकनगर, श्योपुर, शिवपुरी, रीवा, सतना, शहडोल, अनूपपुर, सीधी, सिंगरौली, उमरिया छिन्दवाडा जिलों में मनरेगा तथा बीआरजीएफ/आईएपी मद की राशि के अभिसरण से आंगनवाडी निर्माण हेतु वित्तीय व्यवस्था का विवरण तालिका–1 अनुसार रहेगा :

तालिका –1

क्र	कार्य विवरण	इकाई लागत की सीमा	अभिसरण मद		
			मनरेगा अंश	बी.आर.जी.एफ. या आई.ए.पी. का अंश वाले 30 जिले	विशेष
1	2	3	4	5	6
1	आंगनवाड़ी भवन मय बाउन्ड्री वाल व हैण्डपम्प की स्थापना।	रूपये 7.80 लाख	रूपये 1.80 लाख, मजदूरी सामग्री अनुपात 60:40 की सीमा में	रूपये 6 लाख, अतिरिक्त सामग्री मद एवं ट्यूबवेल सहित हैण्डपंप स्थापना का कार्य।	ऐसे स्थल जहां पूर्व से सुरक्षा हेतु वाउन्ड्री वाल एवं पीने के पानी हेतु हैण्ड पंप नहीं है।
2	आंगनवाड़ी भवन एवं वाउन्ड्री वाल	रूपये 6.55 लाख	रूपये 1.80 लाख, मजदूरी सामग्री अनुपात 60:40 की सीमा में	रूपये 4.75 लाख, अतिरिक्त सामग्री मद।	ऐसे स्थल जहां पूर्व से सुरक्षा हेतु वाउन्ड्री वाल नहीं है परन्तु पीने के पानी हेतु हैण्ड पंप उपलब्ध है।
3	आंगनवाड़ी भवन व पीने के पानी हेतु हैण्डपंप	रूपये 6.70 लाख	रूपये 1.80 लाख मजदूरी सामग्री अनुपात 60:40 की सीमा में	रूपये 4.90 लाख, आंगनवाडी भवन हेतु अतिरिक्त सामग्री मद एवं हैण्डपंप का पूर्ण कार्य	चयनित स्थल स्कूल/विद्यालय परिसर में हैं अथवा किसी शासकीय कार्यालय के परिसर में है परन्तु पीने के पानी हेतु हैण्ड पंप उपलब्ध **नहीं**

					है।
4	आंगनवाडी भवन	रूपये 5.43 लाख	रूपये 1.80 लाख, मजदूरी सामग्री अनुपात 60:40 की सीमा में	रूपये 3.63 लाख	चयनित स्थल स्कूल/विद्यालय परिसर में हैं अथवा किसी शासकीय कार्यालय के परिसर में है तथा वाउन्ड्री वाल एवं पीने के पानी हेतु हैण्ड पंप उपलब्ध है।

3.2 **नॉन बीआरजीएफ/आईएपी 21 जिले** :

3.2.1 प्रदेश में नॉन बीआरजीएफ/आईएपी के जिले क्रमशः भोपाल, ग्वालियर, शाजापुर, आगर, हरदा, मंदसौर, सागर (वर्ष 2013–14 में 13 वें वित्त आयोग अंतर्गत सम्मिलित 07 जिलें), विदिशा, सीहोर, भिण्ड, मुरैना, रायसेन, दतिया, इंदौर, देवास, नीमच, रतलाम, उज्जैन, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद (वर्ष 2013–14 में आईसीडीएस मिशन अंतर्गत सम्मिलित 14 जिलें),

3.2.2 महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा उपरोक्तानुसार 13वें वित्त आयोग के जिलों हेतु रू. 7.80 लाख प्रति भवन के मान से तथा आईसीडीएस मिशन के जिलों हेतु रू. 4.50 लाख प्रति भवन के मान से राशि उपलब्ध करायी जायेगी।

मनरेगा तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के अभिसरण से आंगनवाडी निर्माण हेतु वित्तीय व्यवस्था का विवरण तालिका–2 अनुसार रहेगा :

तालिका – 2

क्र	कार्य विवरण	इकाई लागत की सीमा	अभिसरण मद		
			मनरेगा अंश	महिला एवं बाल विकास नॉन बी.आर.जी.एफ. वाले 21 जिले	विशेष
1	2	3	4	5	6
1	आंगनवाड़ी भवन मय बाउन्ड्री वाल व हैण्डपम्प की स्थापना।	रूपये 7.80 लाख	रूपये 1.80 लाख, मजदूरी सामग्री अनुपात 60:40 की सीमा में	13 वें वित्त आयोग के जिलों में रूपये 6 लाख तथा आईसीडीएस मिशन के जिलों में रू. राशि रू 4.5 लाख अतिरिक्त सामग्री मद एवं ट्यूबवेल सहित हैण्डपंप स्थापना का कार्य।	ऐसे स्थल जहां पूर्व से सुरक्षा हेतु वाउन्ड्री वाल एवं पीने के पानी हेतु हैण्ड पंप नहीं है।

2	आंगनवाड़ी भवन एवं वाउन्ड्री वाल	रूपये 6.55 लाख	रूपये 1.80 लाख, मजदूरी सामग्री अनुपात 60:40 की सीमा में	13 वें वित्त आयोग के जिलों में रूपये 4.75 लाख तथा आईसीडीएस मिशन के जिलों में रू. राशि रू 4.5 लाख अतिरिक्त सामग्री मद एवं ट्यूबवेल सहित हैण्डपंप स्थापना का कार्य।	ऐसे स्थल जहां पूर्व से सुरक्षा हेतु वाउन्ड्री वाल नहीं है परन्तु पीने के पानी हेतु हैण्ड पंप उपलब्ध है।
3	आंगनवाड़ी भवन व पीने के पानी हेतु हैण्डपंप	रूपये 6.70 लाख	रूपये 1.80 लाख, मजदूरी सामग्री अनुपात 60:40 की सीमा में	13 वें वित्त आयोग के जिलों में रूपये 4.90 लाख तथा आईसीडीएस मिशन के जिलों में रू. राशि रू 4.5 लाख अतिरिक्त सामग्री मद एवं ट्यूबवेल सहित हैण्डपंप स्थापना का कार्य।	चयनित स्थल स्कूल/ विद्यालय परिसर में हैं अथवा किसी शासकीय कार्यालय के परिसर में है परन्तु पीने के पानी हेतु हैण्ड पंप उपलब्ध **नहीं** है।
4	आंगनवाडी भवन	रूपये 5.43 लाख	रूपये 1.80 लाख, मजदूरी सामग्री अनुपात 60:40 की सीमा में	13 वें वित्त आयोग के जिलों में रूपये 3.63 लाख तथा आईसीडीएस मिशन के जिलों में रू. राशि रू 3.63 लाख अतिरिक्त सामग्री मद एवं ट्यूबवेल सहित हैण्डपंप स्थापना का कार्य।	चयनित स्थल स्कूल/ विद्यालय परिसर में हैं अथवा किसी शासकीय कार्यालय के परिसर में है तथा वाउन्ड्री वाल एवं पीने के पानी हेतु हैण्ड पंप उपलब्ध है।

महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा नान बीआरजीएफ/आईएपी वाले 21 में से आईसीडीएस मिशन वाले 13 जिलों में आंगनवाडी भवन निर्माण हेतु तालिका–2 में दर्शाये अनुसार आंगनवाडी भवनों के निर्माण हेतु कुल लागत के सापेक्ष में निर्धारित वित्तीय व्यवस्था अनुसार अंशदान उपलब्ध नहीं करा पाने की स्थिति में उनके अंशदान के अंतर की राशि परफारमेंस ग्रान्ट से मांग करने हेतु प्रस्ताव जिला पंचायत द्वारा पंचायत ग्रामीण विकास विभाग को 15 दिवस में भेजा जावे।

4. जिन जिलों में मनरेगा के अभिसरण से आंगनवाडी भवन निर्माण हेतु पूर्व में स्वीकृतियां जारी की गई है, उन्हे उपरोक्त तालिका 1 और 2 में दर्शित वित्तीय व्यवस्था अनुसार पुनरीक्षित किया जाकर निर्माण कार्य कराया जावे।

5. पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी पत्र क्र. 9541 दिनांक 12.12.2013 के बिन्दु क्र. 5(i) अनुसार जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास द्वारा राज्य शासन की 100 दिवसीय कार्ययोजना एवं वर्ष 2014–15 में निर्मित कराये जाने वाली आंगनवाडी भवनों के प्रस्ताव 26 जनवरी 2014 को आयोजित होने वाली विशेष ग्राम सभा के माध्यम से वार्षिक कार्ययोजना में शामिल कराये जाने हेतु यथाशीघ्र जिला पंचायत ग्राम पंचायतवार सूची उपलब्ध कराई जावे।

6. जिले में मनरेगा की राशि के अभिसरण से जिले में प्रचलित जिला दर अनुसूची अनुसार चयनित कार्य स्थल पर केवल आंगनवाडी भवन का या आंगनवाडी भवन के साथ वाउन्ड्रीवाल व पीने के पानी हेतु हैण्ड पंप या आंगनवाडी भवन व हैण्ड पंप में से कौन से कार्य आवश्यक है, तदानुसार तालिका 1 और 2 में दर्शित ईकाइ लागत की सीमा में कार्यो की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति जारी कराई जावे। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी पत्र क्र. 9541 दिनांक 12.12.2013 के बिन्दु क्र. 5(iii) अनुसार प्राक्कलन दो भागों में तैयार किया जावेगा। प्रथम भाग में मनरेगा अंश 60 : 40 अनुपात की सीमा में राशि रू 1.80 लाख का रहेगा। द्वितीय भाग बीआरजीएफ/आईएपी या महिला एवं बाल विकास विभाग (राशि कम पडने पर अंतर की राशि परफारमेंस ग्रान्ट से) जैसी भी स्थिति हो, राशि रू 3.63 से 6 लाख तक तालिका में दर्शाये अनुसार कार्य हेतु रहेगा। उपरोक्त कार्यवाही एवं कार्य प्रारंभ कराये जाने की नियमित मानीटरिंग हेतु कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा को नोडल अधिकारी नामांकित किया गया है।

आंगनवाडी भवन निर्माण हेतु विभाग के संदर्भित पत्र क्र. 1 द्वारा जारी शेष निर्देश यथावत लागू रहेंगे। उक्त कार्यों का क्रियान्वयन राज्य शासन के दृष्टिपत्र 2018 में वर्णित महत्वपूर्ण प्रावधानों की पूर्ति की दिशा में अति महत्वपूर्ण कदम है। अतः इस संयुक्त परिपत्र पर प्राथमिकता से त्वरित कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जावे ।

हस्ता/–	हस्ता/–
(बी.आर. नायडू)	(डॉ. अरूणा शर्मा)
प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन	**अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन**
महिला एवं बाल विकास विभाग	**पंचायत एवं ग्रा.वि. विभाग**

पृ. क्रमांक/663/MGNREGS-MP/NR-3/SE-I/2014, भोपाल, दिनांक 21/01/14

प्रतिलिपि :–

1. निज सचिव, माननीय मंत्री, म.प्र.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय।
2. निज सचिव, माननीय मंत्री, महिला एवं बाल विकास विभाग, मंत्रालय को सूचनार्थ।
3. मुख्य सचिव, म.प्र. शासन के स्टाफ आफिसर, मंत्रालय, भोपाल को सूचनार्थ ।
4. कृषि उत्पादन आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन।
5. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, भोपाल ।
6. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय भोपाल।
7. आयुक्त, मनरेगा।
8. आयुक्त, पंचायतीराज।
9. प्रमुख अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, विकास आयुक्त कार्यालय मध्यप्रदेश।
10. आयुक्त संचालक, एकीकृत महिला एवं बाल विकास संचालनालय, अरेरा हिल्स, भोपाल।
11. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश।
12. समस्त अधीक्षण यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, मण्डल मध्यप्रदेश।
13. संभागीय संयुक्त संचालक, महिला एवं बाल विकास विभाग, समस्त संभाग मध्यप्रदेश
14. समस्त कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, समस्त संभाग मध्यप्रदेश ।

सही
प्रमुख सचिव
म.प्र. शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग

सही
अपर मुख्य सचिव
म.प्र. शासन
पंचायत एवं ग्रा.वि. विभाग

मध्यप्रदेश शासन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक 9701/MGNREGS-MP/NR-3/2013 भोपाल, दिनांकः 24 /12/2013

प्रति,

कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अति.जिला कार्यक्रम समन्वयक
महात्मा गांधी नरेगा
जिला–समस्त (म.प्र)

परिपत्र

विषयः– **महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र. अंतर्गतग्रामीण क्षेत्र में "अनाज भण्डारण हेतु गोदाम निर्माण" हेतु दिशा–निर्देश।**

भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा दिनांक 11 नवम्बर 2013 को जारी राजपत्र में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की अनुसूची–1 मेंसंशोधन करते हुए अनुसूची के पैरा–1आ में खण्ड(15ग/xvc) अनुसार "खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिये आधुनिक एवं वैज्ञानिक खाद्य अनाज भण्डारण सुविधा का सन्निर्माण और अनुरक्षण" कार्य अनुमत श्रेणी में सम्मिलित किया गया है। अतः महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र. (महात्मा गांधी नरेगा) के तहत् "अनाज भण्डारण हेतु गोदाम निर्माण" कार्य हेतु यह परिपत्र जारी किया जाता है :–

1. **कार्यक्षेत्र**

प्रदेश के समस्त जिलों के 313 विकासखण्डों के ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारिता विभाग के तहत् संस्थाओं द्वारा संचालित सार्वजनिक वितरण प्रणाली केन्द्रों पर सहकारिता विभाग द्वारा निर्दिष्ट स्थलों पर अनाज भण्डारण हेतु गोदाम निर्माण किया जा सकेगा।

2. **भूमि उपलब्धता**

गोदाम निर्माण हेतु स्थल चयन एवं शासकीय भूमि की उपलब्धता संबंधी समस्त कार्यवाही सहकारिता विभाग द्वारा की जावेगी। सामान्यतः गोदाम निर्माण एवं अन्य सुविधाओं हेतु लगभग 1 एकड़ (44000 वर्गफीट) भूमि अथवा परिस्थिति अनुसार न्यूनतम आवश्यक भूमि का आवंटन सहकारिता विभाग द्वारा राजस्व विभाग के माध्यम से सुनिश्चित कराया जावेगा, जिसमें से गोदाम निर्माण हेतु स्थल सहकारिता विभाग द्वारा निर्धारित किया जावेगा।

3. **डिजाईन व मार्गदर्शी प्राक्कलन**

ग्रामीण विकास विभाग का मनरेगा के कार्यों हेतु लागू प्रचलित जिला दर अनुसूची (एस.ओ.आर.) के अनुसार 100 मैट्रिक टन क्षमता वाले गोदाम निर्माण हेतु सहकारिता विभाग से प्राप्त डिजाईन के आधार पर मार्गदर्शी प्राक्कलन संलग्न है। आदर्श प्राक्कलन में 02 हॉल, 01 कार्यालय कक्ष, 01 विक्रय केन्द्र, कवर्ड बरामदा प्रस्तावित किया गया है। वास्तविक प्राक्कलन स्थानीय भूमि के स्ट्रेटा के दृष्टिगत तैयार किया जाना होगा।

4. **कार्य पर अकुशल श्रम एवं सामग्री अनुपातसंधारण**

गोदाम निर्माण में ग्रामीण विकास विभाग की उज्जैन जिले में दिनांक 01/08/2013 से लागू जिला दर अनुसूची अनुसार गोदाम की प्राक्कलित लागत राशि रू. 8.88 लाख में मजदूरी सामग्री अनुपात 13:87 आंकलित किया गया है।भारत सरकार द्वारा गोदाम निर्माण गतिविधि में मजदूरी सामग्री अनुपात ग्राम पंचायत के स्थान पर विकासखण्ड स्तर पर संधारित किया जाना प्रावधानित किया गया हैं।

मनरेगा योजना के प्रावधानानुसार मजदूरी सामग्री अनुपात 60:40 संधारित किये जाने के उद्देश्य से गोदाम निर्माण स्थल की शेष भूमि की उपलब्धता होने पर भूमि विकास, सी.पी.टी. खुदाई, सोख्ता गडढा निर्माण, वृक्षारोपण तथा संस्था में पंजीकृत कृषकों में से मनरेगा अनुसार पात्र हितग्राहियों की निजी भूमि पर मेंढ़बंधान इत्यादि कार्यों कोभूमि उपलब्धता एवं स्थानीय परिस्थिति के दृष्टिगत संस्था से परामर्श अनुसार पर्याप्त संख्या में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार कार्यों को अनिवार्यतः लिया जावे।

5. **अभिसरण**

गोदाम निर्माण हेतु मजदूरी एवं सामग्री मद में लगने वाली पूर्ण राशि मनरेगा मद से वहन की जावेगी।मनरेगा योजना के प्रावधानानुसार मजदूरी सामग्री अनुपात 60:40 संधारित करने हेतु बिन्दु क्र.04अनुसार अन्य कार्य भी लिये जाने आवश्यक होंगे। सहकारिता विभाग द्वारा स्थल चयन, भूमि की उपलब्धता तथा तकनीकी मार्गदर्शन हेतु सहयोग एवं समन्वय सुनिश्चित किया जावेगा।

6. **कार्य का चयन**

(i) सहकारिता विभाग के जिला कार्यालयद्वारागोदाम निर्माण हेतु प्रस्ताव चयनित शासकीय भूमि विवरण सहित (खसरा, नक्शा इत्यादि) जनपदवार, ग्राम पंचायतवार जिला पंचायत को निम्न प्रपत्र में प्रस्ताव भेजे जावेगें :–

क्र	जनपद पंचायत	ग्राम पंचायत	ग्राम का नाम	कार्य स्थल विवरण (टोला/पारा/ मोहल्ला इत्यादि)	शासकीय भूमि खसरा नं.	चयनित स्थल कुल भूमि क्षेत्रफल (वर्गफीट में)	रिमार्क

जिला पंचायत द्वारा उपरोक्तानुसार प्राप्त गोदाम निर्माण की सूची शासकीय भूमि विवरण सहित संबंधित जनपद पंचायत के माध्यम से ग्राम पंचायतों को भेजे जावेगें।

(ii) ग्राम पंचायत द्वारालगभग30x50 वर्ग फुट शासकीय भूमि की उपलब्धता गोदाम निर्माण हेतु सुनिश्चित की जावेगी। स्थल का चयन इस प्रकार होगा कि सामग्री भण्डारण हेतु आने वाले चार पहिया वाहनों की आवाजाही सुगमता से हो सके।

(iii) भूमि के चिन्हाकंन उपरान्त उपयंत्री द्वारा स्थल निरीक्षण कर स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार बिन्दु क्र.(ii) अनुसार भूमि की उपलब्धता के दृष्टिगत गोदाम निर्माण तथा शेष स्थल की उपलब्धता एवं परिस्थिति अनुसार अन्य ली जाने वाली गतिविधियों हेतु पृथक–पृथक कार्यो के प्राक्कलन तैयार किये जावेंगे।

(iv) गोदाम निर्माण के प्रस्ताव को ग्राम सभा के समक्ष प्रस्तुत करते हुये मनरेगा के प्रावधान अनुसार त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं से अनुमोदन प्राप्त कर कार्य शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट एवं वार्षिक कार्य योजना में अनिवार्यतः शामिल किया जावेगा।

7. **कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति**

उपयंत्री द्वारा कार्य के प्राक्कलन के साथ तकनीकी प्रतिवेदन तैयार किया जावेगा। जिसमें कार्य की उपयोगिता एवं कार्य से होने वाला लाभ जैसे पी.डी.एस. सोसायटी से लाभांवित होने वाले ग्राम व उनकी संख्या, समिति सदस्य, भण्डारण सुविधा से समय पर खाद्यान्न वितरण, खाद इत्यादि की उपलब्धता तथा खाद्य सुरक्षा अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति इत्यादि की जानकारी संबंधित संस्था से प्राप्त कर तकनीकी प्रतिवेदन में उल्लेख किया जावे। इस प्रकार तैयार किये गये तकनीकी प्रतिवेदन सहित कार्य का प्राक्कलन तकनीकी स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त की जावेगी।

महात्मा गांधी नरेगा के प्रावधानानुसार सक्षम स्तर से कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की जावेगी। स्वीकृति की प्रति संबंधित विभाग के जिला प्रमुखों सहित ग्राम पंचायत, जनप्रतिनिधियों व अन्य संबंधितों को दी जावेगी। गोदाम निर्माण के अतिरिक्त लिये जा रहे कार्यों की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति पूर्वानुसार पृथक–पृथक सक्षम स्तर से जारी की जावेगी।

8. **कार्य की क्रियान्वयन एजेंसी**

गोदाम निर्माण हेतु क्रियान्वयन एजेंसी संबंधित क्षेत्र की ग्राम पंचायत रहेगी। विशिष्ट परिस्थितियों में जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा ग्राम पंचायत के स्थान पर ग्रामीण यांत्रिकी सेवा को क्रियान्वयन एजेंसी बनाया जा सकेगा।

9. **योजना एवं कियान्वयन में महात्मा गांधी नरेगा की प्रक्रिया का अनुपालन**

गोदाम निर्माण मेंमनरेगा योजना के दिशा निर्देशों तथा प्रक्रिया का अनुपालन विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्र. 2 दिनांक 20.02.2013 तथा निम्न मार्गदर्शी बिन्दुओं का पालन किया जावेगा :–

(i) गोदाम निर्माण में अकुशल श्रम का कार्य, योजनान्तर्गत जॉबकार्डधारी परिवारों से कराया जाएगा तथा ठेका पद्धति प्रतिबंधित रहेगी।

(ii) मानव श्रम के बदले मशीनों (खुदाई कार्य में प्रयुक्त होने वाली जे.सी.बी. इत्यादि)का प्रयोग प्रतिबंधित है।

(iii) कार्य के पूर्व, दौरान तथा पश्चात् के फोटोग्राफ्स संधारित कर नरेगा साफ्ट में अपलोड किये जावे।

(iv) अकुशल एवं कुशल/अर्द्धकुशल श्रमिकों हेतु जारी किये गए ई–मस्टर मस्टर रोल संधारित किये जावेंगे तथा कार्य के दौरान उपस्थिति हेतु स्थल पर ही रखे जावे।

(v) सामग्री का क्रय पंचायत में लागू म.प्र. भण्डार क्रय नियमानुसार पारदर्शी प्रक्रिया अपनाकर किया जावेगा।

(vi) मजदूरी एवं सामग्री का भुगतान प्रचलित ई.एफ.एम.एस. प्रक्रिया के माध्यम से किया जावेगा।

10. **लेखा संधारण**

(i) अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप लेखा संधारण किया जाकर अंकेक्षण हेतु लेखे उपलब्ध रखे जावेंगे।

(ii) कियान्वयन एजेन्सी द्वारा प्रत्येक कार्य का ग्राम सभा में सामाजिक अंकेक्षण कराया जावेगा।

11. **नरेगा साफ्ट में प्रविष्टि**

नरेगा साफ्ट में गोदाम निर्माण कार्य की एम.आई.एस. प्रविष्टि अनुमत श्रेणी–15 में सम्मिलित कार्यों अनुसार निर्दिष्ट श्रेणी में की जावेगी।

12. **मूल्यांकन एवं मजदूरी भुगतान :**

(i) कार्यों का मूल्यांकनसंबंधित सेक्टर के उपयंत्री द्वारा साप्ताहिक मस्टर रोल की समाप्ति के 03 दिवस के अन्दर अनिवार्य रूप से किया जावेगा।

(ii) जाबकार्डधारी मजदूरों को उनके द्वारा किये गये कार्य की मजदूरी का भुगतान अधिकतम 15 दिवस में ई.एफ.एम.एस. के माध्यम से उनके बैंक/पोस्ट ऑफिस के खातों में निर्धारित प्रकिया का पालन करते हुए जनपद पंचायत स्तर से एफ.टी.ओ. जारी किया जावेगा।

13. **निरीक्षण, गुणवत्ता नियंत्रण एवं मॉनीटरिंग :**

(i) कार्यो का संपादन तकनीकी मापदण्डों तथा संबंधित विभाग के तकनीकी परामर्श के अनुरूप गुणवत्तापूर्वक कराया जावे।

(ii) नींव की खुदाई के बाद, कार्य की प्लन्थ (Plinth)के उपयंत्री द्वारा माप पुस्तिका में मूल्यांकन किये जाने के बाद सहायक यंत्री द्वारा मूल्यांकन सत्यापन एवं आगे की कार्यवाही हेतु मार्गदर्शन दिए जाने के पश्चात ही आगे का कार्य प्रारंभ किया जावे।

(iii) आर.सी.सी के कार्य संपादन के पूर्व सहायक यंत्री द्वारा लोहे की बंधाई कार्य अनिवार्य रूप से चेक किया जावे एवं सीमेन्ट कांक्रीट ढ़लाई के समय उपयंत्री के अतिरिक्त स्वयं भी स्थल पर उपस्थित रहे।

(iv) सीमेन्ट कांकीट की Compressive strength हेतु प्रयोगशाला परीक्षण किया जावे। IS–516 के अनुसार सीमेन्ट कांकीट के कार्य के दिन 6 क्यूब तैयार किये जावे जिनमें से 3 का परीक्षण 7वें दिवस तथा 3 का परीक्षण 28 वें दिवस किया जावे।

(v) IS-1199 के अनुसार सीमेन्ट कांकीट की Workability हेतु प्रत्येक 3 Cum सीमेन्ट कांकीट की मात्रा हेतु प्रयोगशाला में Slump test किया जावे।

(vi) सामग्री परीक्षण, मनरेगा अंतर्गत स्थापित जिला स्तरीय क्वालिटी कट्रोल प्रयोगशालाओं में कराया जावे। आवश्यकता पड़ने पर म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण की जिले में स्थित प्रयोगशालाओं में भी सामग्री परीक्षण कराया जा सकता है।

(vii) कॉलम एवं नींव की सीमेन्ट कांकीट ढ़लाई के समय Needle Vibrator व छत की ढ़लाई के समय Plate Vibrator से काम्पेक्शन सुनिश्चित किया जावे।

(viii) छत की ढ़लाई के समय उपयुक्त स्लोप का ध्यान रखा जावे ताकि किसी भी स्थिति छतं में पानी का जमाव न हो। कार्य की गुणवत्ता के संबंध में सहायक यंत्री द्वारा साइट आर्डर बुक में टीप अंकित की जावेगी।

(ix) भवन के बाह्य दरवाजे व खिड़कियों के छज्जा के स्लोप एवं ड्रिप कोर्स का ध्यान रखा जावे। ताकि वर्षा के पानी का जमाव न हो सके।

(x) कार्यो का भौतिक सत्यापन ग्राम स्तरीय सतर्कता एवं मूल्यांकन समिति से कराया जावे।

(xi) जिला स्तर से कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण सेवा द्वारा आंगनवाड़ी भवन के 10% कार्यो का तथा नियुक्त राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय क्वालिटी मानीटर द्वारा समय–समय पर निरीक्षण किया जा सकेगा।

(xii) विभाग के आदेश क. 3665/22/वि–7/ग्रा.यां.से./06 दि. 22.06.2006 के तहत जारी निर्देशों के अनुसार प्रत्येक कार्य का एक्जिट प्रोटोकॉल कराया जावे।

उपरोक्तानुसार निर्देशों का पालन सुनिश्चित करते हुए गोदाम निर्माण कार्य संपादित कराये जावे।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

(अरूणा शर्मा)
अपर मुख्य सचिव
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ. क्र. 9702/MGNREGS-MP/NR-3/2013 भोपाल, दिनांक 24/12/13 /2013

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
2. प्रमुख सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
4. आयुक्त सह पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ सहकारिता विभाग खण्ड–ग, भूतल, विन्ध्याचल भवन भोपाल।
5. आयुक्त, पंचायत राज संचालनालय, तिलहन संघ भवन भोपाल।
6. समस्त संभागायुक्त मध्यप्रदेश।
7. प्रमुख अभियंता, ग्रा.यां.सेवा, विकास आयुक्त कार्यालय भोपाल।
8. समस्त अधीक्षण यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा मंडल मध्यप्रदेश ।
9. समस्त कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, मध्यप्रदेश ।
10. समस्त कार्यक्रम अधिकारी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मध्यप्रदेश। कृपया अपने स्तर से सहायक यंत्री/उपयंत्रियों को इस परिपत्र की प्रति वेबसाइट www.nregs-mp.org से डाउनलोड कर उपलब्ध करावे।

---

11. विशेष सहायक, मान. मंत्री, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।
12. निज सहायक, मान. राज्यमंत्री, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।
13. स्टॉफ आफीसर, मुख्य सचिव कार्यालय, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।

अपर मुख्य सचिव
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

मध्य प्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
तथा
सहकारिता विभाग

क्रमांक/ 264/394/2014/15-1 भोपाल दिनांक 19/02/2014

प्रति,

1. कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक जिला (समस्त)
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अति.जिला कार्यक्रम समन्वयक,जिला पंचायत (समस्त)
3. उप/सहायक आयुक्त सहकारिता (समस्त)
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक (समस्त)

विषय :– महात्मागांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र.अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में "आनाज भंडारण हेतु गोदाम निर्माण" हेतु दिशा–निर्देश।

संदर्भ :– म.प्र.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय भोपाल का परिपत्र क्र./9701/MGNGEGS-MP/NR-3/2013, दि. 24.12.13

––0––

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के विषयान्तर्गत संदर्भित परिपत्र द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में "अनाज भण्डारण हेतु गोदाम निर्माण" हेतु विस्तृत निर्देश जारी किये गये है। दृष्टिपत्र 2018 के बिन्दु क्रमांक 19 अध्याय 1 कृषि सिंचाई और विविधिकरण बिन्दु क्रमांक 1.E.2.1 में वर्णित प्रावधान अनुसार ग्रामीण क्षेत्र की लगभग 10820 उचित मूल्य के दुकानों के संचालन स्थलों में 100 मेट्रिक टन क्षमता वाले अनाज भण्डारण हेतु गोदाम निर्माण कराया जाना है।

अतएव राज्य शासन के दृष्टि पत्र के उक्त महत्वपूर्ण प्रावधान की पूर्ति हेतु पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा सहकारिता विभाग के संयुक्त हस्ताक्षर से यह पत्र जारी किया जा रहा है, जिससे दोनों विभागों के मैदानी अधिकारी/कर्मचारी उक्त संदर्भित पत्र में दिये गये निर्देशानुसार त्वरित कार्यवाही संपादित करें। संदर्भित परिपत्र के अनुसार भूमि का आवंटन सहकारिता विभाग द्वारा राजस्व विभाग के माध्यम से सुनिश्चित कराया जाना है। अतः समस्त उप/सहायक आयुक्त सहकारिता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक से अपेक्षा है कि आगामी 10 दिवस में आवश्यक भूमि आवंटन के प्रस्ताव तैयार कर जिला कलेक्टर को प्रस्तुत करें तथा समस्त कलेक्टरों से विशेष रूप से यह अपेक्षित है कि भूमि आवंटन की त्वरित कार्यवाही करें एवं आगामी वित्तीय वर्ष 2014–15 में जिन ग्रामों में अनाज भण्डारण हेतु गोदाम का निर्माण होना है तथा जहां स्थल की पर्याप्त उपलब्धता है, उन ग्रामों/ग्राम पंचायतों की आगामी वर्ष की वार्षिक कार्ययोजना में उक्त कार्ययोजना शामिल कराये जाने की कार्यवाही की जावे।

(अजीत केसरी)
प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन,
सहकारिता विभाग

(डॉ.अरूणा शर्मा)
अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ. क्रमांक/ 265 /394/2014/15-1 , भोपाल दिनांक 19/2/2014

प्रतिलिपि :–

01. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय।
02. निज सचिव, माननीय मंत्री, म.प्र.शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा सहकारिता विभाग
03. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर।
04. प्रमुख सचिव, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय भोपाल।
05. आयुक्त, मनरेगा।
06. आयुक्त, पंचायतीराज।
07. आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं म.प्र.भोपाल।
08. प्रमुख अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, विकास आयुक्त कार्यालय म.प्र.।
09. संभागायुक्त, (समस्त)।
10. संयुक्त आयुक्त, सहकारिता, (समस्त) संभाग।
11. कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा (समस्त)।

प्रमुख सचिव
म.प्र.शासन
सहकारिता विभाग

अपर मुख्य सचिव
म.प्र.शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

TECHNICAL REPORT & SPECIFICATIONS

1	**Name of work**	CONSTRUCTION OF 100 M.T. GODOWN UNDER L.C.D.P. PROJECT.
2	**Estimated Cost**	**Rs. 8.96 Lakh (Rupees Eight lakh Ninty SixThousand only)**
3	**Head**	**NREGES + OTHER HEADS CONVERGENCE**
3	**Technical Sanction**	
4	**Administrative approval**	
5	**Necessity**	
6	**Provision**	Following provisions have been made in the Estimate. Two halls of size 6.6mx4.2m. one office room and one sale room of size 3.4mx3.6m each are proposed. Besides. a covered verandah of size 6.2mx3.6m is also proposed R.C.C. frammed structure shall be provided. R.C.C. isolated columns footing shall be provided in foundation. in super structure walls shall be of brick masonry in 1:5 cement mortar. roofing shall be of R.C.C. 40mm thick fine dressed Red stone/white stone flooring over 20mm thick bed of cement mortar of 1:6 shall be provided doors and windows shall be of steel/ steel glazed.
7	**Structural provision**	(i) R.C.C. frammed structure (ii) Isolated columns & footing
7	**Rates and Specifications**	Rates provided in the Estimate for the items/ sub head of work are as per S.O.R. issued by C.E.O. Zila Panchayat Ujjain and inforced from 01.08.2013. Specifications which are adopted in M.P. Rural Engineering Service shall be strictly followed during execution of work.

(R.K.Shrivastav)
Assistant Engineer
Rural Engineering Service
Bhopal

(S.K. Khare)
Superintending Engineer
Rural Engineering Service
Bhopal

ABSTRACT ESTIMATE FOR CONSTRUCTION OF 100 M.T. GODOWN UNDER I.C.D.P. PROJECT BASED ON DISTRICT SOR ISSUED BY C.E.O. JILA PANCHAYAT UJJAIN MP AND INFORCED FROM 01.08.2013

Sr.	ITEM	Qty.	Unit	Rate	Amount	Labour Component	Material etc. component
1/307(b)	Earth work in exacavation in trenches for foundation and for pipes.....including 50 m lead and 1.5 m lift etc.						
	(a) Denses or Hard soil	36.84	m^3	70.60	2600.76	2576.36	24.40
2/413(b)	Providing and laying foundation. plinth and under floors cement concrete with 40 mm nominal size graded stone aggregate (metal) i/c ramming in layers and curing complete.						
	(a) Cement concrete 1:3:6 (40mm metal)	14.70	m^3	2404.70	35337.07	4163.63	31173.44
3/ 425(b)	Providing and placing in position RCC for roof. beams. coloumns. coloumn footing lintels chhajjas. balcony. stairs etc, excluding cost of reinforcement. centring and fifnising including curing complete.	12.28	m^3	3725.90	45761.50	4392.55	41368.95
4/430	False work for R.C.C. and P.C.C. work in plinth and foundation.	93.38	m^2	141.00	13166.58	2017.75	11148.83
5/904 (b)	Providing and placing in position tested. cold twisted steel and hot rolled deformed or plain steel reinforcement for RCC work including cutting, bending. binding. etc. as per drawings and placing in position complete up to pfloor two level including cost.						
	Total Qty of RCC work@1.20%	1156.78	Kg	57.7	66746.206	1688.9	65057.31
6/605 (j)	Class 25 open bhatta or pajawa burnt brick masonry in plinth and foundation (j) cement mortar 1:6	7.30	m^3	2603.00	19005.80	1811.86	17193.94
7/404	Fillingin plinth withSand under floors I/c water ramming consolidating and dressing complete.	30.42	m^3	636.10	19350.16	652.87	18697.29
8/425 (b)	Providing and placing in position RCC for roof, beams. coloumns. coloumn footing lintels chhajjas. balcony. stairs etc. excluding cost of reinforcement. centring and fifnising including curing.						
	(a) Cement concrete 1:2:4 (20mm metal)	24.43	m^3	3725.90	91029.33	8738.61	82290.72
9/428	False work for lintels, Slabs, Columns etc. cast in situ including all lead and lift.	251.19	m^3	178.30	44786.82	5427.71	39359.11
10/904 (B)	Providing and placing in position tested steel for R.C.C. work including cutting. bending. binding etc. as per drawings and placing in position complete up to floor two level including cost of binding wire and all wastage etc. complete.	2397.19	Kg	57.70	138318.08	`3499.89	134818.19
11/605 (i) 606	Class 25 open bhatta or pajawa burnt brick masonry in Super Structure **CM1:5**	17.39	m^3	2822.40	49092.83	4316.20	44776.63
12/1011(b)	6mm Plastering 1:4 cement mortar in celing	102.24	m^2	83.90	8577.94	1791.24	6786.70
13/1005(c)	10 mm thick Cement Plaster on						
	(c) Cement Mortar 1:5 (Inside)	294.45	m^2	76.40	22495.98	6448.45	16047.53
14/1007(c)	15mm thick Cement Plaster on rough side of wall in cement mortar 1:5						
	(c) Cement Mortar 1:5 (outside)	182.19	m^2	103.7	18893.103	3989.96	14903.14
15/1214(b)	Fine dressed rabbed stone flooring over 20 mm average thick base of cement mortar (1:5) i/c pointing C.M. (1:2) with admixture of pigment to mach the shade of stone. (Area each stone should not be less than 0.20 Sqm)						
	(b) 40 mm thick	102.24	m^2	850.40	86944.90	21897.96	65046.94
16/ 0918	Providing and fixing pressed steel door frames manufactured from commercial mild steel sheet of 1.25 mm thjickness including hinges jamb, lock jamb. bead and if required angle threshold of mild steel angle of section 50 x 25 mm or base etc. compelte. a) Profile A (single rabate 80mm x 50 mm size	20.80	RM	216.80	4509.44	292.00	4217.44

Sr.	ITEM	Qty.	Unit	Rate	Amount	Labour Component	Material etc. component
17/919(a)	Providing and fixing in position door shutters made up of cold rolled framed profiles of pressed steel made from commercial M.S. sheet etc. complete. Single panel shutter type-A (made of 1.00mm C.R.sheet)	8.40	m^2	1450.00	12180.00	292.00	11888.00
18/0917(a)	Providing and fixing steel glazed doors & window and ventilator of standard rolled steel sections without horizontal glazing bars....including applying a priming coat of steel primer red oxide zinc chromite etc. Complete.						
		7.20	m^2	1180.70	8501.04	0.00	8501.04
19/0902	Providing and fixing m.s.square or round bars in window 12mm- glazing bars for windows and ventilators.	112.32	kg	70.30	7896.10	557.55	7338.55
20/1335(a)	painting over door and window	30.15	m^2	110.40	3328.56	292.00	3036.56
21/1823	Collection of sand including screening. washing. stacking and all leads and lifts upto the loading point	67.63	m3	112.80	7628.66	7628.66	0.00
22/0909	Providing and fixing in psotion collapsible steel shutters with vertical channels 20mm x 10mm x 2mm braced with flat iron diagonals 20mm x 5 mm size with top and bottom rails of T - iron 40mm x 10mm x 6 mm with 38mm dia steel pulleys complete.	3.99	m^2	3619.30	14441.01	1234.98	13206.03
23/1307	White washing whith lime on undercorated wall surfaces (three coats) to give an even shade including throughly broomed the surface to remove all dirt. dust. mortar drops and other foreign matter. Qty. same as 6 mm plaster + 10 mm plaster	400.68	m^2	9.00	3606.12	584.99	3021.13
24/1311	Colour washing 2 coats over and including a priamry coat of white washing on undercorated wall surface. Qty. same as 15 mm plastering	182.19	m^2	10.80	1967.65	265.99	1701.66
25	Site devlopment (Lump-Sum)				50000.00	35000.00	15000.00
		Total			**776165.63**	**119562.11**	**656603.52**
		Transportation Charges of materials (As per attached sheets)					**41869.00**
						Total	**698472.52**
		Add 5% for internal Electrification (Amount as per attached estimate)					**40901.73**
		Add 3.5% for contingencies & work charge estt. (2%+1.5%)					**28631.21**
		Add 1% for karmkar mandal					**8180.35**
						Grand Total	**776185.81**
						Labour Component - Rs	**119562.11**
						Material etc.Component - Rs	**776185.81**
						Total Labour & Material component	**895747.92**
						Say Rupes (in lakh)	**8.96**
		Ratio of labour & material - 13.34:86.66					

Note :- **This is model estimate and framed for hard soil. According to strata available at site type of foundation may be changed.**

Sd/-
(R.K.Shrivastav)
Assistant Engineer
Rural Engineering Service
Bhopal

(S.K.Khare)
Superintending Engineer
Rural Engineering Service
Bhopal

DETAILED ESTIMATE FOR CONSTRUCTION OF 100 M.T. GODOWN UNDER I.C.D.P. PROJECT BASED ON DISTRICT SOR ISSUED BY C.E.O. JILA PANCHAYAT UJJAIN MP AND INFORCED FROM 01.08.2013

Sr.	ITEM	NO	L	W	D	Qty.	Unit	Rate	Amount
1/307(b)	Earth work in exacavation in trenches for foundation and for pipes.....including 50 m lead and 1.5 m lift etc.								
	(a) Denses or Hard soil								
	columns pits (200 x 400)	12	1.40	1.40	1.20	28.22			
	columns pits (200 x 300)	2	1.20	1.20	1.20	3.46			
	Below Plinth Beam								
	A1 B1, D1, E1	2	2.20	0.40	0.40	0.70			
	B1CI, CIDI	2	1.80	0.40	0.40	0.58			
	A1 A2, E1 E2	2	2.80	0.40	0.40	0.90			
	A2 A3, E2 E3	2	2.55	0.40	0.40	0.82			
	A3, B3, D3 E3	2	2.40	0.40	0.40	0.77			
	B3, D3	1	4.80	0.40	0.40	0.77			
	Steps	1	1.00	2.10	0.30	0.63			
		Total				**36.84**	**m^3**	**70.60**	**2600.76**
2/413(b)	Providing and laying foundation, plinth and under floors cement concrete with 40 mm nominal size graded stone aggregate (metal) i/c ramming in layers and curing complete.								
	(a) Cement concrete 1:3:6 (40mm metal)								
	columns	12	1.40	1.40	0.10	2.35			
		2	1.20	1.20	0.10	0.29			
	below plinth beam								
	A1 B1, D1 E1	2	3.40	0.40	0.10	0.27			
	B1 C1, C1 D1	2	3.00	0.40	0.10	0.24			
	A1, A2, E1 E2	2	3.80	0.40	0.10	0.30			
	A2 A3, E2 E3	2	3.50	0.40	0.10	0.28			
	A3 B3, D3 E3	2	3.40	0.40	0.10	0.27			
	B3 D3	1	5.80	0.40	0.10	0.23			
	Steps	1	1.10	2.10	0.10	0.23			
	Hall	2	6.60	4.20	0.10	5.54			
	Office & Sale Room	2	3.40	3.60	0.10	2.45			
	Verandah	1	6.20	3.60	0.10	2.23			
		Total				**14.70**	**m^3**	**2404.70**	**35337.07**
3/ 425(b)	Providing and placing in position RCC for roof, beams, coloumns, coloumn footing lintels chhajjas, balcony, stairs etc, excluding cost of reinforcement, centring and fifnising including curing complete.								
	(b) CC 1:1.5:3								
	Column square footing	12	1.20	1.20	0.20	3.46			
	Column Trapezoidal footing	12x0.30(0.08+1.44+2.24)/6				2.26			
		2	1.00	1.00	0.20	0.40			
		2x0.30(0.06+1.00+2.12)/6				0.32			
	Column up to plinth	12	0.20	0.40	1.35	1.30			
		2	0.20	0.30	1.35	0.16			
	plinth beam								
	A1 B1, D1 E1, A2 B2, D2 E2	4	3.40	0.20	0.30	0.82			
	B1C1, C1 D1, B2 2, C2 D2	4	3.00	0.20	0.30	0.72			
	A3 B3, D3 E3,	2	3.40	0.20	0.30	0.41			
	B3 D3	1	5.80	0.20	0.40	0.46			
	A1 A2, C1 C2, E1 E2	3	3.80	0.20	0.30	0.68			
	B1 B2, D1 D2	2	4.00	0.20	0.30	0.48			
	A2 A3, E2 E3	2	3.40	0.20	0.30	0.41			
	B2 B3, D2 D3	2	3.40	0.20	0.30	0.41			
		Total				**12.28**	**m^3**	**3725.90**	**45761.50**

Sr.	ITEM	NO	L	W	D	Qty.	Unit	Rate	Amount
4/430	False work for R.C.C. and P.C.C. work in plinth and foundation.								
	Column square footing 12x4	48	1.20	-	0.20	11.52			
	Column square footing	8	1.00	-	0.20	1.6			
	Column upto plinth 200 x 400	12	1.20	-	1.35	19.44			
	Column upto plinth 200 x 300	2	1.00	-	1.35	2.7			
	plinth beam								
	A1B1, D1E1, A2B2, D2E2	4	3.40	-	0.20	2.72			
		8	3.40	-	0.30	8.16			
	B1 C1, C1 D1, B2 C2, C2 D2	4	3.00	-	0.20	2.4			
		8	3.00	-	0.30	7.20			
	A3 B3, D3 E3	2	3.40	-	0.20	1.36			
		4	3.40	-	0.30	4.08			
	B3 D3	1	5.80	-	0.20	1.16			
		2	5.80	-	0.40	4.64			
	A1A2, C1C2, E1E2	3	3.80	-	0.20	2.28			
		6	3.80	-	0.30	6.84			
	B1B2, D1D2	2	4.00	-	0.20	1.60			
		4	4.00	-	0.30	4.80			
	A2 A3, E2E3	2	3.40	-	0.20	1.36			
		4	3.40	-	0.30	4.08			
	B2B3, D2D3	2	3.40	-	0.20	1.36			
		4	3.40	-	0.30	4.08			
		Total				**93.38**	**m^2**	**141.00**	**13166.58**
5/904 (b)	Providing and placing in position tested, cold twisted steel and hot rolled deformed or plain steel reinforcement for RCC work including cutting, bending, binding, etc. as per drawings and placing in position complete up to pfloor two level including cost.								
	Total Qty of RCC work@1.20%	1	**12.28**	0.012	7850	1156.78			
		Total				**1156.78**	**Kg**	**57.70**	**66746.21**
6/605 (j)	Class 25 open bhatta or pajawa burnt brick masonry in plinth and foundation (j) cement mortar 1:6								
	below plinth beam								
	A1 B1, D1E1	2	3.40	0.20	0.75	1.02			
	B1C1, C1D1	2	3.00	0.20	0.75	0.90			
	A1 A2, E1E2	2	3.80	0.20	0.75	1.14			
	A2A3, E2E3	2	3.50	0.20	0.75	1.05			
	A3B3, D3E3	2	3.40	0.20	0.75	1.02			
	B3 D3	1	5.80	0.20	0.75	0.87			
	Step	1	1.90	1.00	0.40	0.76			
		1	1.90	0.75	0.19	0.27			
		1	1.90	0.50	0.19	0.18			
		1	1.90	0.25	0.19	0.09			
		Total				**7.30**	**m^3**	**2603.00**	**19005.80**
7/404	Fillingin plinth withSand under floors I/c water ramming consolidating and dressing complete.								
	Hall	2	6.60	4.20	0.65	36.04			
	Office and Sale Room	2	3.40	3.60	0.65	15.91			
	Verandah	1	6.20	3.60	0.65	14.51			
	Total	**Total**				**30.42**	**m^3**	**636.10**	**19350.16**
8/425 (b)	Providing and placing in position RCC for roof, beams, coloumns, coloumn footing lintels chhajjas, balcony, stairs etc, excluding cost of reinforcement, centring and fifnising including curing.								
	(a) Cement concrete 1:15:3 (20mm metal)								
	Column	10	0.20	0.40	3.90	3.12			

Sr.	ITEM	NO	L	W	D	Qty.	Unit	Rate	Amount
		2	0.20	0.40	3.00	0.48			
		2	0.20	0.30	3.00	0.36			
	Lintel Chajja	4	1.20	0.20	0.15	0.14			
		2	1.50	0.45	0.09	0.12			
		1	5.80	0.20	0.20	0.23			
	Doors D1	2	1.10	0.20	0.10	0.04			
	D2	2	1.30	0.20	0.15	0.08			
	Ventilator	8	0.80	0.20	0.10	0.13			
	Roof beams								
	A1B1, A1E1, A2B2 D2E2	4	3.40	0.20	0.30	0.82			
	B1C1, C1D1, B2C2, C2D2	4	3.00	0.20	0.30	0.72			
	A3B3, D3E3	2	3.40	0.20	0.30	0.41			
	B3D3	1	5.80	0.20	0.40	0.46			
	A1A2, C1C2, E1E2	3	3.80	0.20	0.30	0.68			
	B1B2, D1D2	2	4.00	0.20	0.30	0.48			
	A2A3, E2E3	2	3.40	0.20	0.30	0.41			
	B2B3, D2D3	2	3.40	0.20	0.30	0.41			
	R.C.C. Slab	1	14.20	5.00	0.12	8.52			
		1	14.20	4.00	0.12	6.82			
		Total				**24.43**	**m^3**	**3725.90**	**91029.33**
9/428	False work for lintels, Slabs, Columns etc. cast in situ including all lead and lift.								
	Column 200x 400	10	1.20	-	3.90	46.80			
		2	1.20	-	3.00	7.20			
	200 x 300	2	1.00	-	3.00	6.00			
	Lintal Chajja								
	Over Window	8	1.50	-	0.15	1.80			
		4	1.20	-	0.20	0.96			
	Chhaja	2	1.50	-	0.45	1.35			
		4	0.45	-	0.09	0.16			
		1	5.80	-	0.20	1.16			
		2	5.80	-	0.20	2.32			
	Doors D1	4	1.10	-	0.10	0.44			
		2	0.90	-	0.20	0.36			
	D2	4	1.30	-	0.15	0.78			
		2	1.10	-	0.20	0.44			
	Vetilator	16	0.80	-	0.10	1.28			
		8	0.60	-	0.20	0.96			
	Roof Beams								
	A1B1, D1E1, A2B2, D2E2	4	3.40	-	0.20	2.72			
		8	3.40	-	0.30	8.16			
	B1C1, C1D1, B2C2, C2D2	4	3.00	-	0.20	2.40			
		8	3.00	-	0.30	7.20			
	A3B3, D3E32	2	3.40	-	0.20	1.36			
		4	3.40		0.30	4.08			
	B3D3	1	5.80	-	0.20	1.16			
		2	5.80	-	0.40	4.64			
	A1A2, C1C2, E1E2	3	3.80	-	0.20	2.28			
		6	3.80	-	0.30	6.84			
	B1B2, D1D2	2	4.00	-	0.20	1.60			
		4	4.00	-	0.30	4.80			
	A2A3, E2E3	2	3.40	-	0.20	1.36			
		4	3.40	-	0.30	4.08			
	B2B3, D2D3	2	3.40	-	0.20	1.36			
		4	3.40	-	0.30	4.08			
	RCC Slab								
	Hall	2	6.60	-	4.20	55.44			
	Office and Sale Room	2	3.40	-	3.60	24.48			
	Verandah	1	6.20	-	3.60	22.32			
	Projection	2	14.20	-	0.20	5.68			
		2	14.20		0.12	3.41			
		2	4.60	-	0.12	1.10			

Sr.	ITEM	NO	L	W	D	Qty.	Unit	Rate	Amount
		2	5.00	-	0.12	1.20			
		1	14.20	-	0.20	2.84			
		2	3.80	-	0.20	1.52			
		1	14.20		0.12	1.70			
		2	4.00		0.12	0.96			
		1	4.00	-	0.10	0.40			
		Total				**251.19**	**m^3**	**178.30**	**44786.82**
10/904 (B)	Providing and placing in position tested steel for R.C.C. work including cutting, bending, binding etc. as per drawings and placing in position complete up to floor two level including cost of binding wire and all wastage								
	Total Quantity of RCC x 1.25%	1	**24.43**	0.0125	7850	2397.19			
						2397.19	**Kg**	**57.70**	**138318.08**
11/605 (i) 606	Class 25 open bhatta or pajawa burnt brick masonry in Super Structure **CM1:5**								
	Walls	2	12.80	0.20	3.60	18.43			
	X direction	3	3.80	0.20	3.60	8.21			
		1	12.00	0.20	2.70	6.48			
		4	3.40	0.20	2.70	7.34			
		Total				**22.03**			
	Deduct								
	D1	2	0.90	0.20	2.10	0.76			
	D2	2	1.10	0.20	2.10	0.92			
	W	4	1.20	0.20	1.20	1.15			
	V	8	0.60	0.20	0.30	0.29			
	Collapsible door	1	1.90	0.20	2.10	0.80			
	Grills	2	1.50	0.20	1.20	0.72			
						4.64			
		Net Qty				**17.39**	**m^3**	**2822.40**	**49092.83**
12/1011(b)	6mm Plastering 1:4 cement mortar in celing.								
	Hall	**2**	**6.6**	**4.2**	-	55.44			
	Office and Sale Room	2	3.40	3.60	-	24.48			
	Varandah	1	6.20	3.60	-	22.32			
		Total				**102.24**	**m^2**	**83.90**	**8577.94**
13/1005(c)	10 mm thick Cement Plaster on								
	(c) Cement Mortar 1:5 **(Inside)**								
	Hall	4	6.60	-	3.90	102.96			
		4	4.20		3.90	65.52			
	Office and Sale Room	4	3.40	-	3.00	40.80			
		4	3.60	-	3.00	43.20			
	Verandah	2	6.20	-	3.00	37.20			
		2	3.60	-	3.00	21.60			
	Deduction					311.28			
	D2	2	1.10	-	2.10	4.62			
	D1	2	0.90	-	2.10	2.10			
	W	1	1.20	-	1.20	1.44			
		2	1.20	-	1.20	2.88			
	Grills	1	1.50	-	1.20	1.80			
	Collapsible door	1	1.9	-	2.1	3.99			
						16.83			
		Total				**294.45**	**m^2**	**76.40**	**22495.98**
14/1007(c)	15mm thick Cement Plaster on rough side of wall in cement mortar 1:5								
	(c) Cement Mortar 1:5 (outside)								
	Back wall	1	13.80	-	4.70	64.86			
		2	4.60	-	4.70	43.24			
		2	3.80	-	3.80	28.88			
		1	13.80	-	3.80	52.44			
						189.42			

Sr.	ITEM	NO	L	W	D	Qty.	Unit	Rate	Amount
	Deduction								
	W	1	1.2	-	1.2	1.44			
	Grills	1	1.5	-	1.2	1.80			
	Collapsible door	1	1.9	-	2.1	3.99			
						7.23			
		Total				**182.19**	**m^2**	**103.70**	**18893.10**
15/1214(b)	Fine dressed rabbed stone flooring over 20 mm average thick base of cement mortar (1:5) i/c pointing C.M. (1:2) with admixture of pigment to mach the shade of stone. (Area each stone should not be less than 0.20 Sqm)								
	(b) 40 mm thick								
	In Hall	2	6.60	4.20	-	55.44			
	Office and Sale Room	2	3.40	3.60	-	24.48			
	Varandah	1	6.20	3.60	-	22.32			
		Total				**102.24**	**m^2**	**850.40**	**86944.90**
16/ 0918(a)	Providing and fixing pressed steel door frames manufactured from commercial mild steel sheet of 1.25 mm thjickness including hinges jamb, lock jamb, bead and if required angle threshold of mild steel angle of section 50 x 25 mm or base etc. compelte. a) Profile A (single rabate 80mm x 50 mm size								
	D1	2	5.1	-		10.20			
	D1	2	5.3	-	-	10.60			
		Total				**20.80**	**RM**	**216.80**	**4509.44**
17/919(a)	Providing and fixing in position door shutters made up of cold rolled framed profiles of pressed steel made from commercial M.S. sheet etc. complete. Single panel shutter type-A (made of 1.00mm C.R.sheet)								
	D1	2	0.9	-	2.10	3.78			
	D2	2	1.1	-	2.10	4.62			
		Total				**8.40**	**m2**	**1450.00**	**12180.00**
18/0917(a)	Providing and fixing steel glazed doors & window and ventilator of standard rolled steel sections without horizontal glazing bars....including applying a priming coat of steel primer red oxide zinc chromite ctc.								
	W	4	1.2	-	1.2	5.76			
	V	8	0.6	-	0.3	1.44			
		Total				**7.20**	**m^2**	**1180.70**	**8501.04**
19/0902	Providing and fixing m.s.square or round bars in window 12mm- glazing bars for windows and ventilators.								
	For Grills	2	1.5	1.2	-	3.60			
	For Steel Window	4	1.2	1.2	-	5.76			
		9.36 Sqm @12 kg/sqm =112.32kg							
		Total				**112.32**	**kg**	**70.30**	**7896.10**
20/1335(a)	painting over door and window								
	Door D1	4	0.9	-	2.1	7.56			
	D2	4	1.1	-	2.1	9.24			
	Grill	2	1.5	-	1.2	3.60			
	Collopsible Shutter	1	1.9	-	2.1	3.99			
	Window	4	1.2	-	1.2	5.76			
	Ventilator	8	0.6	-	0.3	1.44			
		Total				**30.15**	**m^2**	**110.40**	**3328.56**

Sr.	ITEM	NO	L	W	D	Qty.	Unit	Rate	Amount
21/1823	Collection of sand including screening, washing, stacking and all leads and lifts upto the loading point					67.63	**m3**	**112.80**	**7628.66**
22/0909	Providing and fixing in psotion collapsible steel shutters with vertical channels 20mm x 10mm x 2mm braced with flat iron diagonals 20mm x 5 mm size with top and bottom rails of T - iron 40mm x 10mm x 6 mm with 38mm dia steel pulleys complete.	1	1.9	-	2.1	3.99	**m2**	**3619.30**	**14441.01**
23/1307	White washing whith lime on undercorated wall surfaces (three coats) to give an even shade including throughly broomed the surface to remove all dirt, dust, mortar drops and other foreign matter. Qty. same as 6 mm plaster + 10 mm plaster	-	-	-	-	400.68	**m2**	**9.00**	**3606.12**
24/1311	Colour washing 2 coats over and including a priamry coat of white washing on undercorated wall surface. Qty. same as 15 mm plastering	-	-	-	-	182.19	**m2**	**10.80**	**1967.65**
25	Site devlopment (Lump-Sum)	-	-	-	-	-	-	-	**50000.00**
								Total	**776165.63**
		Transportation Charges of materials (As per attached sheets)							**41869.00**
								Total	**818034.63**
								Add 5% for internal Electrification	**40901.73**
		Add 3.5% for contingencies & work charge estt. (2%+1.5%)							**28631.21**
								Add 1% for karmkar mandal	**8180.35**
								Grand Total	**895747.92**
								Say Rupes (in lakh)	**8.96**

Note :- **This is model estimate and framed for hard soil. According to strata available at site type of foundation may be changed.**

Sd/-
(R.K.Shrivastav)
Assistant Engineer
Rural Engineering Service
Bhopal

(S.K.Khare)
Superintending Engineer
Rural Engineering Service
Bhopal

Consumption of Material for the construction of 100 MT Godown

S.No./d SOR	Particuals	Qty.	Material							Remark
			Cement	Sand	40 mm metal	20mm metal	bricks	Flag Stone	Steel	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2/413 (b)	P.C.C. M-10	14.70	65.11	6.61	13.52	-	-	-	-	-
3/ 904(b)	Iron Work	3593.97	-	-	-	-	-	-	3.59 M.T.	-
5/ 0425(b)	R.C.C. M-20 (12.28+24.43)	36.71	299.18	15.24	-	30.09	-	-	-	-
7/605 (j)	Brick masonary 1:6	7.30	7.02	1.54	-	-	3650.00			
8/605 (j)+606	Brick masonary 1:5	17.39	16.74	3.67	-	-	8695.00	-	-	-
10/404	Filling Sand	30.42	-	30.42	-	-	-	-	-	-
12/1011(b)	6 mm plaster 1:4	102.24	6.48	0.90	-	-	-		-	-
12/1005 (b)	10 mm plaster 1:5	294.45	25.43	3.53	-	-	-	-	-	-
13 / 1009 (c)	15 mm plaster 1:5	182.19	17.31	3.03	-	-	-	-	-	-
15/1214 (b)	40 mm thick fine dressed flooring.	102.24	10.53	2.29	-	-	-	112.46	-	-
	Total		**447.80**	**67.23**	**13.52**	**30.09**	**12345.00**	**112.46**	**3.59 M.T.**	
	Average Lead (in Km)		**30**	**20**	**20**	**20**	**20**	**40**	**30**	
	SOR Rate		**304.38/ m^3**	**236.88/ m^3**	**263.2/m^3**	**263.20/m^3**	**263.20/m^3**	**19.75/m^2**	**304.38/ M.T.**	
	Grand Total		**4733**	**15925**	**3558**	**7920**	**6419**	**2221**	**1093**	**41869**

TYPICAL CONCEPT DRAWING FOR 100 M.T. GODOWN UNDER I.C. D.P. PROJECT

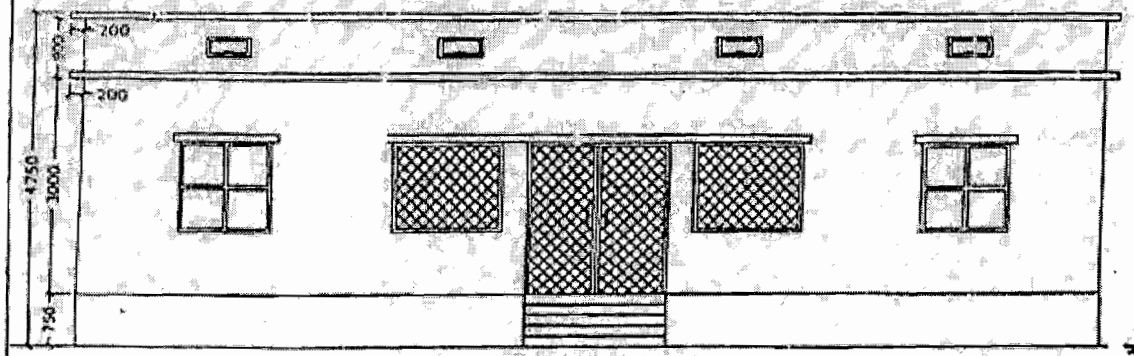

FRONT ELEVATION

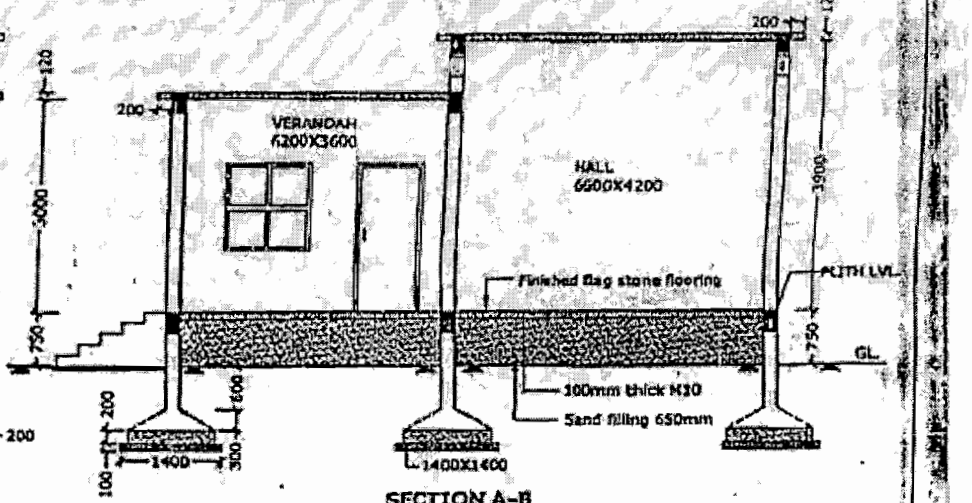

SECTION A-B

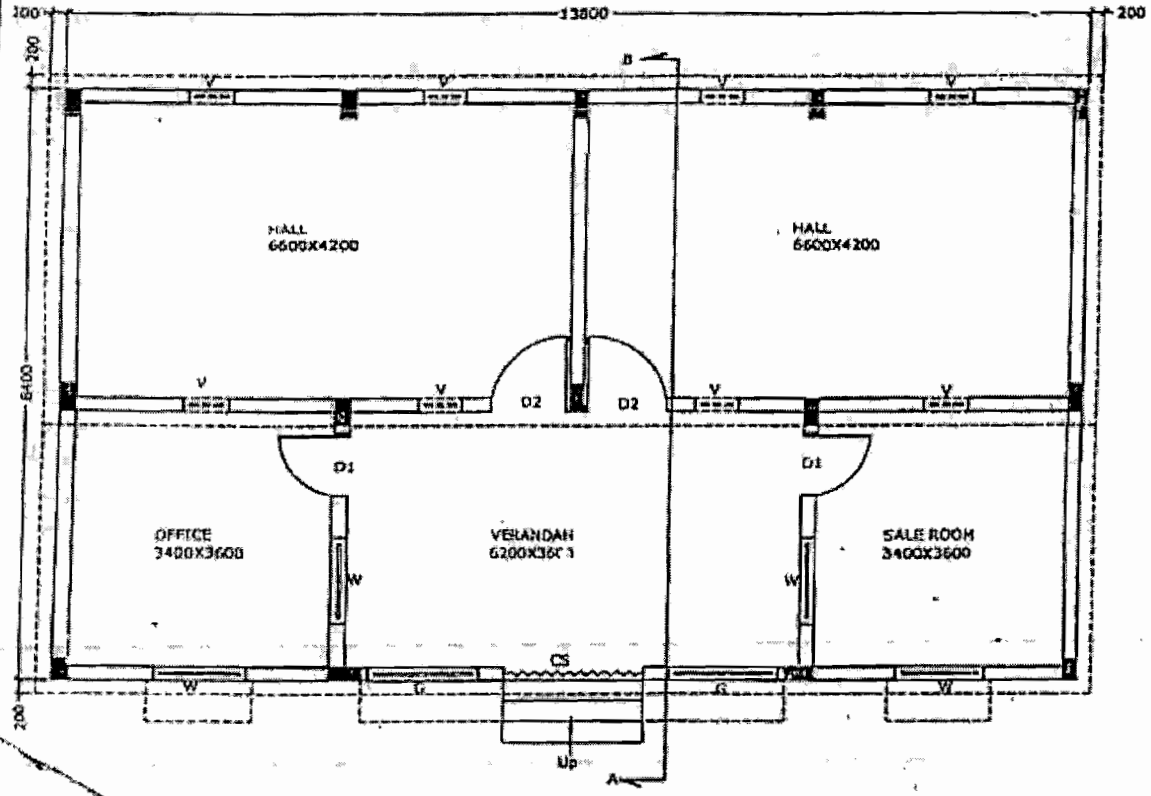

PLAN

STATEMENT OF AREA

PLINTH AREA= 1159.2 sqm.

STATEMENT OF OPENINGS

DOOR	D1	900X2100	Steel Door
DOOR	D2	1100X2100	Steel Door
WINDOW	W	1200X1200	Steel glazed window
VENTILATOR	V	600X300	Steel glazed ventilator
COLLAPSIBLE SHUTTER	CS	1900X2100	Steel
GRILL	G	1500X1200	Steel

RURAL ENGINEERING SERVICES

PROJECT:

GODOWN UNDER I.C. D.P. PROJECT

DATE:	DRAWING NO.	SCALE
09-12-2013	1	NOT TO SCALE

SUP. ENGINEER
R.E.S.

ASSISTANT ENGINEER
R.E.S.

09.12.13

म.प्र. शासन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्रमांक 9543/एनआरईजीएस.–एम.पी./एनआर–3/13 भोपाल, दिनांक 12/12/2013

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
2. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम – म.प्र. जिला/जिला पंचायत – .....म.प्र.

विषय : राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम – म.प्र. के अंतर्गत **"खेल मैदानों का निर्माण"** के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में खेल मैदान विकसित किये जाने हेतु **"ग्रामीण क्रीड़ांगन"** उपयोजना की आयोजना व क्रियान्वयन के संबंध में – संशोधित दिशा निर्देश।

संदर्भ : ग्रामीण क्षेत्रों में खेल मैदान विकसित किये जाने हेतु दिशा–निर्देश परिपत्र क्रं. 12025/एनआरईजीएस.–एम.पी./एनआर–3/09 दिनांक 4.9.2009

––00––

संदर्भित परिपत्र द्वारा ग्रामीण क्रीड़ांगन उपयोजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में खेल मैदान विकसित किये जाने हेतु निर्देश जारी किये गये थे। ग्रामीण क्रीड़ांगन उपयोजना का क्रियान्वयन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (मनरेगा) के भूमि विकास कार्य के अंतर्गत किया जा रहा था। मनरेगा के कार्यों में मजदूरी व सामग्री का अनुपात 60:40 की सीमा के दृष्टिगत् मैदान का समतलीकरण, वृक्षारोपण, सीपीटी./ड्राई बोल्डर वॉल एवं सीपीटी से प्राप्त मिट्टी के द्वारा दर्शकों को बैठने हेतु रेम्पनुमा बैठक का कार्य शामिल था। मनरेगा के दिशा–निर्देश 2013 में खेल मैदान के विकास को एक अलग गतिविधि के रूप में लिया गया है।

भारत सरकार, खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान (PYKKA) योजना के परिपत्र क्रं. F. No. MYAS/PYKKA/2009/204 दिनांक 18.06.2009 के पैरा क्रं. 8 के अनुसार ग्राम पंचायत स्तर पर रू. एक लाख एवं जनपद पंचायत स्तर पर रू. पाँच लाख का प्रावधान खेल सामग्री आदि के लिये किया गया है। आवश्यकता अनुसार महिला एवं पुरूष शौचालय की व्यवस्था निर्मल भारत अभियान के द्वारा की जा सकती है।

उक्त के दृष्टिगत् ग्रामीण क्रीड़ांगन उपयोजना मनरेगा, पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान योजना (PYKKA) एवं निर्मल भारत अभियान के अभिसरण से निम्न कार्य किये जा सकते हैं –

1. महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत किये जाने वाले कार्य –

1.1 खेल मैदान विकसित करने हेतु समतलीकरण का कार्य।

1.2 खेल मैदान के चारों ओर वृक्षारोपण कार्य। वृक्षों की प्रजातियां इस प्रकार हो कि वह मैदान में खेली जाने वाली गतिविधियों में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न करे।

1.3 खेल मैदान के चारों ओर सुरक्षा हेतु, सी.पी.टी./ड्राई बोल्डर वॉल का निर्माण।

1.4 सी.पी.टी. से प्राप्त मिट्टी के द्वारा दर्शकों के बैठने हेतु रैम्पनुमा बैठक (गैलरी) का निर्माण।

1.5 क्रिकेट पिच बॉलीवॉल, बास्केटवॉल इत्यादि खेल मैदानो के आधार का कार्य।

1.6 खेल मैदान में घास के विकास का कार्य।

2. **पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान योजना (PYKKA) के तहत किये जाने वाले कार्य –**

2.1 प्रतिभागियों एवं प्रशिक्षुओं के लिये बैठने हेतु सीढ़ियों का निर्माण। बहुउदेश्यीय सीढ़ियां इस तरह बनाई जावे कि सीढ़ियों के नीचे का स्थान भण्डार कक्ष या अन्य उपयोग में लाया जा सके।

2.2 क्रिकेट, फुटवॉल हॉकी, बास्केटवॉल, बॉलीवॉल, हैंडवॉल, सायकलिंग, कवड्डी, एथेलेटिक्स ट्रेक इत्यादि खेलों का विकास एवं स्थाई मार्कर द्वारा सीमाबंदी का कार्य।

2.3 खेल मैदान में पानी की व्यवस्था।

2.4 खेलों के प्रशिक्षण हेतु स्थाई तरह के उपकरणों का प्रदाय एवं लगाने का कार्य।

3. **निर्मल भारत अभियान –**

3.1 आवश्यकतानुसार पृथक–पृथक पुरूष एवं महिला शौचालयों का निर्माण।

चरणबद्ध विकास एवं उन्नयन की संभावनानुसार लोकप्रिय खेल जैसे क्रिकेट के मैदान का विकास इस तरह से किया जावे, कि उसमें आवश्यकतानुसार अन्य खेल जैसे – फुटबॉल हॉकी, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स इत्यादि खेलों मैदानों का समायोजन हो सके। उदाहरण स्वरूप क्रिकेट, फुटवॉल एवं बास्केटवॉल मैदान के नक्शे जो http://en.wikipendia.org/wiki/File:cricket_field से लिये गये हैं, पत्र के साथ संलग्न है।

"ग्रामीण क्रीड़ांगन" उपयोजना की आयोजना व क्रियान्वयन के शेष प्रावधान पूर्व में जारी परिपत्र के अनुसार यथावत रहेंगे।

संलग्न – उपरोक्तानुसार।

(डॉ. अरूणा शर्मा)
अपर मुख्य सचिव
म.प्र. शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, भोपाल

पृ. क्रं./ 9544 /एनआरईजीएस.–एम.पी./एनआर–3/13 भोपाल, दिनांक/2/12/2013

प्रतिलिपि :

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. निज सचिव, माननीय मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय भोपाल।
3. निज सचिव, माननीय मंत्री खेल एवं युवक कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल।
4. स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ।
5. अपर मुख्य सचिव खेल एवं युवक कल्याण विभाग, मंत्रालय की ओर सूचनार्थ एवं सर्व संबंधितो को सूचित करने हेतु प्रेषित।
6. प्रमुख सचिव, शालेय शिक्षा, मंत्रालय की ओर सूचनार्थ एवं सर्व संबंधितो को सूचित करने हेतु प्रेषित।
7. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, गौतम नगर भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
8. मुख्य अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, विन्ध्याचल भवन भोपाल।
9. संचालक, खेल एवं युवक कल्याण विभाग टी.टी. नगर स्टेडियम भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
10. समस्त कमिश्नर, संभाग म.प्र.।
11. समस्त अधीक्षण यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, मण्डल म.प्र.।
12. समस्त कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, संभाग म.प्र.।
13. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं कार्यक्रम अधिकारी, जनपद पंचायत समस्त जिले म.प्र.।

अपर मुख्य सचिव
म.प्र. शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, भोपाल

File:Cricket field parts.svg

From Wikipedia, the free encyclopedia

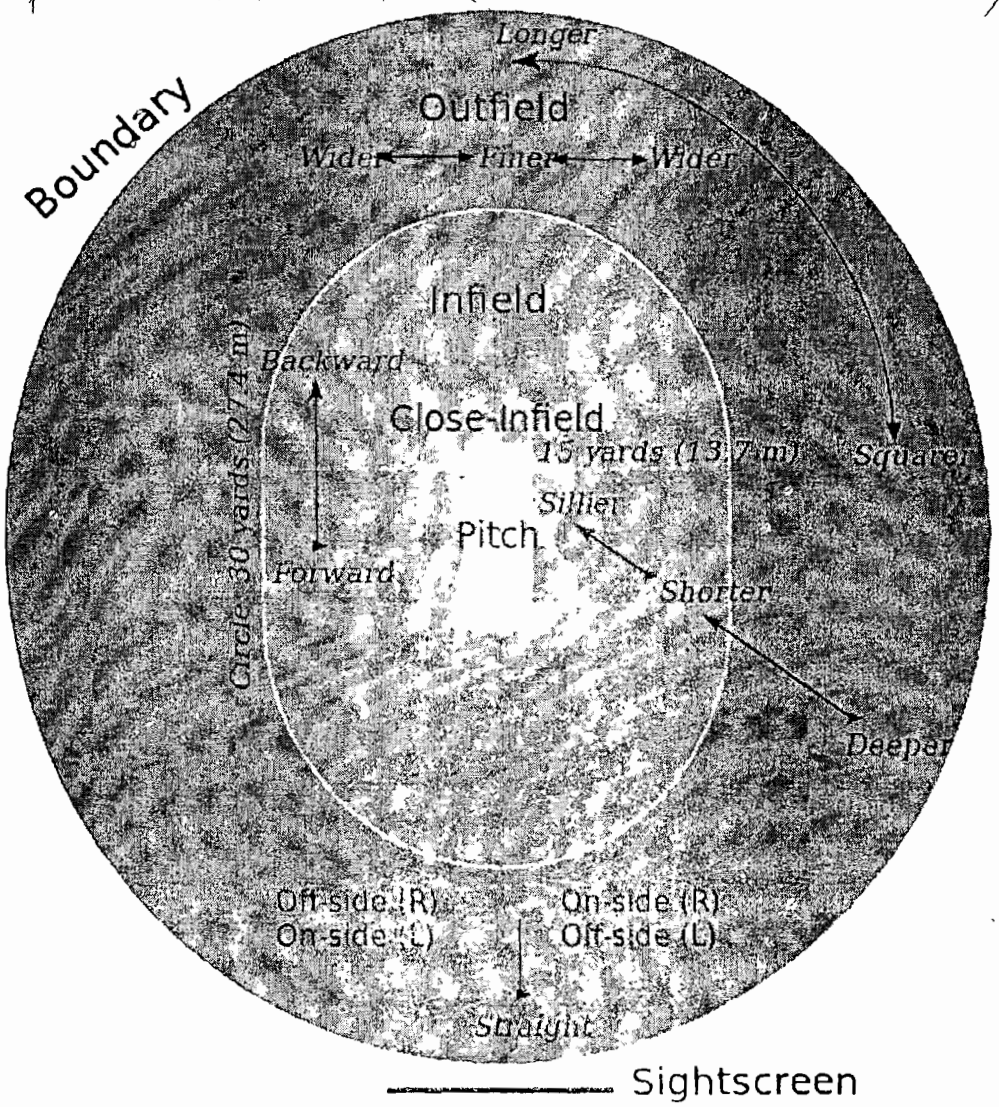

Size of this preview: 545 × 600 pixels.
Original file (SVG file, nominally 2,000 × 2,200 pixels, file size: 27 KB)

This is a file from the Wikimedia Commons. Information from its **description page there** is shown below.
Commons is a freely licensed media file repository. You can help.

Parts of a cricket field.

Image made by me, Nichalp in Inkscape.

Summary

A standard cricket ground, showing the cricket pitch (brown), close-infield (light green) within 15 yards (13.6 m) of the striking batsman, infield (medium green) inside the white 30 yard (27.4 m) circle, and outfield (dark green), with sight screens beyond the boundary at either end. Boundary

Cricket field

From Wikipedia, the free encyclopedia

A **cricket field** consists of a large circular or oval-shaped grassy ground on which the game of cricket is played. There are no fixed dimensions for the field but its diameter usually varies between 450 feet (137 m) and 500 feet (150 m). Cricket is therefore one of only two major sports (with baseball) that does not define a fixed-shape ground for professional games. The cricket ground can vary from being almost a perfect circle, to being an extremely elongated oval. On most grounds, a rope demarcates the perimeter of the field and is known as the *boundary*.A cricket pitch is 22 yards long.

A standard cricket ground, showing the cricket pitch (brown), close-infield (light green) within 15 yards (13.7 m) of the striking batsman, infield (medium green) inside the white 30 yard (27.4 m) circle, and outfield (dark green), with sight screens beyond the boundary at either end.

Contents

- 1 ICC standard dimensions
- 2 The pitch
- 3 Parts of the field
- 4 See also
- 5 References

ICC standard dimensions

The ICC Standard Playing Conditions define the minimum and maximum size of the playing surface. Law 19.1 of ICC Test Match Playing Conditions states:

"The playing area shall be a minimum of 150 yards (137.16 metres) from boundary to boundary square of the pitch, with the shorter of the two square boundaries being a minimum 65 yards (59.43 metres). The straight boundary at both ends of the pitch shall be a minimum of 70 yards (64.00 metres). Distances shall be measured from the centre of the pitch to be used. In all cases the aim shall be to provide the largest playing area, subject to no boundary exceeding 90 yards (82.29 meters) from the centre of the pitch to be used. "[1]

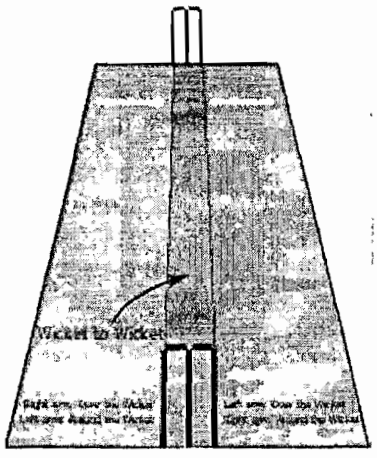

A perspective view of the cricket pitch from the bowler's end. The bowler runs in past one side of the wicket at the bowler's end, either 'over' the wicket or 'round' the wicket.

In addition, the conditions require a minimum 3 yard gap between the "rope" and the surrounding fencing or advertising boards. This is to allow the players to dive without hurting themselves.

The conditions contain a grandfather clause, which exempts stadiums built before October 2007. However, most stadiums which regularly host international games easily meet the minimum dimensions.

It is worth noting that based on these guidelines, a cricket field

must have at least 16,000 square yards ((150+3+3)/2* (70+70+3+3-22/2)/2*pi) of grass area. A more realistic test-match stadium would have more than 20,000 square yards of grass (having a straight boundary of about 80m).[2] In contrast, an association football field needs only about 9,000 square yards of grass, and an Olympic stadium would contain 13,500 square yards of grass within its 400m running track, making it impossible to play international cricket matches unless the stadium was specifically built for cricket. However the Stadium Australia which hosted the Sydney Olympics in 2000 had its running track turfed over and 30,000 seats removed to make it possible to play cricket in the stadium, at a cost of A$80 million.[3] This is one of the reasons cricket games generally cannot be hosted outside the traditional cricket playing countries, and a few non-test nations like Canada, the UAE, and Kenya that have built test-match standard stadiums.

The pitch

For more details on this topic, see Cricket pitch.

Most of the action takes place in the centre of this ground, on a rectangular clay strip usually with short grass called the pitch. The pitch measures 22 yards (20 m) long.

At each end of the pitch three upright wooden stakes, called the stumps, are hammered into the ground. Two wooden crosspieces, known as the bails, sit in grooves atop the stumps, linking each to its neighbour. Each set of three stumps and two bails is collectively known as a wicket. One end of the pitch is designated the *batting end* where the batsman stands and the other is designated the *bowling end* where the bowler runs in to bowl. The area of the field on the side of the line joining the wickets where the batsman holds his bat (the right-hand side for a right-handed batsman, the left for a left-hander) is known as the off side, the other as the leg side or on side.

Lines drawn or painted on the pitch are known as creases. Creases are used to adjudicate the dismissals of batsmen and to determine whether a delivery is fair.

Parts of the field

For a one-innings match played over a set number of fair deliveries, there are two additional field markings. A painted oval is made by drawing a semicircle of 30 yards (27.4 m) radius from the centre of each wicket with respect to the breadth of the pitch and joining them with lines parallel, 30 yards (27.4 m) to the length of the pitch. This line, commonly known as the circle, divides the field into an infield and outfield. Two circles of radius 15 yards (13.7 m), centred at middle stump guard on the popping crease and often marked by dots, define the close-infield. The infield, outfield, and the close-infield are used to enforce fielding restrictions.

See also

- List of Test cricket grounds

References

1. ^ http://static.icc-cricket.yahoo.net/ugc/documents/DOC_1F113528040177329F4B40FE47C77AE2_1254317595929_824.pdf
2. ^ http://vip-flags.com/largestflag_vip.htm A flag measuring 340ft x 510ft i.e. 173,400 sq.ft (19,266 sq. yds) was unveiled at the National Stadium, Karachi. This video (http://www.youtube.com/watch?v=xfbOUUYohxc) shows that the rectangular flag, when fully unfurled, comfortably fit within the playing area.

(155)

3. ^ http://www.cricinfo.com/southafrica/content/current/story/472979.html

Retrieved from "http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Cricket_field&oldid=566845769"
Categories: Cricket equipment Cricket captaincy and tactics Cricket laws and regulations | Cricket

- This page was last modified on 2 August 2013 at 12:09.
- Text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License; additional terms may apply. By using this site, you agree to the Terms of Use and Privacy Policy. Wikipedia® is a registered trademark of the Wikimedia Foundation, Inc., a non-profit organization.

TYPICAL FOOTBALL GROUND

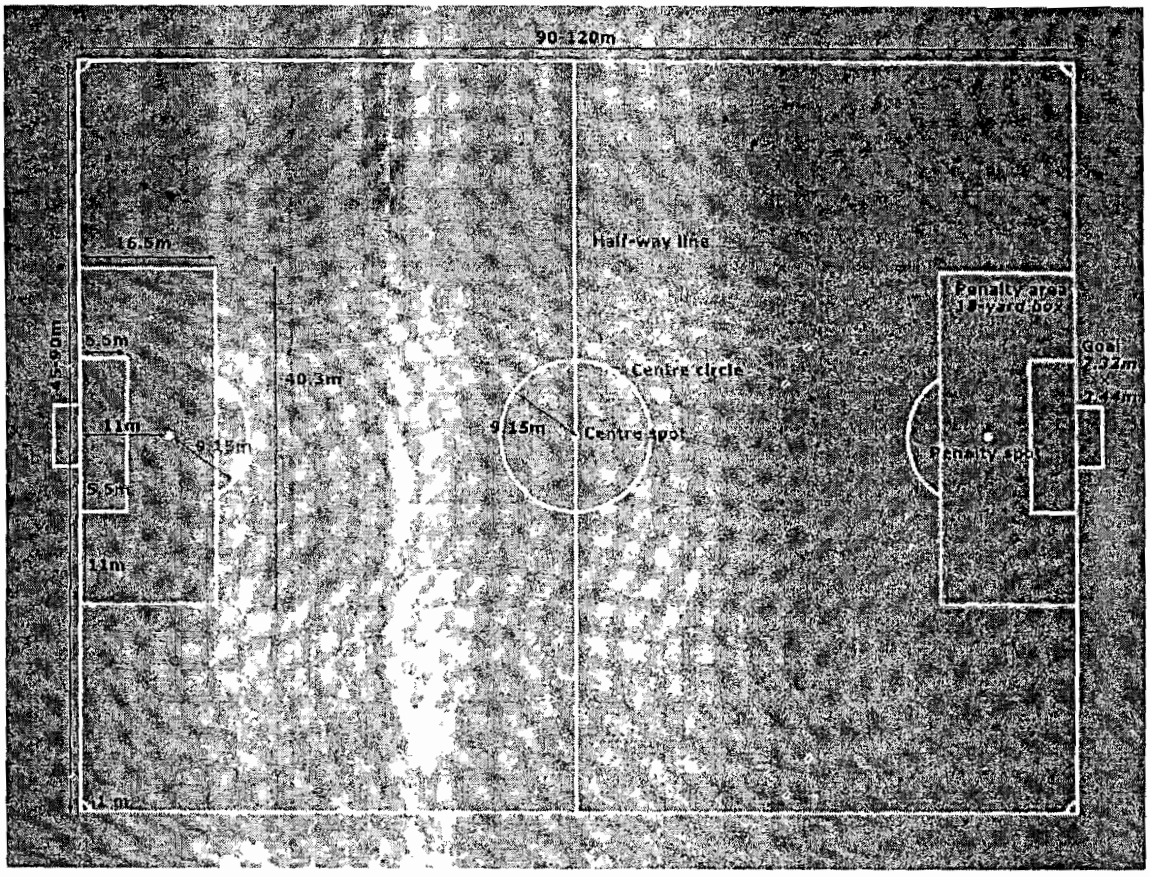

BASKETBALL GROUND

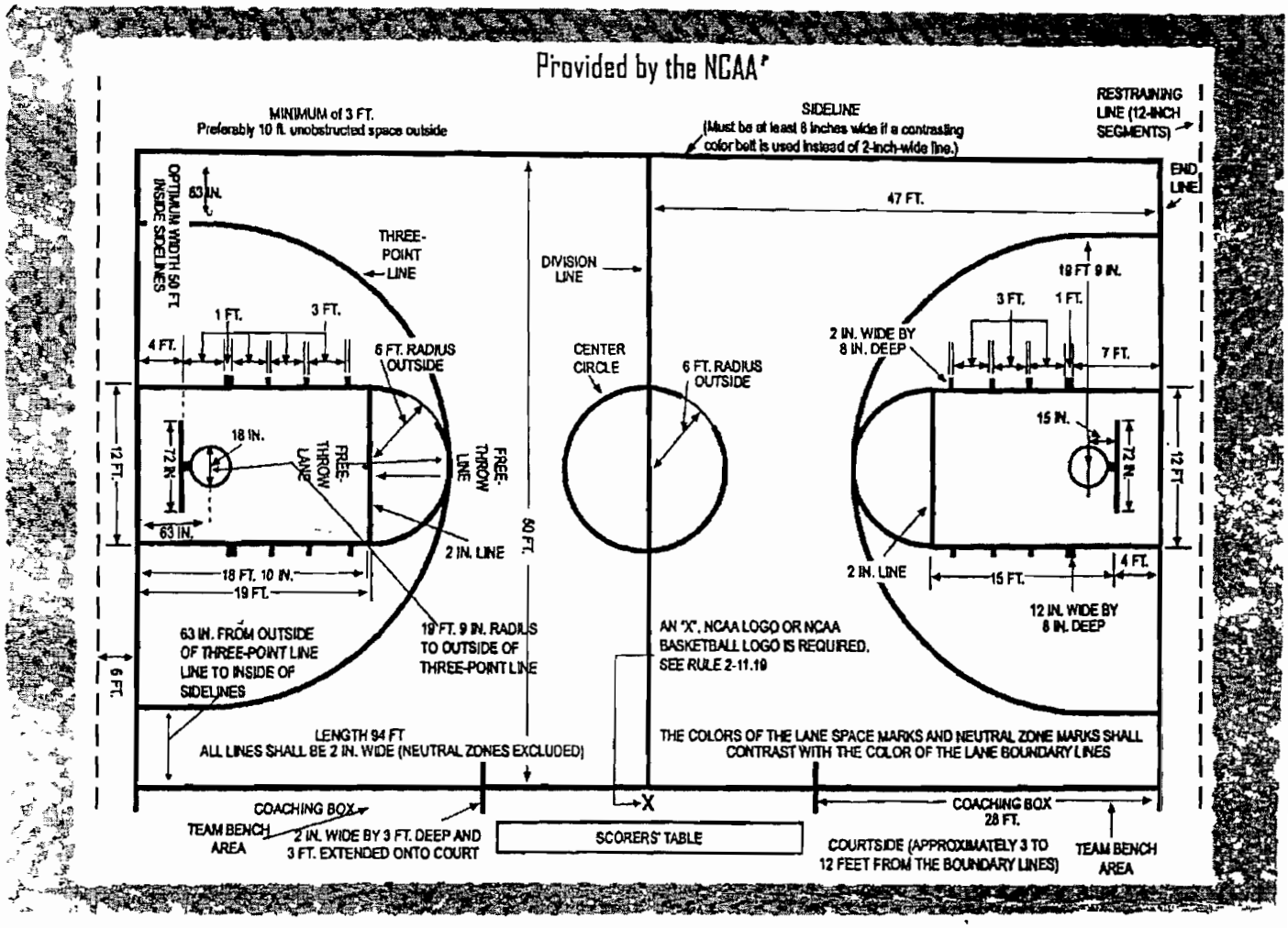

igned by POGE

© 2013 Zhejiang-Sport & Zhejiang-OEM All

- Two parallel lines extending from and perpendicular to the endlines, with the outer edge 0.90m from the inner edge of the sidelines.
- An arc of radium 6.75m measured from the point on the floor beneath the exact centre of the opponents' basket to the outer edge of arc. This distance of the point on the floor from the inner edge of the mid-point of the endline is 1.575m. The arc is joined to the parallel lines.

The three point line is not part of the three-point field goal area.

Throw-in lines

A throw-in line 15cm long, outside the playing court, will be marked 8.325m from the end line (at the top of the three point arc) on the sideline opposite the scorer's table. Previously this throw-in was administered at the half way line, opposite the scorer's table.

No-charge semi-circle areas

The no-charge semi-circle lines shall be marked on the playing courts, limited by:

- A semi-cicle with a radius of 1.25m measured from the point on the floor beneath the exact centre of the basket to the inner edge of the semi-circle. The semi-circle is joined to:
- Two parallel lines perpendicular to the endlines, the inner edge 1.25m from the point on the floor beneath the exact centre of the basket, 0.375m in length and ending 1.20m from the inner edge of the endline.
  The no-charge semi-circle areas are completed by imaginary lines joining the ends of the parallel lines directly below the front edges of the backboards. The no-charge semi-circle lines are not part of the no-charge semi-circle areas.

Team Bench Areas

The team bench areas are marked outside the playing court limited by two lines as shown on the diagram. There must be 14 seats available in the team bench area for coaches, assistant coaches and substitutes. Any other persons must be at least two metres behind the team bench.

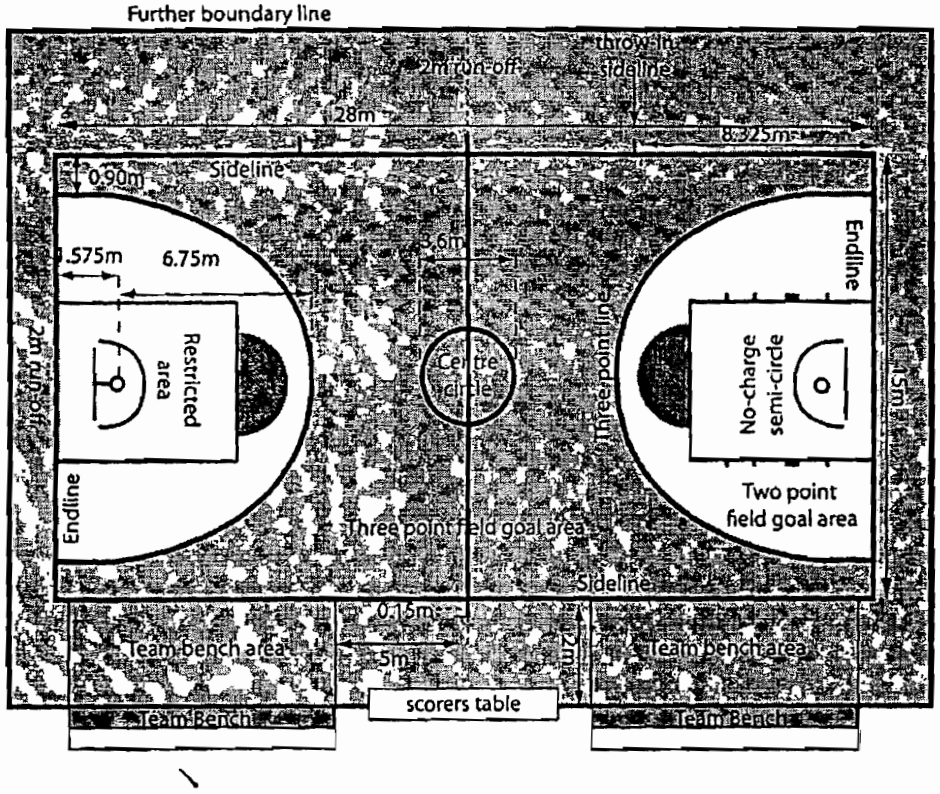

Sport association details

Rollersports Association of WA Inc

inside edge of the boundary line.

A team's backcourt is the team's own basket, the inbounds part of the backboard and the part of the playing court limited by the endline behind the team's own basket, sidelines and centre line.

A team's frontcourt consists of the opponents' basket, the inbounds part of the backboard and part of the playing court limited by the endline behind the opponents' basket, sidelines and inner edge of the centre line nearest to the opponents' basket.

The height of the ceiling or the lowest obstruction above the playing floor is at least 7m.

Lines

All lines are drawn in the same colour (preferably white), 5cm in width and clearly visible.

Boundary line

The playing area is limited by the boundary line, consisting of endlines and sidelines. These lines are not part of the playing court. The minimum space around the court for run-off is 2m. Any obstruction, including seated team bench personnel, must be at least 2m from the playing court.

All spectators must be seated at a distance of at least 5m from the outside edge of the boundary lines of the playing court.

The Key

Centre line, centre circle and free-throw semi-circles

The centre line is marked parallel to the endlines from the mid-points of the sidelines and extend 0.15m beyond each sideline. Centre line is part of the backcourt.

The centre circle is marked in the centre of the playing court and has a radius of 1.8m measured to the outer edge of the circumference. If the inside of the centre circle is painted, it must be the same colour as the restricted areas.

The free-throw semi-circles are marked on the playing court with court with a radius of 1.8m measured to the outer edge of the circumference and with their centres at the mid-points of the free-throw line (see diagram).

Free-throw lines, restricted areas and free-throw rebound places

The free-throw line is drawn parallel to each endline. It furthest edge is 5.80m from the inner edge of the endline and is 3.60m long. It's mid-point lies on the imaginary line joining the mid-points of the two end endlines.

The restricted area ("the Key") has been changed to a rectangle 5.8m by 3.6m. For international competition the restricted area must be painted. Basketball Australia is not adopting that requirement.

The restricted areas are the rectangular areas marked on the playing court limited by the endlines, the extended free-throw lines and the lines which originate at the endlines, their outer edges 2.45m from the mid-points of the endlines and terminating at the outer edge of the free-throw lines. These lines, excluding the endlines, are part of the restricted area. The inside of the restricted areas must be painted.

Free-throw rebound places along the restricted area, reserved for players during free throws and are marked in the diagram to the right.

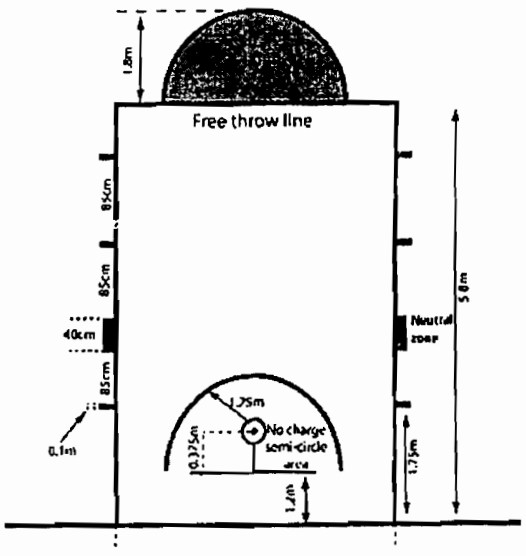

Three point field goal area and line

The three point line has been extended from 6.25m to 6.75m. Basketball Australia recommends that the courts should be marked with both three point lines (6.25m and 6.75m).

The new 6.75m three point line should be marked in white (or the same colour as the rest of the basketball court line) and the old 6.25m three point line marked in an alternate colour, ie yellow, red, green, blue or black.

The three point field goal area (see diagram on the next page) is the entire floor area of the playing court, except for the area near the opponents' basket., limited by and including: